

C O N T E N T S

**Sixteenth Series, Vol. VI Third Session, 2014/1936 (Saka)
No. 18, Wednesday, December 17, 2014/Agrahayana 26, 1936 (Saka)**

<u>S U B J E C T</u>	<u>P A G E S</u>
 REFERENCE BY THE SPEAKER	
Tragic death of many school children and others in a gruesome terrorist attack in Peshawar, Pakistan on 16 December, 2014	2
 ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 341 to 345	4-39
 WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 346 to 360	40-117
Unstarred Question Nos. 3911 to 4140	118-510

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

RESOLUTION

Re: Inhuman killings by Terrorists in a school in
Peshawar, Pakistan on 16 December, 2014 511

PAPERS LAID ON THE TABLE 512-530

**COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS
AND RESOLUTIONS**

4th Report 530

STATEMENTS BY MINISTERS 531-534

(i) 'Sydney hostage crisis'. 531-532

Shrimati Sushma Swaraj

(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 173rd Report of the Standing Committee on Home Affairs on 'Strengthening of the Working of Ministry of Development of North-Eastern Region for effective implementation of policies, programmes, schemes and projects meant for North Eastern Region', pertaining to the Ministry of Development of North Eastern Region

Dr. Jitendra Singh 534

(iii) Status of implementation of the recommendations contained in the 112th Report of the Standing Committee on Commerce on Action Taken by the Government on the recommendations/ observations contained in the 107th Report of the Committee on Demands for Grants (2013-14), pertaining to the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry

Shrimati Nirmala Sitharaman 534

SUBMISSION BY MEMBERS

Re: Opening of CBSE schools on 25th December, 2014
to celebrate Good Governance Day 535-558

MATTERS UNDER RULE 377 559-571

- (i) Need to convert Nadiad-Kapdvanj-Modasa railway line in Gujarat into broad-gauge

Shri Devusinh Chauhan 559

- (ii) Need to set up an Agriculture University at Rajnagar in Madhubani district, Bihar and also accord the Status of Central University to Rajendra Krishi Mahavidyalaya, Pusa, Bihar to a Central University

Shri Birendra Kumar Choudhary 560

- (iii) Need to augment mobile telephone services in Bastar, Chhattisgarh

Shri Vikram Usendi 561

- (iv) Need to ensure adequate power supply in Taj Trapezium Zone in Agra, Uttar Pradesh

Shri Babulal Choudhary 562

- (v) Need to construct embankment along the course of river Yamuna in Haryana to prevent annual floods occurring in the region particularly in Kurukshetra Parliamentary Constituency

Shri Raj Kumar Saini 562

- (vi) Need to provide adequate quantity of fertilizer to farmers in Baitul and Harda districts of Madhya Pradesh

Shrimati Jyoti Dhurve 563

- (vii) Need to restart operation of trains on Daboi to Chanod rail route in Chhota Udaipur Parliamentary Constituency, Gujarat
- Shri Ramsinh Rathwa 564
- (viii) Need to allocate funds for setting up of rail coach factory at Gohana in Sonapat district, Haryana
- Shri Deepender Singh Hooda 565
- (ix) Need to expedite completion of Jayamkondam integrated lignite mining and power generation project in Chidambaram Parliamentary Constituency, Tamil Nadu
- Shri M. Chandrakasi 566
- (x) Need to develop the Rasgovindpur airstrip in Mayurbhanj district of Odisha
- Shri Rabindra Kumar Jena 567
- (xi) Need to appoint permanent teachers and other non-teaching staff in Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas in the country
- Shri B. Vinod Kumar 568
- (xii) Need for transparency in examination conducted by the Staff Selection Commission
- Shrimati Anupriya Patel 569
- (xiii) Need to construct an over-bridge on level crossing in Saharsa district, Bihar
- Shri Rajesh Ranjan 570

- (xiv) Need to open level crossing No. 62 on Mumbai-Nasik rail route in the vicinity of Wasimgaon, in Bhiwandi Parliamentary Constituency, Maharashtra and also construct an over bridge at the level crossing

Shri Kapil Moreshwar Patil

570

- (xv) Need to start work on multipurpose project for development of various facilities in Ballia Parliamentary constituency, Uttar Pradesh

Shri Bharat Singh

571

COMPANIES (AMENDMENT) BILL, 2014

572-609

Shri Jayadev Galla

572-574

Shri Konda Vishweshwar Reddy

575-576

Shri Varaprasad Rao Velgagapalli

577-579

Shri Abhijit Mukherjee

580-581

Shri Subhash Chandra Baheria

582-583

Shri V. Paneerselvam

584-585

Shri Dushyant Chautala

586

Shri Sher Singh Ghubaya

587-588

Shri N. K. Premahandran

589-593

Adv. Joice George

594-596

Shri Hukum Singh

597-599

Shri Arun Jaitley

600-606

Clauses 2 to 21 and 1

607

Motion to Pass

607-609

MOTOR VEHICLES (AMENDMENT) BILL, 2014	610-647
Shri Nitin Gadkari	614-617
Motion to Consider	614
Shri Rajeev Satav	618-620
Dr. Udit Raj	621-622
Shrimati M. Vasanthi	623-625
Shrimati Pratima Mondal	626
Shri Tathagata Satpathy	627-629
Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu	630-631
Shri Shrirang Appa Barne	632-633
Shri B. Vinod Kumar	634-635
Shri Md. Badaruddoza Khan	636-637
Shri Prem Singh Chandumajra	638
Shri Jai Prakash Narayan Yadav	639
Shri Bhagwant Mann	640-641
Shri Om Birla	642-643
Shri Gaurav Gogoi	644-646
Shrimati Anupriya Patel	647
HALF- AN- HOUR- DISCUSSION	648-657
Plastic Hazards	
Dr. Kirit Somaiya	648-653
Shri Prakash Javadekar	653-657

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions	659
Member-wise Index to Unstarred Questions	660-665

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions	666
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	668

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Prahlad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

Shri K. H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Wednesday, December 17, 2014/Agrahayana 26, 1936 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

11.00 hrs**REFERENCE BY THE SPEAKER****Tragic death of many school children and others in a gruesome terrorist attack in Peshaar, Pakistan on 16 December, 2014**

माननीय सदस्यगण, जैसा कि आप सभी जानते हैं 16 दिसंबर, 2014 को पाकिस्तान के पेशावर में हुए जघन्य आतंकवादी हमले में कई स्कूली बच्चे और अन्य व्यक्तियों की दुखद मृत्यु हुई है। हम सभी इस घटना पर गहन शोक, आक्रोश, गहरा दुख व्यक्त करते हैं और इस घृणित, वहशी, भयावह, कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले की भर्त्सना करते हैं। यह सभा पाकिस्तान की आम जनता, शोक संतप्त परिवारों तथा घायलों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती है। हम सभी दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

11.01 hrs

(The Members then stood in silence for short while.)

माननीय अध्यक्ष : हम आतंकवाद से एकजुट होकर लड़ने के लिए एक प्रस्ताव बना रहे हैं जिसे हम बाद में सभा के समक्ष रखेंगे और सर्वसम्मति से पारित करेंगे।

... (व्यवधान)

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Madam Speaker, I have given a notice for suspension of Question Hour. ... *(Interruptions)*

11.02 hrs

At this stage, Prof. Saugata Roy and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

HON. SPEAKER: Hon. Members, I have received requests from Sarvashri Prem Singh Chandumajra, P. Karunakaran and K.C. Venugopal for Suspension of Question Hour.

As you know, there is no provision in the Rules of Procedure under which a Member may make a demand for suspension of Question Hour. I have, therefore, disallowed the notices of Suspension of Question Hour.

Hon. Members, I have received a notice of Adjournment Motion from Shri K.C. Venugopal regarding confusion created among students, especially Christian students due to directive of HRD Ministry regarding Good Governance Day celebration on Christmas Day on 25th December, 2014. As already observed by me in the House yesterday, I have called for facts from the Ministries of Parliamentary Affairs and Human Resource Development in the matter.

Therefore, I have disallowed the notice of Adjournment Motion.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Now, we shall take up Question Hour. Q.No.341

... (*Interruptions*)

11.03 hrs

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER: Q. No. 341, Shri Abhishek Singh.

(Q. No. 341)

श्री अभिषेक सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, रेडियो एक्टिव एलीमेंट से जुड़ा यह विषय न सिर्फ देश की सुरक्षा से संबंधित है बल्कि परमाणु ऊर्जा के माध्यम से तेल आयात पर देश की निर्भरता को कम करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मैं आदरणीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ क्या देश में रेडियो एक्टिव एलीमेंट्स की उपस्थिति का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण हुआ है? यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? इसके अलावा देश में रेडियो एक्टिव एलीमेंट्स के खोज, प्रसंस्करण और वाणिज्यिक उपयोग के लिए वर्तमान दिशा निर्देश क्या है? ... (व्यवधान)

डॉ. जितेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। I am thankful to him for having raised a very thought-provoking issue. To take the second part of the question first, as far as the provisions to regulate the exploration processes are concerned, I am glad to share with the august House that we have three sets of rules. The first Atomic Energy Act was formulated in 1962 under which anybody who discovers a source of Uranium or any such prohibitive material is expected to intimate the authorities concerned within a period of three months. .

We also have Atomic Energy Rules, 1984. Rule 3 of these Rules clearly states that in case exploration has to take place, it cannot be undertaken without obtaining a proper licence. As of today, the entire exploration process is under the control of the Government. There are two Public Sector Units which have been authorised in this regard – first is the Uranium Corporation of India limited, which regulates the uranium exploration, and the second one is the Indian Rare Earths Limited, which regulates the monoxide exploration which is a source of thorium.

Concerning the other part of the question raised by the hon. Member about the reserves, as of today, I am pleased to inform the august House that the uranium resources and monoxide resources in the country are of a sizeable quantity and the

resources have increased almost by 25 per cent over the last one decade the world over, including in India. If you wish to have the exact statistics, as on date, we have approximately 2,19,000 metric tonnes of uranium reserves or resources. I am sure the hon. Member will be happy to know that from his own State of Chhattisgarh itself, we have about 4,000 metric tonnes of resources. The district from which he hails, Rajnandgaon, has about 1600 metric tonnes of uranium resources. The exploration process is going on. There were certain obstacles that have happened from time to time, even in the State of Chhattisgarh from where the hon. Member hails.

The exploration in Chhattisgarh began in 1976. It carried on for ten years, up to 1986. In 1986, there were some issues regarding the release because the authorities felt that the economic viability was not up to the mark, but this has been overcome. I am pleased to inform the hon. Member that in his own State, we have now identified four more districts, namely, Durg, Ambikapur, Raigarh and Bastar where also the possibilities of exploration are being explored.

11.08 hrs

At this stage, Prof. Saugata Roy and some other hon. Members left the House.

श्री अभिषेक सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदया, देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से शुरु किये गये " मेक इन इंडिया " कार्यक्रम के तहत भविष्य में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को लेकर कोई कार्य-योजना, मैन्यूफैक्चरिंग को लेकर बनायी जाएगी? क्या इस दिशा में कोई विचार चल रहा है?

डा. जितेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदया, आदरणीय सांसद ने बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इस विषय को लेकर वर्तमान में पूरे देश में 20 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग, इसे तीन-चार श्रेणियों में हम समझ सकते हैं। इनमें से एक है, लाइट वाटर रिएक्टर। इसके बाद, कुछ ही क्षणों में, मैं " मेक इन इंडिया " पर भी आऊंगा। लाइट वाटर रिएक्टर, कुडनकुलम में है, यह तमिलनाडु प्रदेश के तिरुनेलवेल्ली डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ से एक हजार मेगावाट एनर्जी उत्पादित होती है। यह हमारा सबसे महत्वपूर्ण रिएक्टर है। लेकिन इसमें जो भी इस्टैब्लिशमेंट है, वह रशियन सहयोग से बनायी गयी है, वह इंडिजीनस नहीं है, जैसा कि माननीय सांसद जी ने संकेत किया। इसके अतिरिक्त, हमारे पास एक फास्ट ब्रिडर रिएक्टर है,

वह तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित है। वह पूर्णतः इंडिजीनस है। एक तीसरा रिएक्टर होता है, जिसे हम प्रेसराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर कहते हैं। परन्तु मैं सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु पर आते हुए, इस ओर संकेत करूँगा कि " मेक इन इंडिया " अर्थात् इंडिजीनस कैपेबिलिटी का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन होगा, जब हमारा एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर संचालन में आएगा। एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर का निर्माण भारत एटॉमिक एनर्जी सेन्टर द्वारा किया जा रहा है, यह पूर्णतः इंडिजीनस है। इसे कहाँ स्थापित किया जाएगा, इसे लेकर थोड़ी-सी चर्चा चली। अब ऐसा मत बन रहा है कि इसे संभवतः महाराष्ट्र के तारापुर में स्थापित किया जाए। इसकी स्थापना का कार्य अप्रैल, 2016 तक संपन्न होने की संभावना है और यह वर्ष 2020 या उसके एक-दो वर्ष बाद तक फंक्शनल हो जाएगा। यह पूर्णतः भारतीय निर्माण होगा और भारतीय वैज्ञानिकों की देन होगा। यह पूर्णतः मेक इन इंडिया होगा। इसका यह भी लाभ होगा, इसकी एक्सक्लूसिवनेस यह होगी कि यह थोरियम फ्यूल का उपयोग करेगा and one of the largest sources of thorium in the world is India. इस प्रकार से भी इसका एक सिंबॉलिक महत्व भी रहेगा और देश के लिए गौरव का भी स्वरूप बनेगा।

DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE : Thank you very much Madam for giving me this opportunity. I would like to know through you from the hon. Minister as to what are the guidelines regarding the use of radio-active elements as well as radio-isotopes in the field of medicine for the use of the diagnosis and treatment.

DR. JITENDRA SINGH: Hon. Member has asked a question which is not strictly related to the question *per se* but being myself a student of medical science, I could to an extent of hope to satisfy him, we have this provision of radio-active isotopes. Now, as far as the regulation is concerned, we have atomic energy rules radio-active protection, 2004 set of guidelines which regulates this. No doubt, isotopes are used both in medical research and also in manufacturing. We have a number of radio-active isotopes studies where the cells are tagged to monitor their functioning in the human body. Sometimes, this is also carried out in the animal bodies and I am glad the hon. Member has raised a question which has a lot of futuristic significance and in the years to come, India hopes to make quite a headway in this new area as well.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Thank you very much Madam Speaker. Thorium is the future nuclear fuel for the generation of electricity. Currently, uranium is used for producing nuclear energy. But uranium is not abundantly available in our country. But we are having abundant supply or rich deposit of thorium which can be derived from monazite. Unfortunately, we are not tapping the potential of our country of this rich deposit. For example, I would like to draw the attention of the hon. Prime Minister also through you, Madam, that in my constituency Chavara at Kollam, we are having 1,270 metric tonnes of heavy minerals. Out of 6.35 lakhs tonnes of minerals, rich deposits of monazite are also available. So far, we are not able to tap the potential which do we have. So, I have question in three parts.

HON. SPEAKER: Please ask only one question.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Madam, my question is very short. Part A of my question is whether the Government has any proposal or scheme so as to exploit the entire mineral resources; and part B is whether the Government intends to diversify the Indian Rare Earth Limited, Chavara so as to produce titanium sponge, synthetic rutile and monazite processing plant.

I would also like to know from the hon. Prime Minister whether the hon. Prime Minister would take initiative to convene the meeting with the Chief Minister of Kerala so as to have a joint collaboration to exploit the entire potential of rich deposit which is in the coastal area of Kerala.

DR. JITENDRA SINGH: Madam Speaker, the hon. Member has raised a question rather raised an issue which is already in the domain of the Government's consideration. We are very well aware and in fact, we are proud of the fact that India is one of the richest sources of monazite in the world. Thorium is something which comes from monazite. As far as its availability is concerned, it is available on the sea-shores. It is a part of one of the seven associated minerals and of course, the coastal areas including those of Kerala are a potential source of it. From time to time, the exploration process is undertaken. In fact, in the current

plan, we have an exploration target of about 5,000 square kilometers out of which about 750 square kilometers has already been accomplished.

Therefore, what I am trying to submit over here is that this is an on-going process and we do take it up in a planned manner. Secondly, as far as both the second part and the third part of the question of the hon. Member is concerned, the Advanced Heavy Water Reactor, that I was referring to, in response to the earlier question, is in fact, meant to ensure an optimum utilisation of thorium. This Advanced Heavy Water Reactor which will be absolutely indigenous, made in India, will be using thorium as its core fuel. With the installation of that and that becoming functional, we could be a major supplier of thorium and a source of thorium for the rest of the world.

(Q. No. 342)

SHRI G. HARI : Respected Madam Speaker, our beloved and kind hearted leader Puratchi Thalaivi Amma believes that without a body, sufficiently skilled and balanced work force, no economy can hope to develop to its potential. This vision of our beloved leader Puratchi Thalaivi Amma paved the way for moving higher education in Tamil Nadu at an accelerated pace. Several lakhs of students belonging to weaker sections, SC/ST and differently-abled categories were benefited because of free education, text books and computers in PG and UG levels. It also helped to overall improvement of higher education and infrastructure at educational institutions across the State. The Government of Tamil Nadu earmarked Rs. 3,700 crore per year for only for the purpose of higher education and Rs.18,000 crore per year for school education. Within three years, more than 50 Government colleges were opened in Tamil Nadu. Therefore, I would like to know from the hon. Minister whether the Government is considering directing other State Governments to follow the footsteps shown by our beloved leader Puratchi Thalaivi Amma for overall improvement of higher education in their States. I would also like to know from the hon. Minister whether the Government is considering extending a helping hand to the State Government of Tamil Nadu for this better performance in the field of education.

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI): Madam Speaker, through you, I would like firstly to compliment the Member for his speech. I would also compliment the vigour with which he shared the best practices of his State. I am sure, every representative of the State can take pride in something good that we do in the field of education.

Let me say here that the Member wanted to know whether we share best practices by States in the sector of education with other States, which we do. I would also like to highlight, through you, that the hon. Member wanted to know that insofar as reform in the education sector is concerned, whether we are engaging with States, we are doing the same. In fact, on the 6th of January, I have

just instructed, three days ago, my officers to ensure that we meet all Education Ministers and all Education Secretaries with regard to reform in higher education. My compliments yet again for the Member's passion with which he spoke.

SHRI G. HARI : Madam, my second supplementary question is whether the Government is considering to give Rs.70,000 crore to State Governments over a period of time to boost State funded universities and colleges and that this fund will not be routed through the University Grants Commission. I would like to know whether the Government is considering a new mechanism for the same. This fund will be for the purpose of implementing the National Higher Education Programme. I would like to know the method to be adopted by the Government and whether the Government is also considering to revamp the UGC.

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Madam Speaker, through you, I would like to tell the hon. Member that under the *Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan*, we consult the States with regard to what Government's spend should be done in State universities. That fund is routed through the State Governments. I would also like to tell the hon. Member, through you, that his concern whether we are looking at reform and revamp of our regulator, is something that we are already working on. There is a Committee which has been set up to review the functioning of not only the UGC but also the AICTE and the NCTE.

HON. SPEAKER: Shri Pankaj Chaudhary. Where is he? He is not present. Why should he ask then?

Shri Ninong Ering.

SHRI NINONG ERING : Madam, I have read the reply of the hon. Human Resource Development Minister to the Q. No.342. Even though I am convinced, but I would just like to take some issue on the North East education. We have in the North-East Central universities in every State, we have the NITs, IITs and IIMs, but the availability of college education in the region is still a major concern. We have the example of the CMJ University in Meghalaya. Private universities are mushrooming in the North-East especially in Arunachal Pradesh. I would like

to know from the hon. Minister what measures are proposed to be taken by the Government for improvement of infrastructure and quality of education in the North-Eastern region. And is the Government considering to formulate an exclusive scheme or project for the universities of the North-East? There is a brain drain of students wherein most of the students from the North-East are coming to the other parts of India where there is a rush. We would like that the quality of education in the North-East is improved.

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Madam Speaker, through you I would like to tell the hon. Member that as a Member of Parliament I share his concern vis-à-vis the students and the education challenges vis-à-vis the North-East. The Member particularly asked whether we have pertinent schemes with regard to specific designation for the North-East. Yes, we have. We have a programme called Ishanya Vikas which is being routed through IIT Guwahati wherein all our students - specifically engineering students from North-East colleges, students from classes 9 and 11 in some cases - are being invited at the cost of the Government of India. They will be paid for for internship and interface with institutions across the country. We are also hoping that along with the students the faculty members can also be engaged in these interfacing opportunities with other universities and institutes of national importance across the country.

Madam, he also expressed concern about mushrooming of private universities wherein many students face challenges vis-à-vis infrastructure. I would like to tell the hon. Member through you, Madam, that we have on the Education Day, the 11th of November, dedicated to the nation the Know Your College portal which actually gives information about all colleges that are registered with both our regulators UGC and AICTE. That Know Your College portal itself provides opportunity for students to complain to the regulator with regard to any anomaly found in the institution once they get themselves admitted. We are giving enough importance to redressing those complaints or grievances that come through that.

SHRI BHEEMRAO B. PATIL : Hon. Speaker, Madam, as we all are aware the key to harnessing India's demographic dividend is education. Indian higher education is currently the third largest in the world, and is likely to surpass the US in the next five years and China in the next 15 years to be the largest system of higher education in the world. India's higher education, a complex structure riddled with many contradictions, still has great possibilities. Currently there are a lot of issues regarding governance and autonomy of such educational institutions which create major roadblocks in the performance and require urgent attention. There are several legal and regulatory hurdles to create quality institutions in India.

Madam Speaker, Indian School of Business in Hyderabad is the only business school from India which features in Top 20 in the Financial Times List but it cannot grant a recognized MBA due to legal and regulatory constraints. I would like to know from the Minister what steps are being taken to correct the situation in this regard.

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Madam Speaker, through you I would like to tell the hon. Member that there would be a challenge vis-à-vis granting of degree only if an institution is not registered with a regulator because it is the regulator that prescribes procedure for granting of degrees. I would not like to name an individual organization or institution here. Because the Member makes a reference to an individual institution, I would like to say that it is only when under the UGC Act of 1956 you register yourself that you get the power to grant degrees.

Secondly, Madam Speaker, the Member highlights the ranking parameters internationally of certain institutions which possibly highlight how efficient they are. Let me tell the hon. Member through you, Madam Speaker, that international rankings are a matter of debate for many countries and it is also a matter of debate within India. Hence, recognizing the fact that while we seek to uphold international standards and seek to evolve ourselves to those parameters, we are also individually within our country in consultation with all Central universities,

IIMs, IITs, NITs, IISERs and getting public suggestions and support with regard to the national ranking parameters. That is also work which is under way within the Ministry, Madam.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष जी, उच्च शिक्षा के ज्वलंत विषय पर आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वैश्विक परिदृश्य में जिस तरह से गलाकाट प्रतियोगिता चल रही है, उस परिदृश्य में हमारे उच्चतर संस्थानों की जो स्थिति है, मैं राजस्थान से आता हूं, राजस्थान के विश्वविद्यालयों के परिप्रेक्ष्य में मैं यह कह सकता हूं कि जिस तरह से विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, क्या सरकार ने इस तरह का कोई अध्ययन किया है कि भारतवर्ष के विश्वविद्यालयों में कितने शिक्षकों की कमी है और उस कमी के चलते हम किस तरह से शिक्षा को उस स्तर तक ले जा सकते हैं जिस स्तर की विश्व में आज आवश्यकता है। साथ ही साथ उस कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर क्या आपने कोई योजना बनाई है जिससे शिक्षकों की कमी को शीघ्र पूरा किया जा सके। साथ ही साथ मैं लोक सभा अध्यक्ष जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह अत्यंत गंभीर विषय है और इस विषय पर एक स्वस्थ परिचर्चा नियम 193 के अधीन इस सदन में भी होनी चाहिए ताकि विश्व भर में इस प्रतियोगिता के दौर में अपने देश के स्तर को सुधारने के लिए हम काम कर सकें।

श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से आदरणीय सांसद जी को अवगत कराना चाहती हूं कि चाहे वह उच्च शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो या स्कूली शिक्षा हो, शिक्षकों की नियुक्ति के संदर्भ में सभी राज्यों के साथ परामर्श और डेलिबरेशन पूरे वर्ष भर चलता रहता है। हम राज्यों को सलाह भी देते हैं, संकेत भी देते हैं जब शिक्षकों की संख्या में और शिक्षकों के रेगुलेराइजेशन में अथवा शिक्षकों की नियुक्ति में हमें कोई भी परेशानी या चुनौती दिखाई देती है। शिक्षकों को ट्रेन्ड करने की एक नई योजना का निर्माण के लिए भी हम इस समय अपने मंत्रालय में प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद जी से कहना चाहती हूं कि सितम्बर 12 और 13 को सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के साथ चर्चा करके शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में हमने उन्हें अवगत कराया है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की रिक्रूटमेंट जल्दी हो और फ़ैकल्टी पोजीशन वैकेंट न रहे, इसकी चिंता भी हम प्रदेश की सरकारों के साथ करते हैं।

माननीय अध्यक्ष : बहुत से सदस्य इसमें प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। यह संभव नहीं है कि सभी को समय दिया जाए। इस पर कभी भी और किसी समय चर्चा हो सकती है, आप नोटिस दे देना।

...(व्यवधान)

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: The hon. Member has suggested that he wants a discussion on the issue of higher education. I welcome it....

(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : आप नोटिस दे दीजिएगा। इस पर हम कोई भी चर्चा करेंगे।

...(व्यवधान)

(Q. No. 343)

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील : माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर बोलने का अवसर दिया है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर विस्तार पूर्वक दिया है, लेकिन चीन और पाकिस्तान की आपस में जो न्यूक्लियर डील हुई, उसके संबंध में पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि वहां के परमाणु कार्यक्रम के सर्वेसर्वा ही परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी गुप्त जानकारी दूसरे देशों को सप्लाई करते हैं और पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिकों ने 2004 में यह बात स्वीकार की है कि उन्होंने उत्तर कोरिया, ईराक और ईरान को परमाणु तकनीक दी है। दूसरे, पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा की स्थिति ऐसी है जिसमें सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिलिट्री न्यूक्लियर प्रोग्राम का अलग रहना असंभव है। इस वास्तविकता को मद्देनजर रखकर परमाणु आतंकवाद जैसी परिस्थिति से बचने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं?

श्रीमती सुषमा स्वराज : माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक चीन के द्वारा पाकिस्तान को परमाणु संयंत्र देने की बात है, 1986 में एक समझौता चाइना का पाकिस्तान के साथ हुआ था जिसके तहत उन्होंने दो रिएक्टर्स चश्मा-1 और चश्मा-2 लगाने की बात की थी। वे दोनों रिएक्टर्स 2000 तक लग गये और फिर 2010 में उन्होंने एक और समझौता उनके साथ किया जिसमें उन्होंने चश्मा-3 और चश्मा-4 के लिए डील की। उसके बाद फिर रिपोर्ट यह है कि उन्होंने एक चश्मा में, एक कराची में और एक पाकिस्तान के एक और तीसरे स्थान पर चाइना के साथ न्यूक्लियर डील की है। जहां तक माननीय सदस्य ने यह कहा कि वह उत्तर कोरिया, इराक और बाकी जगहों पर इस तकनीक को देते रहते हैं। चाइना एन.एस.जी. न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का मैम्बर है और न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के ऊपर यह पाबंदी है कि वह तब तक अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलोजी या संयंत्र एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, जब तक वह इस बारे में पूरी तरह से एहतियात न कर लें कि देने वाले देश के ऊपर पूरे के पूरे सेफगाडर्स हैं। यह चिंता भारत भी बार-बार चाइना के साथ जताता रहता है और कहता रहता है कि यह एन.एस.जी का वॉयलेशन होगा, अगर आप इस तरह का संयंत्र उन्हें देंगे या इस तरह की टेक्नोलोजी आप उन्हें देंगे।

जहां तक चाइना के साथ अपने कंसर्न्स और अपनी चिंता जताने की बात है, वह भारत देता रहता है और एन.एस.जी. ग्रुप का मैम्बर होने के कारण चाइना के ऊपर यह जिम्मेदारी भी आती है कि वह इस तरह की वॉयलेशंस न होने दे।

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील : महोदया, पाकिस्तान के साथ चीन का बढ़ता परमाणु व्यापार और सहयोग भारत के साथ-साथ पश्चिमी देशों के लिए भी चिंता का विषय है। क्योंकि ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं

कि पाकिस्तान के नये संयंत्र चालू होने से पुराने रिएक्टर्स हथियारों के लिए यूरेनियम बनाने का काम करते हैं। यह बात चिंताजनक है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो मेक इन इंडिया का कार्यक्रम घोषित किया है, जिसकी तैयारी भी जोर से चल रही है, उसके तहत हमारे भारत देश में बहुत सारे देशों के लोग व्यापार के लिए आना चाहते हैं; उसके ऊपर कुछ विपरीत परिणाम हो सकते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि इसके लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदया, भारत सरकार अपने हितों के प्रति पूरी तरह सजग है और किसी तरह का भी आघात हम अपने हितों पर नहीं होने देंगे।

SHRI M.I. SHANAVAS : With respect to collaboration of China with Pakistan regarding nuclear reactors, the hon. Minister said that the Government is very seriously looking into it.

Pakistan and China are currently in talks over a potential deal of 13 billion dollars worth of nuclear reactors. I would like to ask, through you, Madam, the hon. Minister whether India is aware of the threat with respect to internal disturbances in Pakistan and if yes, whether India would consider the strategic threat posed by the China-Pakistan nuclear cooperation move to initiate a formal complaint in the competent authorities such IAEA or the UN, and also whether the Government would propose a resolution in the UN or any other forum concerned to censure China for engaging in nuclear cooperation with Pakistan which has a history of proliferation of nuclear technologies.

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदया, मैंने जो बात कही कि तीन रिएक्टर्स की रिपोर्ट आई है, उसी को उन्होंने राशि के हिसाब से कह दिया कि 13 बिलियन डालर्स की बात है। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि अभी ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई कि जब यू.एन. या आई.ए.ई.ए. के अंदर इसके लिए कोई फॉर्मल कम्प्लेन्ट की जाए।

SHRIMATI KOTHAPALLI GEETHA : Thank you, Madam, for giving me the opportunity to put a question. The hon. Minister stated in her reply that the Government is committed to safeguarding the interests of Indian Army. I wish to state in this regard that Pakistan is stated to be amassing nuclear warheads, and according to known intelligence sources, it has crossed the number of warheads that India has and it is adding further clandestinely and surreptitiously with the

technological and financial assistance from China. By any stretch of imagination, Pakistan cannot have the wherewithal to acquire this much defence and nuclear infrastructure except with Chinese help. Further the latest Chinese attempt to become a full-fledged member of SAARC from the observer status is also to stifle Indian voice in SAARC on nuclear arms built up in Pakistan with Chinese covert attempts. Though I have full confidence on the Prime Minister about dealing with this issue in the SAARC, I would like to ask the hon. Minister through you, Madam, whether India is well-prepared for this and what steps have been taken by the Government in this regard.

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं इनके तीसरे सवाल से जवाब शुरू करूंगी कि 'Whether India is well-prepared'. Yes, India is well-prepared.

आपका दूसरा सवाल जो है कि सार्क में ऑब्ज़र्वर स्टेटस है, परंतु वह फुल-फ्लैज्ड मैम्बर बनना चाह रहे हैं तो हम उन्हें बता दें कि अगले पांच साल तक के लिए यह मोरेटोरियम है। वे केवल ऑब्ज़र्वर स्टेट ही रहेंगे और वे फ्रेश मैम्बर नहीं होने वाले हैं। जहां तक आपका पहला सवाल है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बार-बार चाइना के साथ यह मामला उठाया जाता है, लेकिन उनका कहना है कि सन् 2004 में वे एनएसजी के सदस्य बने। लेकिन उनका जो समझौता पाकिस्तान के साथ हुआ था, उसमें ग्रैंड फादर क्लॉज़ है और उस क्लॉज़ के तहत वे ये रिएक्टर्स और ये डील्स उनके साथ कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा था कि भारत सरकार पूरी तरह सजग है, पूरी तरह सतर्क है और पूरी तरह सावधान है और अपने हितों पर किसी तरह का आघात सरकार नहीं आने देगी।

HON. SPEAKER: Question No. 344.

Shri Ashwini Kumar

Not Present

The hon. Minister may lay his reply.

(Q. No. 344)

श्री भैरों प्रसाद मिश्र : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि अल्पसंख्यक घोषित करने की आबादी की सीमा क्या है? क्योंकि तमाम वर्ग ऐसे हैं, जो आज आबादी में काफी प्रतिशत ज्यादा हो गए हैं। 5% से बढ़कर 15 प्रतिशत और कहीं 20 प्रतिशत उनकी आबादी हो गई है। इसका मानक क्या है और कितनी आबादी के बाद उनको अल्पसंख्यक दर्जे से हटाने का भारत सरकार का नियम है?

डॉ. नजमा ए. हेपतुल्ला : महोदया, अभी सरकार ने इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया है कि कितनी पर्सेंटज पर होंगे तो वे माइनोंरिटीज़ कहलाएंगे। मगर जो भी हम लोगों ने स्कीमें बनाई हैं, वे उनकी इकॉनॉमिकल सिचुएशन को देख कर बनाई हैं। इसीलिए सच्चर कमेटी बनाई गई, क्योंकि सन् 2001 के सेंसस में कंपेयर टू अदर लिट्रेसी रेट 59.1 पर्सेंट था। इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया कि इनके लिए डिवेलपमेंट के प्रोग्राम बनाए जाएं।

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU : Madam, Speaker, thank you for giving me this opportunity to raise a Supplementary question. The Department of Minority Affairs has started a scheme, namely, '*Seekho aur Kamao*'. This is a skill development scheme for the minority youths. It is seen that they have already spent Rs. 16.99 crore of the total Rs. 17 crore. I would like to know as to how many students have been enrolled in this programme. The scheme also guarantees that 75 per cent of the enrolled youths are guaranteed employment. I would like to know the numbers.

डॉ. नजमा ए. हेपतुल्ला : मैडम, यह जो हमारी "सीखो और कमाओ" स्कीम है, यह काफी अर्से से चल रही है। इसके ऊपर जो हमारा खर्चा आया है, उसकी डिटेल्स मैंने सदन के पटल पर रख दी हैं। वह आप देख सकते हैं। हमारी सरकार के आने के बाद अभी हमने इस सिलसिले में एक और नया इनिशेटिव लिया है। जो हमारा नया इनिशेटिव है, उसके जरिए हमने मौलाना आज़ाद नैशनल अकैडमी फॉर स्किल के जरिए अपग्रेडेशन ऑफ द स्किल ऑफ माइनोंरिटी प्रोग्राम शुरू किया है। इसमें हमने "मानस" नाम की एक नई संस्था शुरू की है - मौलाना आज़ाद नैशनल अकैडमी फॉर स्किल। इसमें हमने पांच एमओयू साइन किए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जिन लोगों को भी हम ट्रेनिंग दें, उनको 100 पर्सेंट एंप्लॉयमेंट मिले। यह हमारी स्कीम है। इसके अलावा हम लोगों ने यह कोशिश की है कि हम दिल्ली से बाहर जा कर दूसरी जगहों पर

भी अपने ऑफिस खोलें। साउथ इंडिया में चेन्नई में हमने एक ऑफिस खोला है। जिसमें हमने तीन एमओयू साइन किए हैं। उनसे इन एमओयू के जरिए यह तय किया है कि 100 पर्सेंट उनको एंप्लॉयमेंट मिलेगा।

प्रधान मंत्री चाहते हैं कि हम दिल्ली से बाहर निकल कर लोगों तक खुद जाएं। हमारा नैक्स्ट प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है कि वैस्टर्न रीज़न में खोलने के लिए महाराष्ट्र राज्य के मुंबई में, ईस्टर्न रीज़न में खोलने के लिए कोलकाता में और नॉर्थ-ईस्ट के लिए, क्योंकि वह बहुत दूर है, उन लोगो को दिल्ली आने में परेशानी होती है तो हम खुद वहां एक ऑफिस खोल कर इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री बदरुद्दीन अजमल : महोदया, बहुत-बहुत शुक्रिया। आज मेरी खुशनसीबी है, प्रधानमंत्री जी भी सामने बैठे हैं और वे चाहते हैं कि सबका विकास सबके साथ हो।... (व्यवधान) मैं तो हमेशा आपके साथ ही रहता हूँ, आपको मालूम है।

महोदया, पहली बात तो यह है कि जिन्होंने सवाल किया, वे इत्तफाक से सदन में उपस्थित नहीं हैं, उन्होंने माइनोरिटी को अदर दैन मुस्लिम्स कर दिया। मैं समझता हूँ कि यह परम्परा हमारे यहाँ अच्छी नहीं है, लोगों को इसको बदलना चाहिए। सब एक साथ में हों, सबका विकास जब साथ करते हैं, प्रधानमंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं।

माननीय अध्यक्ष : उन्होंने जानकारी माँगी है।

श्री बदरुद्दीन अजमल : मेरा यह कहना है कि सच्चर कमेटी के बाद 15 अगस्त, 2013 को मिनिस्ट्री ऑफ माइनोरिटी अफेयर्स ने प्रोफेसर अमिताभ कुंडु की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी थी, जिसको यह काम सौंपा गया था कि इस बीच में सच्चर कमेटी में क्या-क्या चीजें रह गईं, क्या-क्या चीजें नहीं हुईं? उनको यह जिम्मेदारी दी गयी थी। प्रोफेसर कुंडु ने वर्ष 2014 में माइनोरिटी मिनिस्टर को इसकी पूरी रिपोर्ट भी दे दी है। मैं जानना चाहता हूँ कि इस मामले में क्या पहल की जा रही है? माइनोरिटीज में खासकर जो मुस्लिम माइनोरिटीज हैं, वे जिन चीजों में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में पिछड़े हुए थे, इस रिपोर्ट से अब उनको क्या फायदा मिलेगा और सरकार इस मामले में क्या पहल कर रही है?

डॉ. नजमा ए. हेपतुल्ला : महोदया, जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की 76 रिकमंडेशंस थीं। उनमें से 72 रिकमंडेशंस सरकार ने मान लीं। उसके बाद यह पता लगाने के लिए कि सच्चर कमेटी का इम्प्लीमेंटेशन क्या हुआ है, इसके लिए कुंडु कमेटी की रिपोर्ट आई थी। प्रोफेसर कुंडु ने यह रिपोर्ट हमारे मंत्रालय को सब्मिट कर दी है और यह हमारे मंत्रालय के विचाराधीन है। हम उनकी रिकमंडेशन देख रहे हैं। उनका जो ज्यादातर फोकस है, वह प्रधानमंत्री के 15 नुकाती प्रोग्राम के ऊपर है,

जो 11 मंत्रालयों और 24 प्रोग्रामों के ऊपर मुनहसिर है और अलग-अलग मंत्रालयों से उसका ताल्लुक है। हम स्टडी कर रहे हैं और यकीनन स्टडी करके हम पता लगाएंगे कि कहाँ कमियाँ हैं। अगर पार्लियामेंट को बताना होगा तो हम आपको जरूर बताएंगे।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सुधार के लिए और उनको गरीबी से निजात दिलाने के लिए जो रोजगार की, शिक्षा की योजनाएं बनाई जाती हैं, कब्रिस्तान की घेराबन्दी या जो अन्य उनसे सम्बन्धित सवाल होते हैं, क्या सिर्फ वे योजनाएं ही बन जाती हैं? उन योजनाओं के आधार पर वह पैसा सरजमीं पर नहीं पहुँचता है और यह एक छलावा बनकर रह जाता है। क्या माननीय मंत्री जी इस बारे में बताना चाहेंगी?

डॉ. नजमा ए. हेपतुल्ला : आपने पैसे के बारे में जानकारी चाही है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जौ पैसा दिया जाता है, उसका हम एक रिकॉर्ड रखते हैं। हमने डिटेल आपको बताई है कि जो पैसे हमारे अलग-अलग स्कीम्स पर खर्च हुए हैं, अगर आप उन्हें देखेंगे तो आपको इस बारे में पता लग जाएगा कि हम क्या खर्च करते हैं? नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हमारी मानीटरिंग कमेटियाँ हैं, जिनके अन्दर पार्लियामेंट और असेम्बली के मेम्बर स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटीज में रहते हैं।

मैं माननीय सदस्य को बहुत ही अदब के साथ कहना चाहती हूँ कि आप मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप अपने स्टेट में पता लगा सकते हैं और अगर आपको कहीं यह लगा है कि किसी जगह इसका उल्लंघन हुआ है तो जरूर हमें बताइयेगा।

महोदया, इसकी एक प्रॉब्लम है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट स्कीम बनाती है, पर हमारा एक फेडरल स्ट्रक्चर है, हमारी जो ऐजेंसीज हैं, वे स्टेट गवर्नमेंट पर हैं, तो इसकी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर रहती है, हर बार हम उनसे इनकी रिपोर्ट्स मँगाते हैं और उनको एग्जामिन करते हैं।

श्री मोहम्मद सलीम : मोहतरमा, मैं निहायत अदब और एहताराम के साथ आपके ज़रिये सवाल करना चाहता हूँ। प्रधान मंत्री जी और नई सरकार विकास का जो खाका आने वाले 20-30 सालों के लिए तैयार कर रहे हैं, उसमें पी.डब्ल्यू.सी. ने जो रिपोर्ट बनाई है, उसमें यह कहा जा रहा है कि जो क्रिटिकल गैप होगा, खासकर एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., माइनोंरिटीज़ और पिछड़े हुए इलाके के जो लोग हैं, बुनियादी सहूलियतें न होने के कारण आने वाले 20 सालों में ये सुविधाएँ और सहूलियतें 70 करोड़ लोग नहीं ले पाएँगे - चाहे वह तालीम हो, चाहे वह रोज़गार हो, चाहे वह स्किल हो। मैं सरकार के माइनोंरिटीज़ डिपार्टमेंट की मंत्री महोदया से पूछना चाहूँगा कि यह जो गैप है, उसको पूरा करने के लिए क्या आप

समझते हैं कि ये स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड की जो योजनाएँ हैं, बेशक बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन ये क्या काफी हैं? क्या सरकार यह बात सोच रही है कि इस गैप को कम किया जाए, ताकि जो बदतर ज़िन्दगी है, उससे इंसानी ज़िन्दगी में आने के लिए जो सहूलियत उनको मिलनी चाहिए, जो अधिकार उनको मिलना चाहिए वह उनको मिले? इसी कारण कुंडू कमेटी की रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप कुंडू कमेटी की रिपोर्ट को सदन में लाएँगे? आप कहेंगे कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो लाएँगे, लेकिन मैं मांग कर रहा हूँ कि सरकार कुंडू कमेटी की रिपोर्ट सदन में रखे जिससे पता चलेगा कि चाहे पिछली यूपीए सरकार हो या आज की सरकार हो जिसे अभी छः महीने ही हुए हैं, ने क्या काम किया है और सच्चर कमेटी के बाद, रंगनाथ कमीशन के बाद भाषण ही हुआ है या कुछ राशन भी हुआ है, कोई काम भी हुआ है। जो गैप है, वह पूरा क्यों नहीं हुआ है। कुंडू कमेटी की रिपोर्ट आप सदन में लाएँ। मौलाना आज़ाद के साथ आपका अपना रिश्ता है। मौलाना आज़ाद के नाम पर जो स्कालरशिप है, खासकर स्कालर्स की, उसमें निचली सतह पर तो स्टूडेंट्स हैं, लेकिन ऊपर आपको स्कालरशिप का रेट बढ़ाना पड़ेगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं चूँकि यूजीसी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने तो बढ़ा दिया है, लेकिन मौलाना आज़ाद स्कालरशिप को बढ़ाने की आप कब कोशिश करेंगे?

डॉ. नजमा ए. हेपतुल्ला : मैं आखिरी सवाल से शुरू करना चाहूँगी। मेरा मौलाना आज़ाद से रिश्ता है, वह अलग बात है। जो मौलाना आज़ाद ने इस मुल्क को दिया है, एजुकेशन में उन्होंने जो काम किए हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो काम किए हैं, उसी की वजह से सरकार ने उनके नाम पर स्कॉलरशिप और फाउंडेशन बनाई है। उस फाउंडेशन के तहत अभी जो स्कॉलरशिप बढ़ा दी है, वे लिंकड हैं और हम बहुत जल्दी ही उन्हीं फ़ैलोशिप्स को पैरिटी पर लेकर आना चाहते हैं।

जहाँ तक आपने एस.सी. एस.टी. और माइनोंरिटीज़ की बात की है, उनके लिए भी मैंने वित्त मंत्री से यह दरखास्त की थी कि उनमें भी पैरिटी होनी चाहिए। जितनी स्कालरशिप एस.सी. और एस.टी. को दी जाती है, उतनी ही स्कालरशिप माइनारिटी को भी उसी लैवल पर देनी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि हमारी स्कालरशिप डिमांड ड्रिवन नहीं हैं, बल्कि एस.सी. और एस.टी. के स्कालरशिप डिमांड ड्रिवन हैं। हमने वित्त मंत्री से यह रिक्वेस्ट की है और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे वित्त मंत्री आने वाले बजट में इस बात का ध्यान रखेंगे, हम इस बात पर ज़ोर देंगे।

हमारी ज्यादातर स्कीम्स एजुकेशन पर हैं चूँकि जब तक हम माइनारिटी का एजुकेशनल स्टेटस नहीं बढ़ाएँगे, तब तक उनको सोशियो इकोनॉमिक एंपावरमेंट नहीं मिल सकता। दूसरी जो हमारी स्कीमें हैं, वे सोशियो इकोनॉमिक एंपावरमेंट की हैं जिसमें हम मल्टी सैक्टरल डेवलपमेंट, जिसको हमने जन विकास

प्रोग्राम का नाम दिया है, उसके ज़रिये हम डैवलपमेंट के लिए पैसे देते हैं। इकोनॉमिक एंपावरमेंट में दूसरी जो हमारी स्कीमें हैं, उसको हम नेशनल माइनारिटीज़ डैवलपमेंट फाइनेंस कार्पोरेशन, एन.एम.डी.एफ.सी. के ज़रिये देते हैं। जैसे मैंने बताया अभी 11 नवंबर को हमने स्कीम बनाई है - मौलाना आज़ाद नेशनल एकैडमी फॉर स्किल। प्रधान मंत्री का फोकस भी स्किलिंग पर है, स्किलिंग इंडिया पर है। हम इसीलिए स्किलिंग के ऊपर ज्यादा ज़ोर दे रहे हैं ताकि एजुकेशन के साथ-साथ जो ड्रापआउट भी हो जाते हैं, वे भी अपने पाँवों पर खड़े हो सकें और अपनी ज़िन्दगी बेहतर बना सकें।

दूसरा जो हमारे मैनिफैस्टो में फोकस है कि जो स्पेशल स्किल्स हैं, जो पुश्तैनी स्किल्स हैं माइनारिटीज़ के ताल्लुक से, उनको कैसे तरक्की दी जाए, उनको कैसे प्रॉफिटेबल बनाया जाए, इसके लिए भी हमारी एक स्कीम 'उस्ताद' के नाम से है जो इसी सरकार के आने के बाद शुरू हुई है जिसके बारे में वित्त मंत्री ने बजट में बयान दिया है और 95 करोड़ रुपये हमने उसके लिए मांगा है ।

(Q. No. 345)

श्रीमती पूनमबेन माडम : अध्यक्ष जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज केवल भारत में ही नहीं बल्कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी काउंटरफेट प्रोडक्ट्स और फेक प्रोडक्ट्स बहुत बड़ी प्रब्लम के रूप में उभर कर आ रहे हैं। मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने एसोचैम की रिपोर्ट का रेफरेंस दिया है। उसी रेफरेंस के मुताबिक हमारे देश में जिस तरह से फेक गुड्स इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, it is growing at the rate double to that of the genuine products. आज भी ओवरआल मार्केट का पांच प्रतिशत फेक प्रोडक्ट्स मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्री कांट्रीब्यूट करती है। हमारे पास एसोचैम की डिटेल्ड रिपोर्ट है through which a survey was conducted for the general consumer goods. मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि ऐसी कोई सिमिलर एक्सरसाइस मंत्री जी के विभाग ने अंडरटेक की है, pertaining strictly to the electronic products and electronic manufacturing industry. अगर ऐसी कोई डिटेल है, तो मंत्री जी से डिटेल में देने की विनती करूंगी और इसके साथ-साथ एक्सचेंजर को रेवेन्यू के फार्म में लासिस हुए हैं, उसकी भी डिटेल परटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स देने की कृपा करें।

श्री रवि शंकर प्रसाद : महोदया, सम्मानित सदस्या ने जो चिंता व्यक्त की है, मैं उसे समझता हूँ। मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि इस देश में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का कंजम्पशन काफी बढ़ रहा है। मोबाइल फोन, सैट-अप बाक्स, सिम कार्ड, एलईडी लाइट्स, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स आदि, लेकिन उसके साथ ही साथ कई फेक माल भी इस देश में आते हैं। इस संबंध में कार्रवाई करने की जरूरत है। एसोचैम की रिपोर्ट आई है, मैंने अपने विभाग को निर्देश दिया है कि जल्दी ही एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक प्रोफेशनल बॉडी से इसके सही आंकड़े हमारे सामने आने चाहिए। उसकी मोनिटरिंग को मजबूत करने के लिए जहां हमने ब्यूरो आफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के आर्डर को मजबूत किया है, एक आर्डर वर्ष 2012 को निकला था, अभी हमने नवम्बर में निकाला है। हमने लैबोरेट्रीज तय की हैं, उसके स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। साथ ही साथ मोनिटरिंग कमेटी को सख्त करने के निर्देश दिया है।

महोदया, मैं एक बात सदन को बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के लोगों की मानसिकता है कि अगर कोई फेक इलेक्ट्रॉनिक गुड भी आता है तो लोग जल्दी से पहचान लेते हैं और उस चीज की मार्केट अपने आप खत्म हो जाती है। ऐसा हमने कई मामलों में देखा है, लेकिन इसमें सुधार की आवश्यकता है। हम जल्दी कार्यवाही करेंगे। जहां तक डाटा की बात है, जैसे ही रिपोर्ट आएगी, मैं वह डाटा माननीय सदस्य को प्रस्तुत कर दूंगा।

श्रीमती पूनमबेन माडम : अध्यक्ष जी, हम सभी जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी " मेक इन इंडिया " कांसेप्ट को इंडिया और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी प्रमोट कर रहे हैं। वैल्यू जेनरेशन, एम्प्लायमेंट जेनरेशन, स्किल डेवलपमेंट की जब बात कर रहे हैं, तब इतनी बड़ी मार्केट which is, if we say parallel with the genuine manufacturing industry. प्रमोट करने की जहां तक बात है, एक फोक मार्केट या काउंटरफेक्ट प्रोडक्ट्स की भी मार्केट इंडिया में एग्जिस्ट कर रही है। एक एस्टीमेटिड सर्वे है, इसमें इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड वर्ष 2020 तक आलमोस्ट 4 बिलियन यूएस डॉलर तक हो सकती है। जबकि आज हमारी मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्री, खास कर इलेक्ट्रॉनिक मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत छोटी है और हम आज की डिमांड को भी मीट-अप नहीं कर पा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए।

श्रीमती पूनमबेन माडम : महोदया, मैं अपनी बात समाप्त करने जा रही हूँ। जिस तरह से हम चल रहे हैं 100 बिलियन यूएस डॉलर्स तक हम मीट-अप कर पाएंगे। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि is the Government undertaking any strong steps or measures, giving high priority to the electronic and IT hardware manufacturing in India and channelling this illegal industry and getting it to the mainstream of our economy?

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD : The concern and the question of the hon. Member, I do understand. Yes, India has enormous potential for electronic goods.

Madam, she is right that we consume nearly 100 billion dollars worth electronic products every year in this country and we may become a market which consumes about 400 billion dollars worth electronic products. The Make in India programme has emerged from there. We have given it a lot of incentives and a lot of tax benefits which are going to increase manufacturing in India. Electronic Cluster Schemes have come and I want to inform the House that the State Governments and the Central Government have to work together. I have talked to many Chief Ministers and they are also quite excited about it. Madam, I would like to inform the House that because of our whole initiative and efforts which we have been taking, since 12th December, 2014 we have received new manufacturing proposals worth Rs. 18,637 crore in India and we have already approved proposals worth Rs. 3,284 crore and others are in the process. Therefore, our Government's

concern is three fold. The first is a good monitoring mechanism, the second is good incentives for investment and the third is to ensure that all the products are quality compliant. I am very happy to inform the House that all international companies are looking towards India because of our human resources, our quality engineers and the great market and from there has come the Make in India programme, Make in India for India and also export outside.

SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJIRAO : Madam Speaker, when we talk about fake electronic goods, we think of mobile handsets and other related products. But the major problem is of fake electronic component . India is importing almost 90 per cent of electronic components used in important systems like defence electronics, medical instruments, space programmes and other electronic systems. The quality and performance of these important systems get affected due to fake electronic goods which are mainly imported from China. I would like to ask the hon. Minister whether the Government has any plans to promote the manufacturing of semi-conductor devices which are major electronic components used in most of the electronic systems and whether the Government has any plan to manufacture or give a boost to the electronic manufacturing companies, including Government companies such as BEL, ECIL, Semi-Conductor Complex Limited which do not have any infrastructure to manufacture electronic and semi-conductor components at the moment. I would also like to know from the Minister whether the Government has any plan to promote and give a boost to private industry so that these key electronic components can be manufactured in India. I have worked in this industry since the last 38 years. I know that there is no Government company capable of manufacturing these important electronic components. So, the Government should go ahead and promote electronic components manufacturing like semi-conductor devices.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Madam Speaker, when I talk of Make in India and manufacturing in India, it also includes Government companies going

with proper alliance with private companies for investment, innovation and also for manufacturing of products.

As far as semi-conductor manufacturing is concerned, we have already approved plans for two. This is an important area. Semi-conductor means good chips. India needs to have good electronic chips for further manufacturing and other allied services. We are looking forward to these two areas very seriously. Investment proposals have come and we are processing them.

SHRI PREM DAS RAI : Madam, in line what whatever questions that have been posed to the hon. Minister, I would also like to say that electronics is one area where we still do not have the electronic eco-system in place in our country. Electronic eco-system for manufacturing involves a large amount of logistics planning which has been the hallmark of the Chinese manufacturing industry. How is that going to be brought about here? Will the Minister be able to elucidate on this?

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Madam Speaker, I would like to inform the hon. Member, that is what we are doing; that is what electronic cluster is about. I just laid the foundation stones in Bhopal and Jabalpur. I am very happy to say that the Chief Ministers of all the States have come on board. All of them want electronic cluster. I am open for Sikkim as well, if your CM talks to me. That electronic cluster, along with State Government incentive and Government of India incentive would create the ecosystem whereby investors can come and manufacturers can come. I always say, the entire country have to work together. My understanding is, if a proper ecosystem, proper manufacturing comes about, we can give employment to two crore young people in the electronic sector alone. Therefore, it is an obligation and all of us work to need together.

12.01 hrs

RESOLUTION

**Re: Inhuman killings by Terrorists in a school in Peshawar,
Pakistan on 16 December, 2014**

HON. SPEAKER: Hon. Members, I will now propose a resolution.

The House having taken note of the inhuman killings of about 141 persons including 132 innocent children who had yet to see light of their lives, by the terrorists in a school in Peshawar, Pakistan on 16 December, 2014, expresses its shock, sense of deep outrage, profound sorrow and condemns this barbaric, senseless and cowardly terrorist attack and extends its heartfelt condolences to and sympathizes with the Parliament, the Government, the People of Pakistan, the bereaved families and the injured.

The House resolves that all terrorist attacks against innocent people, especially vulnerable children, should be condemned and calls upon all the nations and each and every person with all the energies at their command to fight against all acts of terrorism in all its forms and manifestations.

I hope the House agrees.

... (*Interruptions*)

12.02 hrs**PAPERS LAID ON THE TABLE****HON. SPEAKER: Now Papers to be Laid.**

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) सोसायटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सोसायटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. L.T. 1287/16/14)

(2) (एक) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, पुणे के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, पुणे के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. L.T. 1288/16/14)

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क)(एक) आईटीआई लिमिटेड, बंगलोर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) आईटीआई लिमिटेड, बंगलोर के वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(Placed in Library, See No. L.T. 1289/16/14)

(ख)(एक) दि टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

- (दो) दि टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(Placed in Library, See No. L.T. 1290/16/14)

- (4) (एक) दि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) दि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. L.T. 1291/16/14)

THE MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (DR. HARSH VARDHAN): I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Raman Research Institute, Bangalore, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Raman Research Institute, Bangalore, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1292/16/14]

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian National Science Academy, New Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian National Science Academy, New Delhi, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1293/16/14]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Birbal Sahni Institute of Palaeobotany, Lucknow, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Birbal Sahni Institute of Palaeobotany, Lucknow, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1294/16/14]

- (4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Bangalore, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Jawaharlal Nehru Centre for

Advanced Scientific Research, Bangalore, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1295/16/14]

- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Science Congress Association, Kolkata, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Science Congress Association, Kolkata, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1296/16/14]

- (6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Association for the Cultivation of Science, Kolkata, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Association for the Cultivation of Science, Kolkata, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1297/16/14]

- (7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Institute of Nano Science and Technology, Mohali, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Institute of Nano Science and Technology, Mohali, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1298/16/14]

- (8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Satyendra Nath Bose National Centre for Basic Sciences, Kolkata, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Satyendra Nath Bose National

Centre for Basic Sciences, Kolkata, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1299/16/14]

- (9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Academy of Sciences, India, Allahabad, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Academy of Sciences, India, Allahabad, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1300/16/14]

- (10) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Vigyan Prasar, Noida, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Vigyan Prasar, Noida, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1301/16/14]

- (11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1302/16/14]

- (12) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Ocean Technology, Chennai, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Ocean

Technology, Chennai, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1303/16/14]

- (13) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Centre for Antarctic and Ocean Research, Goa, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Centre for Antarctic and Ocean Research, Goa, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1304/16/14]

- (14) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the ESSO-Indian National Centre for Ocean Information Services, Hyderabad, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the ESSO-Indian National Centre for Ocean Information Services, Hyderabad, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1305/16/14]

- (15) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Bose Institute, Kolkata, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Bose Institute, Kolkata, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1306/16/14]

- (16) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories, New Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories, New Delhi, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1307/16/14]

- (17) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Centre for Soft Matter Research, Bengaluru, for the year 2013-2014, alongwith

Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Centre for Soft Matter Research, Bengaluru, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1308/16/14]

- (18) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Institute of Advanced Study in Science and Technology, Guwahati, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Institute of Advanced Study in Science and Technology, Guwahati, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1309/16/14]

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार सिंह) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)
- (दो) इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(Placed in Library, See No. L.T. 1310/16/14)

- (2) विश्व मामलों से संबंधित भारतीय परिषद् अधिनियम, 2001 की धारा 27 के अंतर्गत विश्व मामलों से संबंधित भारतीय परिषद्, महानिदेशक, अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों (सेवा की शर्तें) विनियम, 2014 जो 3 अक्टूबर, 2014 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. आईसीडब्ल्यूए/एडमिन/ 551 / 24/2012 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. L.T. 1311/16/14)

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क)(एक) इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(Placed in Library, See No. LT 1312/16/14)

(ख)(एक) इंडियन रेअर अर्थर्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) इंडियन रेअर अर्थर्स लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(Placed in Library, See No. LT 1313/16/14)

(ग)(एक) यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादुगुडा के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादुगुडा का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(Placed in Library, See No. LT 1314/16/14)

(घ)(एक) हैण्डलूमस डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हैण्डलूमस डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की

टिप्पणियां ।

(Placed in Library, See No. LT 1315/16/14)

(ड.)(एक) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(Placed in Library, See No. LT 1316/16/14)

(च)(एक) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(Placed in Library, See No. LT 1317/16/14)

(2)(एक) इंस्टिट्यूट ऑफ मैथेमैटिकल साइंसेज, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ मैथेमैटिकल साइंसेज, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 1318/16/14)

(3)(एक) टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 1319/16/14)

(4)(एक) साहा इंस्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साहा इंस्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (Placed in Library, See No. LT 1320/16/14)
- (5)(एक) इंस्टिट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, गांधीनगर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टिट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, गांधीनगर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (Placed in Library, See No. LT 1321/16/14)
- (6)(एक) एटामिक इनर्जी एजुकेशन सोसायटी, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एटामिक इनर्जी एजुकेशन सोसायटी, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (Placed in Library, See No. LT 1322/16/14)
- (7)(एक) इंस्टिट्यूट ऑफ फिजिक्स, भुवनेश्वर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टिट्यूट ऑफ फिजिक्स, भुवनेश्वर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) इंस्टिट्यूट ऑफ फिजिक्स, भुवनेश्वर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (Placed in Library, See No. LT 1323/16/14)
- (8)(एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, भुवनेश्वर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, भुवनेश्वर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (Placed in Library, See No. LT 1324/16/14)
- (9)(एक) टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (Placed in Library, See No. LT 1325/16/14)
- (10)(एक) हरिश-चन्द्र रिसर्च इंस्टिट्यूट, इलाहाबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हरिश-चन्द्र रिसर्च इंस्टिट्यूट, इलाहाबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 1326/16/14)

(11) संविधान के अनुच्छेद 323(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 का 64वां वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) प्रतिवेदन के अध्याय 10 में उल्लिखित मामलों के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग की सलाह स्वीकार नहीं किए जाने के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन।

(Placed in Library, See No. LT 1327/16/14)

(12) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) (तीसरा संशोधन) नियम, 2014 जो 27 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 845(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No. LT 1328/16/14)

(13) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा (वरिष्ठता का विनियमन) संशोधन नियम, 2014 जो 26 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 420(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No. LT 1329/16/14)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI UPENDRA KUSHWAHA): I Beg to lay on the table:--

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Mizoram Sarva Shiksha Abhiyan Mission, Aizawl, for the year 2012-2013, alongwith Audited Accounts.
- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Mizoram Sarva Shiksha Abhiyan Mission, Aizawl, for the year 2012-2013.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 1330/16/14]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sarva Shiksha Abhiyan (Rajya Shiksha Kendra-Madhya Pradesh), Bhopal, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sarva Shiksha Abhiyan (Rajya Shiksha Kendra-Madhya Pradesh), Bhopal, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1331/16/14]

- (4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Mahila Samakhya Karnataka, Bangalore, for the year 2012-2013, alongwith Audited Accounts.
- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Mahila Samakhya Karnataka, Bangalore, for the year 2012-2013.
- (5) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in

laying the papers mentioned at (4) above.

[Placed in Library, See No. LT 1332/16/14]

- (6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Haryana School Shiksha Pariyojna Parishad (Sarva Shiksha Abhiyan), Panchkula, for the year 2012-2013, alongwith Audited Accounts.
- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Haryana School Shiksha Pariyojna Parishad (Sarva Shiksha Abhiyan), Panchkula, for the year 2012-2013.

- (7) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (6) above.

[Placed in Library, See No. LT 1333/16/14]

- (8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Lakshadweep Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan, Kavarrati, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Lakshadweep Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan, Kavarrati, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1334/16/14]

- (9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the U.T. Chandigarh Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan, Chandigarh, for the year 2012-2013, alongwith Audited Accounts.
- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the U.T. Chandigarh Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan, Chandigarh, for the year 2012-

2013.

- (10) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (9) above.

[Placed in Library, See No. LT 1335/16/14]

- (11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the U.T. Chandigarh Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan, Chandigarh, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the U.T. Chandigarh Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan, Chandigarh, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1336/16/14]

- (12) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Tamil Nadu State Mission of Education for All (Sarva Shiksha Abhiyan), Chennai, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Tamil Nadu State Mission of Education for All (Sarva Shiksha Abhiyan), Chennai, for the year 2010-2011.

- (13) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (12) above.

[Placed in Library, See No. LT 1337/16/14]

- (14) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Tamil Nadu State Mission of Education for All (Sarva Shiksha Abhiyan), Chennai, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Tamil Nadu State Mission of Education for All (Sarva Shiksha Abhiyan), Chennai, for the year 2011-2012.

(15) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (14) above.

[Placed in Library, See No. LT 1338/16/14]

(16) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Tamil Nadu State Mission of Education for All (Sarva Shiksha Abhiyan), Chennai, for the year 2012-2013, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Tamil Nadu State Mission of Education for All (Sarva Shiksha Abhiyan), Chennai, for the year 2012-2013.

(17) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (16) above.

[Placed in Library, See No. LT 1339/16/14]

(18) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sarva Shiksha Abhiyan Haryana, Panchkula, for the year 2006-2007, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sarva Shiksha Abhiyan Haryana, Panchkula, for the year 2006-2007.

(19) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (18) above.

[Placed in Library, See No. LT 1340/16/14]

(20) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the

Sarva Shiksha Abhiyan Haryana, Panchkula, for the year 2007-2008, alongwith Audited Accounts.

- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sarva Shiksha Abhiyan Haryana, Panchkula, for the year 2007-2008.

- (21) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (20) above.

[Placed in Library, See No. LT 1341/16/14]

- (22) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sarva Shiksha Abhiyan (State Project Office) Sikkim, Gangtok, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sarva Shiksha Abhiyan (State Project Office) Sikkim, Gangtok, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1342/16/14]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रामशंकर कठेरिया): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1)(एक) औरोविल्ले फाउंडेशन, औरोविल्ले के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखें।
- (दो) औरोविल्ले फाउंडेशन, औरोविल्ले के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण। (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 1343/16/14)

- (2)(एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 1344/16/14)

- (4)(एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 1345/16/14)

- (6)(एक) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, भटिंडा के वर्ष 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, भटिंडा के वर्ष 2013-14 के वार्षिक लेखाओं की

एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (तीन) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, भटिंडा के वर्ष 2013-14 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 1346/16/14)

- (7)(एक) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, शिमला के वर्ष 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, शिमला के वर्ष 2013-14 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 1347/16/14)

- (8)(एक) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जम्मू के वर्ष 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जम्मू के वर्ष 2013-14 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (तीन) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जम्मू के वर्ष 2013-14 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 1348/16/14)

- (9)(एक) इंग्लिश एंड फॉरन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) इंग्लिश एंड फॉरन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2013-14 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (तीन) इंग्लिश एंड फॉरन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2013-14 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 1349/16/14)

- (10)(एक) राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, रोना हिल्स के वर्ष 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, रोना हिल्स के वर्ष 2013-14 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, रोना हिल्स के वर्ष 2013-14 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (Placed in Library, See No. LT 1350/16/14)
- (11)(क) मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2013-14 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2013-14 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (Placed in Library, See No. LT 1351/16/14)
- (12)(एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोम्बे, मुम्बई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोम्बे, मुम्बई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (Placed in Library, See No. LT 1352/16/14)
- (13) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़, रोपड़ के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (Placed in Library, See No. LT 1353/16/14)
- (14) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (Placed in Library, See No. LT 1354/16/14)
- (15)(एक) मालवीय नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जयपुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) मालवीय नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जयपुर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)
([Placed in Library, See No. LT 1355/16/14])
- 17 (एक) स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, भोपाल के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, भोपाल के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(Placed in Library, See No. LT 1356/16/14)
- 18 (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वारंगल के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वारंगल के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(Placed in Library, See No. LT 1357/16/14)

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): On behalf of Shri Babul Supriyo, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

- (a) (i) Review by the Government of the working of the Hindustan Prefab Limited, New Delhi, for the year 2013-2014.
- (ii) Annual Report of the Hindustan Prefab Limited, New Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 1358/16/14]

- (b) (i) Review by the Government of the working of the Chennai Metro Rail Limited, Chennai, for the year 2013-2014.
- (ii) Annual Report of the Chennai Metro Rail Limited, Chennai, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 1359/16/14]

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Building Materials and Technology Promotion Council, New Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Building Materials and Technology Promotion Council, New Delhi, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1360/16/14]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Capital Region Planning Board, New Delhi, for the

year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Capital Region Planning Board, New Delhi, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1361/16/14]

(4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) issued under Section 32 of the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978:-

- (i) S.O.2445(E) published in Gazette of India dated 19th September, 2014 adding metro alignment, mentioned therein, of Hyderabad Metro Rail Corridors Phase-I Project in respect of Metropolitan area of Hyderabad to the Schedule of the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978.
- (ii) S.O.2731(E) published in Gazette of India dated 21st October, 2014 adding the metro alignment, mentioned therein, of Nagpur Metro Rail Project in respect of the metropolitan area of the Nagpur to the Schedule of the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978.

[Placed in Library, See No. LT 1362/16/14]

12.03 hrs

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS
4th Report

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): I beg to present the Fourth Report (Hindi and English versions) of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions.

12.04 hrs**STATEMENTS BY MINISTERS****(i) 'Sydney hostage crisis'.***

विदेश मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : अध्यक्ष महोदया, धन्यवाद। मुझे कल जानकारी मिली कि माननीय सदस्य श्री मल्लिकार्जुन खड्गे जी ने यह मांग की थी कि सिडनी के बंधक संकट के बारे में सरकार कुछ जानकारी दे। उसी संबंध में मैं वक्तव्य देने के लिए उपस्थित हुई हूँ, लेकिन चूंकि कल एक और घटना पेशावर में घट गई, जिसके बारे में अभी आपने सदन से प्रस्ताव पारित कराया है, उसके बारे में भी एक पैराग्राफ मैंने इसमें जोड़ दिया है। मैं आपकी अनुमति से ये वक्तव्य पढ़ना चाहती हूँ।

महोदया, आतंकवाद ने 15 दिसम्बर, 2014 को एक बार फिर अपना खौफनाक चेहरा दिखाया, जब हथियारों से लैस एक व्यक्ति ने सिडनी, आस्ट्रेलिया में 17 लोगों को बंधक बना लिया। बंधक बनाने की यह घटना सिडनी के व्यस्ततम हिस्से सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के मार्टिन प्लेस में स्थित लिंट कैफ में वहां के स्थानीय समय प्रातः 0945 पर घटी। इस कैफे में बंधकों में दो युवा भारतीय आईटी प्रोफेशनल श्री पुष्पेन्दु घोष और श्री विश्वकांत अंकिरेड्डी भी शामिल थे। ये वहां इंफोसिस के लिए वेस्टपैक बैंक के एक प्रोजेक्ट पर कार्य करते हैं, जो इस कैफे के नजदीक है। श्री घोष एक भारतीय नागरिक हैं और श्री अंकिरेड्डी भारतीय मूल के आस्ट्रेलियाई नागरिक हैं।

हमारी सरकार श्री घोष और श्री अंकिरेड्डी की सुरक्षा के लिए आस्ट्रेलियाई सुरक्षा एजेंसियों के साथ लगातार संपर्क में थी। प्रधानमंत्री जी स्वयं पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए थे और लगातार निगरानी कर रहे थे। हमने समय रहते आस्ट्रेलियाई एजेंसियों को महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध कराई जिससे उनकी पहचान हो सकी और उनकी सुरक्षा पर नजर बनाये रखी जा सकी। अध्यक्ष जी, मैंने स्वयं दिन में दो बार श्री अंकिरेड्डी की पत्नी से बात की और उन्हें हमारी सरकार की ओर से उनके पति की सुरक्षा के प्रति आश्वस्त किया। हम आस्ट्रेलिया और भारत में स्थित इंफोसिस के कार्यालयों के भी लगातार संपर्क में थे।

यह बंधक संकट 14 घंटे के बाद 16 दिसम्बर को स्थानीय समय प्रातः 2 बजे समाप्त हुआ। दोनों भारतीयों को सकुशल बचा लिया गया और उनका स्वास्थ्य ठीक है। हम संकट की इस घड़ी में उनकी बहादुरी की प्रशंसा करते हैं। हम श्रीमती शिल्पा अंकिरेड्डी की बहादुरी की भी प्रशंसा करते हैं जिन्होंने संकट की इस घड़ी में कभी आशा नहीं छोड़ी और पूरे धैर्य से काम लिया।

* Placed in Library, See No. LT 1363/16/14

जैसे ही बंधक बनाने की यह घटना प्रकाश में आई हमने सिडनी स्थिति हमारे कौंसलावास में स्थित कर्मचारियों की सुरक्षा को स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर सुनिश्चित किया। हमारा कौंसलावास इस घटनास्थल से मात्र 350 मीटर की दूरी पर स्थित है। कौंसलावास को तुरंत ही बंद कर दिया गया, लेकिन वीजा, पासपोर्ट, ओ.सी.आई. और पी.आई.ओ. कार्ड की कौंसलर सेवाओं को घटनास्थल से सुरक्षित दूरी पर जारी रखा गया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कल आस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबट से बात की और बंधक संकट से निपटने और बंधकों की रिहाई के लिए उनके कुशल नेतृत्व के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री जी ने दो निर्दोष बंधकों की मृत्यु पर उनके परिवारजनों के प्रति भी गहरी संवेदना प्रकट की।

माननीय अध्यक्ष महोदया, सिडनी में हुई यह घटना विश्व में कहीं भी हो रहे आतंकवाद के खतरे के प्रति सरकारों, समाज और व्यक्तियों के लिए एक चेतावनी है। हम स्वयं वर्ष 2001 में हमारे लोकतंत्र के इस मंदिर, संसद, पर हुए आतंकवादी हमले के शिकार रहे हैं। हमारी सरकार सभी प्रकार के आतंकवाद से लड़ने के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ है जिससे हम शांतिपूर्ण और समरस समाज में रहते हुए उन्नति कर सकें।

अध्यक्ष जी, अभी पूर्व में सिडनी में हुई घटना की गूंज थमी भी नहीं थी कि हमारे पश्चिम में पेशावर में हाल ही के दिनों का सबसे वीभत्स कत्लेआम देखने को मिला। इस अपराध का विकराल स्वरूप इस कायराना कत्लेआम से पता चलता है, जिसमें कल, इसमें 130 लिखा है, इसे 132 पढ़ा जाए, 132 मासूम स्कूली बच्चों और 9 अन्य लोगों की निर्दयता के साथ हत्या कर दी गई। सारे विश्व ने इसकी निंदा की है।

हमारी सरकार ने तुरंत कड़े शब्दों में इस आतंकवादी हमले की निंदा की। जब प्रधानमंत्री जी ने इस कायरानापूर्ण आतंकी हमले को निरर्थक अवर्णनीय निष्ठुर हरकत कहा, उस समय वह समूचे देश की भावना को व्यक्त कर रहे थे। संकट के इस समय में हमने सीमाओं और विवादों से ऊपर उठकर शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और उन तक अपनी संवेदना पहुंचाई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देर रात स्वयं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से बात की और उन्हें बताया कि भारत के लोग इस हृदयविदारक समय में पाकिस्तान के लोगों और शोक संतप्त परिवारों के दर्द और उनके अवसाद में बराबर के साझीदार हैं और संकट के इस समय में उनके साथ एकजुटता के साथ खड़े हैं।

महोदया, पिछले दो दिनों की घटनायें दो अलग महाद्वीपों में हुई हैं, दो अलग-अलग गोलाधर्मों में हुयी हैं, हमारे पूर्व और पश्चिम में हुई हैं, हताशा से भरी ये दोनों घटनाएं हमें आतंकवाद का काला चेहरा दिखाती हैं। इन दोनों घटनाओं को मिलाकर देखा जाए तो वह मानवता में विश्वास रखने वाले सभी लोगों के लिए

एक पुकार है कि वह मिलकर आतंकवाद का सूमल नाश करें। भारत इस विश्वव्यापी मुहिम में अपनी भूमिका अदा करने के लिए सदा तैयार है।

धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : क्लेरिफिकेशन नहीं होता है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मैडम, क्लेरिफिकेशन नहीं है। यहां पर थोड़ा करैक्शन की जरूरत है। अगर आप पेज - 2 के पैराग्राफ - 2 पढ़ेंगे, उसमें यह लिखा है कि “The enormity of this crime; the cowardly nature of the massacre; the barbaric brutality of killing of more than 130 innocent school children...”

माननीय अध्यक्ष : वह तो उन्होंने बता दिया है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : हमने तो क्लीयरली बता दिया कि 132 बच्चे और 9 स्टाफ मैम्बर्स, जो टीचर्स हैं।... (व्यवधान) बच्चों के बारे में ही आया है उसी में इंकलूड करके फ़ैक्चुअल होना चाहिए।... (व्यवधान) दोनों मिला कर लिखा गया है तो ठीक है।

माननीय अध्यक्ष : 9 अन्य सदस्य लिखा गया है।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : 130

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैंने कहा है कि 130 को 132 पढ़ा जाए और अन्य 9 सदस्य लिखा हुआ है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उसमें करैक्शन कर देना है, वैसे भी आपने बोल दिया है।

... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: It is okay.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : आयटम नम्बर 11, डॉक्टर जितेन्द्र सिंह, मेक ए स्टेटमेन्ट।

12.11 hrs

(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 173rd Report of the Standing Committee on Home Affairs on 'Strengthening of the Working of Ministry of Development of North-Eastern Region for effective implementation of policies, programmes, schemes and projects meant for North Eastern Region', pertaining to the Ministry of Development of North Eastern Region*

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए बनी नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं और परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के कार्यकरण को सशक्त बनाने के बारे में गृह कार्य संबंधी समिति की 173^{वीं} प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सदन के पटल पर रखता हूँ।

12.12 hrs

(iii) Status of implementation of the recommendations contained in the 112th Report of the Standing Committee on Commerce on Action Taken by the Government on the recommendations/ observations contained in the 107th Report of the Committee on Demands for Grants (2013-14), pertaining to the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry**

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Madam Speaker, I beg to lay the statement on the status of implementation of recommendations contained in the 112th Report of Standing Committee on Commerce.

The Department Related Parliamentary Standing Committee in its 112th Report has made 17 further recommendations/observations including one

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 1364/16/14

** Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 1365/16/14

observation mentioned in Chapter-IV for final reply. Action in respect of three observations/recommendations have completed, action in respect of three recommendations/observations have been under consideration, and no further action is required in respect of nine recommendations/observations and action in two paras pertains to Reserve Bank of India. A copy of the implementation report along with the final reply in respect of observations/recommendations contained in Chapter IV also are annexed herewith.

HON. SPEAKER: Now, the House will take up 'Zero Hour'.

Shri Prem Singh Chandumajra.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: I have called him first.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : उनका भी सस्पेन्शन के लिए नोटिस था।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने आपको कल भी बोलने के लिए समय दिया था और आज भी आपको बोलने के लिए समय दे दूंगी, लेकिन पहले चन्दूमाजरा जी बोलेंगे।

... (व्यवधान)

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : मैडम स्पीकर, मैं आपके माध्यम से हाउस के सामने एक संवेदनशील और गंभीर मामला लाना चाहता हूँ कि पिछले दिन 15 दिसम्बर को जीरो अवर के दौरान हमारे मित्र रवनीत सिंह जी ने यहां स्टेटमेंट दी है। गोल्डेन टेम्पल हमारा धर्म स्थान है, पवित्र स्थान है, साहिब दरबार है। उसके बारे में उन्होंने इस हाउस में असत्य बयान दी, असत्य तथ्य पेश किए कि वहां कुछ टेरिस्टों की फोटो बी.जे.पी. और अकाली सरकार ने लगाई है। ... (व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूँ कि ... (व्यवधान) एक मिनट मेरी बात सुन लें। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : रवनीत सिंह जी, कृपया।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको नहीं टोका था।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : केवल चन्दूमाजरा जी की बात रिकार्ड में जाएगी।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : मैं इस हाउस से भी कहना चाहता हूँ, देश से भी कहना चाहता हूँ कि गोल्डेन टेम्पल दरबार साहिब एक ऐसी पवित्र जगह है। ... (व्यवधान) जहां व्यक्ति की तो एक तरफ, आतंकवादियों की तो एक तरफ वहां तो किसी गुरुसाहिबान की फोटो भी नहीं है। ... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Yes, you go on. Only the speech of Shri Prem Singh Chandumajra will go on record.

(Interruptions) ...

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : वहां किसी गुरु की फोटो भी नहीं है।... (व्यवधान) वहां गुरु ग्रंथ साहब का शब्द बोला जाता है।... (व्यवधान) वहां बोले सो निहाल भी नहीं बोला जाता। इन्होंने टैरेरिस्ट की फोटो की बात का इल्जाम लगाकर हमारे पवित्र स्थानों को बदनाम करने की कोशिश की है। दरबार साहब के बाहर जो परिक्रमा है, वहां केवल दो फोटो हैं। शहीद बाबा दीप सिंह जी जो लड़ते हुए शहीद हुए और बाबा गुरबक्श सिंह जी जो अब्दाली के विरोध में लड़ते हुए शहीद हुए। इसके अलावा और किसी की फोटो नहीं है।... (व्यवधान) ... * ये यादगारों की बात कहते हैं।... (व्यवधान) बादल साहब ने जंगे आजादी की यादगार बनाई है। क्या वे टैरेरिस्ट थे?... (व्यवधान) बाबा बंदा बहादुर सिंह की फतेह मीनार चप्पड़तीड़ी में बनाई है। क्या बाबा बंदा सिंह बहादुर टैरेरिस्ट थे? ... (व्यवधान) ये इनके लिए टैरेरिस्ट हो सकते हैं, हमारे लिए वे शहीद थे। ... (व्यवधान) इस हाउस में इन्होंने गलत बयानबाजी की है। इन्हें माफी मांगनी चाहिए। ये हमारी धार्मिक भावनाओं का सवाल है। मैं खड़गे जी से निवेदन करूंगा कि अगर आप धर्म परिवर्तन की बात पर बोलते हैं, अगर आप सब धर्मों की बात करते हैं, क्या सिखों का धर्म नहीं है, क्या सिखों के धर्म स्थान नहीं हैं?... (व्यवधान) आपके लोग इस हाउस में हमारे धर्म स्थानों को बदनाम कर रहे हैं और गलत बयानबाजी करते हैं।... (व्यवधान)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA (GUNA): Madam, we have got objection to his remarks. His remarks should be expunged.

माननीय अध्यक्ष : आपकी बात हो गई है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सबकी बात नहीं होगी। उन्होंने एक बार अपनी बात रखी है। No, every now and then everybody will not speak. I am sorry.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record. It includes the speech of Shri Prem Singh Chandumajra also.

(Interruptions) ... *

HON. SPEAKER: Venugopal Ji, if you want to say something, you can say. Otherwise, no, I am sorry.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : चन्द्रमाजरा जी, आपकी बात हो गई है। आप बैठिए।

... (व्यवधान)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: Madam, his remarks should be expunged. जो इन्होंने कहा है, उसे एक्सपंज किया जाना चाहिए।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं बाद में देखूंगी, अभी बैठिए।

... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

(*Interruptions*) ... *

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA : Madam, his remarks should be expunged.

HON. SPEAKER: Nothing is going on record.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मैंने बाला है कि nothing is going on record.

... (व्यवधान)

12.19 hrs.

SUBMISSION BY MEMBERS

Re : Opening of CBSE school on 25th December, 2014 to celebrate Good Governance Day

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Madam Speaker, I am thanking you for giving me an opportunity to speak on a very important subject.

Observing Holy Christmas Day, the 25th December as Good Governance Day, has created a lot of agony and uneasiness amongst the students of the country. For the last two days we have been raising this issue with great concern but the response from the Government side is totally misleading and incorrect. The hon. Minister, Venkaiah Naiduji has replied on the floor of the House that there is no circular to say that they must run the school on the day of Holy Christmas, and

only online essay competition is organized. This is totally incorrect. The circular says, and I am quoting the circular:

“You are requested to ensure that Good Governance Day is celebrated in all JNVs under your region. A consolidated report specifying activities carried out in all JNVs is to be submitted by e-mail along with the photograph and video recording to this office on 25th December, 2014.” Madam, how can they send the video recordings and photographs of the function without opening the school? How can they send it? ... (*Interruptions*) Second, today some of the newspapers have carried the news of a letter.

माननीय अध्यक्ष : रोज-रोज न्यूज़पेपर की बात मत कहिए।

... (व्यवधान)

SHRI K.C. VENUGOPAL : I am not reading the newspaper. I am telling the House that a letter dated 12th December and signed by HRD Ministry's Joint Secretary, asked the universities and colleges to organize seminar on use of technology and innovations in promoting good governance and hold a competition on oratory on 25th December. It also announced three prizes in each category with cash prices of Rs.15,000, Rs.10,000 and Rs.5000. ... (*Interruptions*) Hon. Minister was saying that there was nothing mandatory but by this letter again stated that a comprehensive report on observance of Good Governance Day and on holding of oratory competition in university has to be sent to the Ministry by December 29.... (*Interruptions*)

I have another letter signed by the Joint Secretary, School Education also instructing to the CBSE schools for observing Good Governance Day. AICTE, IITs and IIMs are also the temples of education. They have also got the same circulars. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : रोज-रोज न्यूज़ पेपर की बात नहीं करते।

... (व्यवधान)

SHRI K.C. VENUGOPAL : The statements made by the hon. Ministers are incorrect. Now, the HRD Ministry is going with the agenda of *Sangh Parivar* by hurting the religious sentiments of the people by asking them to observe Atal ji's birthday on December 25, the holy Christmas Day. ... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Hon. Madam, from the Government I want to clarify it. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : यह क्या हो रहा है। बैठ जाइए।

...(ब्यवधान)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Madam, this is not fair. ... (*Interruptions*) He has taken my name.... (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL : Madam, I would like to ask the hon. Minister of HRD, through you, whether she is admitting the circular issued on December 12 signed by a Joint Secretary, HRD Ministry, Government of India and the circular signed by the Navodaya Commissioner.

Hon. Venkaiah ji, I respect you a lot. I also want to ask this from you. Yesterday you made a false statement before the House. We need an apologetic statement from the hon. Minister through you, Madam. ... (*Interruptions*) I would like to know the plan of the Government for December 25th is. Are you going to observe the day? I would like to have a clarification from the Government. Thank you very much. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Nobody will speak now. Everyday it can be something like that. Please sit down.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : हो गया, आप बैठ जाइए। नहीं अब कोई नहीं बोलेगा। I am sorry. Everyday it can be something like that.

...(ब्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बैठिए, कल भी मैंने कहा था, इस पर ऑब्जर्वेशन दे दिया था।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Hon. Minister, do you want to say something on this?

... (*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Madam, I want to put the record straight. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : सब लोग नहीं बोलेंगे।

...(व्यवधान)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: People should not be allowed this sort of politicization of the issues. It is a very sensitive issue. ... (*Interruptions*) I do admit it. ... (*Interruptions*) Please, bear with us. You had your say.... (*Interruptions*) Let us not mislead the country either from this side or from that side. ... (*Interruptions*) You said, 'Sangh Parivar'. ... (*Interruptions*) What is Sangh Parivar in this? ... (*Interruptions*) The entire country knows who is following the *privar* politics, family dynasty and all ... (*Interruptions*)

Madam Speaker, Shri Venugopal has raised an issue. From the Government side the other day I myself here and the Leader of the House in Rajya Sabha have clarified it. The point is that when a particular day is announced by the Government, it is observed in the institutions. If the institutions are in holidays, it is observed even at their place of residence also. Gandhi Jyanti is a holiday but essay competitions are conducted a number of times. Does it mean to say that we have no respect for Gandhi ji?... (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL : There is no Christmas Day on that day.... (*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: What can I do if my great former Prime Minister is born on the Christmas Day, which is a holiday? ... (*Interruptions*) Can I change it? ... (*Interruptions*) Karunakaran ji, you are a very senior Member. Please sit down... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Venugopal ji, is it the way? मैंने आपको दो बार, तीन बार एक ही मैटर को उठाने के लिए अलाऊ किया है। Everyday you will say something and still you are interfering like this. This is not proper.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : आप तो बैठ ही जाइए। यह क्या है, तीन लगातार इसे उठाने के लिए दे रही हूं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खडगे जी, आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खडगे : संघ का साथ, परिवार का विनाश। ... (व्यवधान)

श्री एम. वैकैय्या नायडू : फ़ैमिली के साथ कांग्रेस का विनाश, देश का विनाश। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप क्यों टोकते हैं? क्या हो गया, क्या इसका कोई मतलब है?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वैकैय्या जी, आप अपनी बात कहिए।

...(व्यवधान)

श्री एम. वैकैय्या नायडू: आप लोग बैठिए। खडगे जी और हमने आपस में कहा। इन्होंने मेरे परिवार के बारे में कहा, मैंने आपके परिवार के बारे में कह दिया, बराबर हो गया।... (व्यवधान)

Madam, there is a circular issued by the Joint Secretary. करुणाकरन जी, प्लीज़ थोड़ी करुणा दिखाइए।... (व्यवधान)

SHRI K.H. MUNIYAPPA (KOLAR): Madam, he has to take back that word. ... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) ... *

SHRI M. VENKAI AH NAIDU: If he takes back that word, I also take back my word. I have no problem. ... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Nothing except the Minister's statement will go on record.

(Interruptions) ... *

* Not recorded

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: The circular states:

“Please refer to my DO letter of even number dated 12th December 2014 regarding Observance of Birth Anniversary of Shri Atal Behari Vajpayee, former Prime Minister, as a Good Governance Day. I would request you to organize a seminar on the topic of ‘Use of Technology and Innovations in Promoting Good Governance’ and a competition of Oratory (*Bhaashan Shailee*) in such manner that Christmas holidays are not disturbed. Therefore, the celebrations relating to the Birth Anniversary of Shri Atal Behari Vajpayee may be completed prior to Christmas break by the Central Universities and Colleges under their purview.”

This is the Government’s circular. There is no question of disturbing Christmas at all. People will celebrate Christmas; people will also celebrate Shri Atal Behari Vajpayee’s Birthday as a ‘Good Governance Day’. There is no contradiction; there is no conflict; and there is no disrespect for Christmas. We will celebrate Christmas. ... (*Interruptions*) If you do not want to listen, then you can go away. What can I do? ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Venkaiah Ji, have you completed your statement?

... (*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Madam, I have to put the record straight. The circular issued on 13th April 1987 states:

“The Vidyalayas being residential in its character, there is no question of declaring holiday and sending the children to their homes except for authorized vacation period. All festivals should be celebrated in the Vidyalayas only and children should not be permitted to visit their homes during the festival time.”

This circular was dated 13th April, 1987. Who was in the Government in 1987? They must be aware that this circular was issued during the Congress regime.

So, Madam, let us not try to create unnecessary tensions in society. Let us take advantage of this House and put the factual position before the people. Christmas will be celebrated; and Vajpayee Ji’s Birthday will also be celebrated as

a 'Good Governance Day'. There is no question of changing any of these two programmes.

माननीय अध्यक्ष : डॉ. सत्यपाल सिंह।

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) ... *

12.28 hrs

At this stage, Shri Mallikarjun Kharge, Shri P. Karunakaran, Prof. Saugata Roy and some other hon. Members left the House.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : मैंने बोल दिया है।

... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record, except the submission of Shri Satyapal Singh.

(Interruptions) ... *

SHRI M. VENKAI AH NAIDU: Madam, it is a very sensitive issue and a wrong signal should not go to the country. There is no question of any disrespect towards Christmas. People should celebrate Christmas. However, they should not mislead and that too from the Lobby. They should be there in their seat and then say something. Making the charge that the Minister has misled is wrong. We have not misled anybody. People are happy and quiet. Let us not create pandemonium here and then send a wrong message to the people. Nothing is going to happen. Communal peace will be observed. Christians will celebrate Christmas; some of us may also go to their functions, and all the people will participate in Shri Vajpayee's Birthday Anniversary. That is the factual position.

* Not recorded.

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूँ। मैं लाटरी देव को प्रणाम करता हूँ क्योंकि बहुत प्रयासों के बाद आज मेरा नम्बर लगा है।

महोदया, हमारे देश के इतिहास में रामायण और महाभारत का विशेष महत्व है। मैं आपके माध्यम से माननीय पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र बागपत में स्थित रामायण और महाभारत के उन्नायकों से संबंधित स्थलों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। बागपत के पास पुरा महोदव का मन्दिर है, जहाँ भगवान परशुराम का आश्रम था। वालिनी में महर्षि वाल्मिकी का आश्रम था, जो लव-कुश की जन्म-स्थली है। महाभारत कालीन वारणावत, जो आज का वरनावा है, वहाँ लाक्षागृह है, जहाँ से पाँचों पाण्डव माता कुन्ती के साथ एक सुरंग से निकलकर बाहर आए थे। आज भी वह सुरंग पाँच हजार वर्षों के बाद भी इंटैक्ट सुरक्षित है, उस सुरंग के अन्दर मैं जाकर आया हूँ। इसी वरनावा के पास चन्दावन गाँव में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जहाँ पर खुदाई चालू है। उसके साथ-साथ बागपत के पास बड़ा गाँव में एक विश्व प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थान है, जहाँ पर फरवरी, 2015 में एक विश्वस्तरीय सम्मेलन मनाया जा रहा है। मैं भारत सरकार से विनती करता हूँ कि इन स्थलों को भारतीय पुरातत्व विभाग के अन्दर लेकर उनका संवर्धन किया जाए और इनको आकर्षक पर्यटन स्थल घोषित किया जाए।

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद) : माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मेरे संसदीय क्षेत्र से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी-अभी आदरणीय मंत्री जी भी यहाँ पर बैठी थीं, पर अभी वे चली गयी हैं। वित्त मंत्री जी ने इस वर्ष के बजट में देश के हर राज्य में एक-एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की शाखा खोलने की बात कही थी। मैंने अपनी ओर से उसी समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय स्मृति जी और सचिव को पत्र लिखा था कि मेरे संसदीय क्षेत्र औरंगाबाद के अंतर्गत जो सम्भाजी नगर है, वह एक इंडस्ट्रियल हब है, एजुकेशन हब है, टुरिज्म प्लेस है, महाराष्ट्र का टुरिज्म कैपिटल है और हमारा मराठवाड़ा का कैपिटल भी है। वहाँ पर दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का सेक्टर होने जा रहा है। हमारे यहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की शाखा हो जाए, इसके लिए मैंने उन सभी को रिक्वेस्ट किया। मेरे पास आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय स्मृति जी का भी एक्नॉलेजमेंट आया। हमारे यहाँ के चैम्बर ऑफ मराठवाड़ा इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर ने भी कई बार पत्र लिखे। मैं यह कहूँगा कि यह इतना महत्वपूर्ण विषय है, मराठवाड़ा के एजुकेशनल हब होने के कारण औरंगाबाद के सम्भाजी नगर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की शाखा होनी चाहिए। वहाँ का इंडस्ट्रियल सैक्टर, जो और बढ़ रहा है, वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट्स और बिज़नेसमेन ने रिक्वेस्ट किया कि हम लोग इसमें मदद करेंगे। इसके लिए वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट एसोसिएशन (वाल्मी)

संस्था वहाँ पर लैंड और इंफ्रास्ट्रक्चर भी देने के लिए तैयार है। दो सौ एकड़ लैंड भी देने को तैयार है। मैंने वहाँ के मुख्यमंत्री जी को भी कहा कि यह जो आई.आई.एम. का सैन्टर है, वह सम्भाजी नगर यानी हमारे औरंगाबाद में होना चाहिए। इस पर उन्होंने भी आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक छः महीने हो गये। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से और सरकार से विनती करूँगा कि यह सैन्टर यहाँ पर खुल जाए।

माननीय अध्यक्ष : खैरे जी, हो गया, ज़ीरो आवर में ज्यादा नहीं बोलते हैं।

श्री चन्द्रकांत खैरे : कृपया महाराष्ट्र सरकार को कहा जाए कि अनाउंसमेंट हुए छः महीने हो गये हैं और अभी तक कोई एक्टिविटी नहीं है। हमारे यहाँ के सभी संगठनों ने, विद्यार्थियों ने, व्यापारियों ने, इंडस्ट्री वालों ने दो दिन का अनशन डिवीज़नल कमिश्नर ऑफिस के सामने किया था। मेरी नम्र विनती है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की शाखा होनी चाहिए, यह मेरी मांग है।

श्री धनंजय महाडीक (कोल्हापुर): माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे अपने संसदीय क्षेत्र कोल्हापुर के एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। कोल्हापुर में वर्ष 2011 तक पासपोर्ट कार्यालय कार्यान्वित था। सितम्बर, 2011 में प्राइवेटाइजेशन के बाद यह टी.सी.एस. कंपनी के पास चला गया, तब से यह कार्यालय बंद है। अभी यह स्थिति है कि कोल्हापुर के लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए पुणे जाना पड़ता है, जो कोल्हापुर से 250 किलोमीटर दूर है। एक परिवार अगर एप्वाइंटमेंट मांगता है तो उस परिवार को हफ्ते में चार अलग-अलग दिन की एप्वाइंटमेंट मिलती है क्योंकि वहां पर छः जिलों का लोड है। कोल्हापुर एक समृद्ध जिला है, वहां से हजारों लोग विदेश यात्रा के लिए जाते हैं, स्टडीज के लिए हमारे युवक जाते हैं और बिजनेस के लिए भी लोग जाते हैं। मैं इस विषय में माननीय मंत्री सुषमा स्वराज जी से मिला था। माननीय मंत्री जी ने वहां तुरंत ही एक पासपोर्ट कैम्प का आयोजन कराया था जिसमें 300 लोगों का सन्निशन हुआ था, लेकिन स्थिति यह थी कि 300 लोग सन्निशन के लिए गए और 500 लोग कोल्हापुर में कार्यालय के बाहर खड़े रहे। वे चाहते थे कि उनका भी सन्निशन वहां हो, लेकिन नहीं हो पाया। मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि कोल्हापुर में जल्द से जल्द पासपोर्ट कार्यालय खोला जाए। अगर वहां सन्निशन-कलेक्शन सेंटर भी हो जाए, तब भी हमारे लोगों को सुविधा होगी।

SHRI D.K. SURESH (BANGALORE RURAL): Madam Speaker, this is a very important issue. Non-biodegradable solid waste is inundating our country across the entire landmass from North to South and East to West. Our land is being layered with such toxic waste every single minute of the day.

About 1.2 billion people every single minute are using and throwing plastic and other non-biodegradable waste including everything from food packing, gutka/supari/cigarette packing, plastic bottles, sachets, used batteries, electrical parts, disposable diapers, sanitary ware and medical waste. It is being dumped unscientifically in villages, towns and cities. This is a serious threat to our lives and well-being of every Indian irrespective of class, caste, creed or race.

The companies making non-biodegradable packaging are delighted. But it is destroying our entire landmass every second of the day unless there is an enforcement of right disposal principles. The enforcement should cover all aspects from education, awareness building, regulation, oversight aspects as well as mandates and targets to the State and local Governments.

HON. SPEAKER: You are not to read the whole page.

... (*Interruptions*)

SHRI D.K. SURESH : The *Swacch Bharat Programme* of the Government focuses mainly on the crucial issue of human sanitation and cleaning up of roads. Therefore, my question is this.

माननीय अध्यक्ष : इसमें प्रश्न नहीं करते हैं, आप अपना सुझाव रखिए।

SHRI D.K. SURESH : Does the Government have any plan to have a National Trash Mission or Programme that will comprehensively manage non-biodegradable material which is being generated at an alarming and exponentially increasing rate.

SHRIMATI M. VASANTHI (TENKASI): Madam, I thank you very much for this opportunity to represent a common important issue in this august House. Lakhs of poor people are benefited by the Prime Minister's Relief Fund which was introduced by the Union Government. So far, 11 patients of my constituency have been benefited in the current financial year.

Now, hundreds of patients from my constituency have applied for Prime Minister's Relief Fund. As per the present norm, the quota allotted to one MP constituency per annum is very less and insufficient.

In Tamil Nadu, *Makkal Mudalwar* Puratchi Thalaivi Amma has introduced a Medical Insurance Scheme and a lot of poor patients are being benefited. Compared to other States, Tamil Nadu stands first in the Medical Insurance Scheme. Even the Union Minister of Health had also appreciated our *Makkal Mudalwar* Puratchi Thalaivi Amma.

The aim of the Relief Fund is to save the life of the patient by allotting the fund at right time. In conclusion, I would urge upon the hon. Prime Minister to intervene and increase the present quota allotted to MP constituency to 70 patients per annum. He should also take steps to allot the Fund quickly so as to save the lives of patients.

श्री चिन्तामन नावाशा वांगा (पालघर): अध्यक्ष महोदया। देश का सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला और महत्वपूर्ण मुंबई-अहमदाबाद हाइवे है। यह हाइवे अभी छः लेन का है, वहां अब आठ लेन का हाइवे प्रस्तावित है।

मुंबई-अहमदाबाद के पश्चिम में, 15 किलोमीटर की दूरी पर, सांकरी महामार्ग का काम चालू है, जिसका काम गुजरात तक पूरा हुआ है, लेकिन पैसा होने के बावजूद, मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग और सांकरी महामार्ग के दरम्यान 15 किलोमीटर की दूरी पर, मुंबई-वडोडरा-द्रूतगति महामार्ग प्रस्तावित है। इस रास्ते का सर्वे भी चालू है। मेरा सवाल है कि 15 किलोमीटर के बीच में क्या तीसरे हाई-वे की जरूरत है? मेरा कहना है कि मुंबई हाई-वे आठ-लेन और सांकरी महामार्ग शुरू होने के बाद, इस महामार्ग की जरूरत नहीं है। भविष्य में सांकरी सुरक्षा के लिए सांकरी मार्ग की अत्यन्त जरूरत है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वडोडरा-मुंबई-द्रूतगति महामार्ग शुरू न करें और सांकरी महामार्ग तुरंत पूरा करें।

DR. KULMANI SAMAL (JAGATSINGHPUR): Madam Speaker, the Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana envisages opening up of bank accounts for all the families within a period of one year. Unfortunately, the left wing extremism affected Districts in Odisha have been excluded from this scheme in the first phase. As there is no proper banking service and telecom connectivity in these tribal areas, especially left wing extremism affected Districts of Odisha, the goodwill of Jan-Dhan Yojana may not be achieved.

In this regard I urge upon the Government to take special measures to open bank branches in the backward and left wing extremism affected areas of Odisha

and also to provide telecom connectivity there in order to make the Jan-Dhan Yojana successful and also to bring the tribal people of these areas to the mainstream society. Thank you.

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Madam Speaker, I would like to take this opportunity to put before the House the details of grants that are pending from the Government of India to the State Government of Andhra Pradesh.

Madam, Rs.4,018 crore by the 13th Finance Commission grants, Rs.11,313 crore from the additional Central assistance, Rs.1500 crore for the compensation for loss of revenue on account of phasing out of CST, and also Rs.12,000 crore which was promised by the former Prime Minister for the grants to cover non-plan deficit in revenue account, are pending for the State of Andhra Pradesh. Our hon. Chief Minister Shri Nara Chandrababu Naidu has written a letter on the 24th of June with a request to expedite the release of funds from the Central Government. In this connection, I would like to request the Government to expedite the release of these grants. Thank you.

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : अध्यक्ष जी, मेरे हिंगोली क्षेत्र से जुड़ा हुआ यह मामला है, जिसे मैं दूसरी बार यहां रेज कर रहा हूं। इस देश में सबसे खराब राष्ट्रीय राजमार्ग कोई है, तो वह मेरे हिंगोली क्षेत्र में है। कनेरगा, हिंगोली, कलन्तुरी, वारंगा से गुजरता हुआ यह राजमार्ग है। पिछले एक साल में, वहां पर, एक हजार से ज्यादा, एक्सीडेंट्स हुए हैं। इसके बारे में ऑफिशियली बहुत बार चर्चा भी हुई है। राज्य ने प्रपोजल भी केन्द्र सरकार को दिया है, लेकिन इस प्रपोजल के बारे में सरकार की ओर से कोई पहल नहीं हो पाई है। चीफ इंजीनियर, नेशनल हाई-वे ने केन्द्र सरकार के डायरेक्टर जनरल को भी इस बारे में लिखा है। मेरा सरकार से आग्रह है कि 70 करोड़ रुपये की मांग यहां पर की गयी है, उसके लिए सरकार से मंजूरी मिले और इस बारे में सरकार से कुछ न कुछ हमें लिखित में मिले। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री जगदम्बिका पाल जी। - उपस्थिति नहीं।

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से, मैं सरकार का ध्यान अपनी बात की ओर आकृष्ट कराना चाहूंगा। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। माननीय न्यायालय ने भी कह रखा है कि रेन-बसेरो की तत्काल व्यवस्था की जाए। हमारे संसदीय क्षेत्र संत कबीर नगर में पांच तहसीलें

पड़ती हैं। हमारे संसदीय क्षेत्र का मुख्यालय खलीलाबाद है, जहां आनन-फानन में रेल-बसेरा तो खोल दिया गया है, लेकिन गरीबों और असहायों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। दूसरी तहसील हमारी आलापुर है, तीसरी तहसील खजली है, चौथी मैधावल है, पांचवी धनघटा है, जहां अलाव और कम्बल की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है। गरीब और असहाय लोग, जो दिनभर मजदूरी करके आते हैं, उनके पास रात में रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। अतः मेरा आग्रह है कि वहां तत्काल व्यवस्था सुनिश्चित कराने की कृपा करें।

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया (टोंक -सवाई माधोपुर): अध्यक्ष जी, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं।

महोदया, मैं सदन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को रखना चाहता हूं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की विचाराधारा है कि देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर मिलें और बेरोजगारी कम हो और बेरोजगार व्यक्ति अपना और अपने परिवार का पालन पोषण सही ढंग से कर सके। हमारे देश में ज्यादातर लोग गांव में रहते हैं, इसको देखते हुए मैं माननीय लघु उद्योग और कार्मिक मंत्री जी से मेरे संसदीय क्षेत्र टोंक और सवाई माधोपुर जिले में एक कारखाना लगाने की मांग करता हूं। जिससे टोंक और सवाई माधोपुर जिले में आसपास के दो लाख बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मिल सकें। मेरे संसदीय क्षेत्र में पानी में फ्लोराइड होने के कारण ज्यादातर किसान केवल एक ही फसल उगा पाते हैं और बाकी समय खाली रहते हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र के लोगों की यह महत्वपूर्ण मांग है कि केन्द्रीय सरकार कोई योजना बनाए और वहां फैक्ट्रीयां लगाए ताकि मेरे क्षेत्र के लोगों को दिल्ली, जयपुर, नोएडा और गुडगांव इत्यादि बड़े शहरों में रोजगार के लिए धक्के न खाने पड़े। टोंक में एक लैडर फैक्ट्री थी, वह बंद कर दी गयी और सवाई माधोपुर में एक सीमेंट फैक्ट्री थी, वह भी बंद कर दी गयी है। मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी से यही मांग है।

श्री देवजीभाई गोविंदभाई फतेपारा (सुरेन्द्रनगर): अध्यक्ष जी, मेरा चुनाव क्षेत्र सुरेन्द्रनगर जिले में बखसीपस समाज की बस्ती नहीं है। लेकिन हमारे यहां एक भी केन्द्रीय विद्यालय नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से विनती है कि एक केन्द्रीय विद्यालय मेरे संसदीय क्षेत्र में भी खोला जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री राघव लखनपाल, यह स्टेट का मैटर है, इसको यहां आपको नहीं उठाना चाहिए।

श्री राघव लखनपाल (सहारनपुर) : मेरा संसदीय क्षेत्र जो कि विश्वप्रसिद्ध है, जहां मां सुंदरी मंदिर भी है और दारूल-उलुम भी है। यहां हाल ही में 13 तारीख को एक सर्राफा व्यापारी श्री सुरेन्द्र कुमार गर्ग को उनके ही प्रतिष्ठान पर सुबह के टाइम, जब बाजार भरा हुआ था, छः बदमाश वहां पहुंचे, उनको गोली से

उड़ाया, लूट की और फायरिंग करते हुए वहां से निकल गए। जिस प्रकार की घटनाएं रोज़ उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, सहारनपुर में हो रही हैं और विशेष रूप से देवबंद में हो रही हैं। कल रात वहां एक मर्डर और हो गया है। 13 तारीख की घटना के बाद एसएसपी ने वहां के कोतवाल को सस्पेंड कर दिया। क्या कोतवाल को सस्पेंड करने से उनके परिवार को न्याय मिल जाएगा, जिन्होंने अपने को खोया है?

मेरी आपके माध्यम से यह मांग है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि शायद अब वहां राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। साथ ही साथ मैं यह भी मांग करता हूं कि सुरेन्द्र कुमार गर्ग जी की जो निमर्म हत्या हुई है, बहुत ही दर्दनाक हत्या की गयी है, इसकी सीबीआई जांच करवायी जाए।

श्री लक्ष्मण गिलुवा (सिंहभूम) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

महोदया, "हो" भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के संबंध में मेरा अनुरोध है कि मैं झारखण्ड राज्य के सिंहभूम लोक सभा क्षेत्र से आता हूं, जहां हो भाषा को 70 प्रतिशत से भी ज्यादा लोग बोलते हैं। झारखण्ड राज्य के साथ ही साथ ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में भी इस भाषा का लोग उपयोग करते हैं। इन राज्यों के 25 प्रतिशत से भी ज्यादा लोग इस भाषा का उपयोग करते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि हो भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए और आदिवासी क्षेत्रों में साक्षरता का जो अभाव है, वहां साक्षरता का विकास हो। यह क्षेत्र निरक्षरता के कारण विकास से वंचित है। यहां का विकास किया जाए, इतना ही मैं अनुरोध करना चाहता हूं।

डॉ. भारतीबेन डी. श्याल (भावनगर) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया।

महोदया, हम सब जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में ज्योतिर्लिंगों का बहुत ही महत्व है। ऐसा ही एक ज्योतिर्लिंग हमारे सौराष्ट्र में समुद्र के किनारे स्थित सोमनाथ है। सोमनाथ से जुड़ने वाला नेशनल हाईवे नंबर 8-ई मेरे संसदीय क्षेत्र भावनगर में आता है। यह हाईवे बहुत ही खराब कंडीशन में है। यहां से गुजरते वक्त ऐसा नहीं लगता है कि यह कोई नेशनल हाईवे है। तलाजा से भावनगर तक का तीस किलोमीटर तक का रोड बहुत ही खराब है। वहां भावनगर से कलाजर तक, 40 कि.मी. के अंदर, नेहू के 90 के करीब स्पीड ब्रेकर भी है। वह नहीं होने चाहिए और वहां शितरंजी नदी के पुल पर एक बहुत बड़ा घुमाव भी है। वहां भी बहुत सी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, वह पुल भी इतना खतरनाक हो गया है कि वहां आगे भी दुर्घटनाएं हो

चुकी है और अब भी हो रही हैं। इसलिए आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि नेशनल हाइवे- नं. 8 ई जल्दी से जल्दी दोबारा बनवाया जाए।

श्री संतोख सिंह चौधरी (जालंधर) : माननीय अध्यक्ष जी, देश के बहुत सारे प्रांतों में जो ऑक्ट्राय है, उसको एबॉलिश कर दिया गया है और ऐसे ही पंजाब में 2006 में जो ऑक्ट्राय लगाया था, उसको एबॉलिश कर दिया था। जालंधर संसदीय क्षेत्र में जालंधर कैंट आता है और हमने बहुत बार डिफेंस मंत्रालय से अपील की कि यहां भी ऑक्ट्राय माफ की जाए। तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर श्री एंटोनी जी ने भी वर्ष 2011 में राज्य सभा में यह बयान दिया कि “The draft notification regarding stopping collection of octroi by Cantonment Board, Jalandhar has been approved by the Government.” लेकिन जो ड्राफ्ट उन्होंने एप्रूव किया, उसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया। मैं आपके माध्यम से डिफेंस मिनिस्टर से यह कहना चाहता हूं कि जालंधर कैंटोनमेंट बोर्ड के जो लोग हैं, उनको वैट भी देना पड़ता है और ऑक्ट्राय भी देनी पड़ रही है। उनको दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। मेरा अनुरोध है कि क्योंकि यहां भी पंजाब में एनडीए सरकार है, अगर पंजाब राज्य ने कमपनसेट करना है तो मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि इसको वापस लिया जाए।

श्री राजवीर सिंह (एटा): माननीय अध्यक्ष जी, मेरे जिला एटा के राजमार्ग की दशा बहुत ही दयनीय है। किसी भी प्रदेश का राजमार्ग उसकी जीवन रेखा होती है। लेकिन हमारे एटा के राजमार्ग में वह जीवन रेखा न रहकर वह मृत्यु रेखा बन चुकी है। अस्पतालों में ले जाने वाले कई मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। यहां सड़क में गड्ढे नहीं हैं बल्कि गड्ढों में सड़क है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय मार्ग जी.टी.रोड के विकास के लिए एक जीवन रेखा है परंतु अलीगढ़ से मेरे निर्वाचन क्षेत्र एटा तक राष्ट्रीय मार्ग बेहद बुरी दशा में हैं। इसमें इतने गड्ढे हैं कि एक घंटे की दूरी तीन घंटे में तय की जाती है जिसका विकास पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस जी.टी.रोड को यथाशीघ्र ठीक किया जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री महेश गिरी, अनुपस्थित।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : माननीय अध्यक्ष जी, आपने ज़ीरो ऑवर में मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

यह बहुत ही गंभीर मामला है जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। सरकारें बदलती रहती हैं लेकिन हमारी नीयत नहीं बदलनी चाहिए। 2014 फरवरी में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नवी आज़ाद जी मेरे संसदीय क्षेत्र में आए थे और उन्होंने एक घोषणा की थी कि एक नये चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना

वहां की जाएगी। उसके बाद भारत सरकार के विश्वास मेहता जो संयुक्त सचिव हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार को 19 फरवरी 2014 को चिट्ठी लिखी थी जहां उन्होंने कहा था कि: I am happy to inform you that five districts namely Chindwara, Ratlam, Shivpuri, Shahdol and Vidisha have been identified in Madhya Pradesh for opening new medical colleges. I would therefore request you to kindly look into the matter personally and furnish the MoU in respect of the identified districts for opening up of medical colleges at the earliest. यह चिट्ठी अजय तिरके, प्रिंसिपल सैक्रेटरी, हेल्थ मध्य प्रदेश को लिखी गई थी। उसके बाद 27 फरवरी को उस संस्था का शिलान्यास भी शिवपुरी में किया गया। 24 मार्च को मध्य प्रदेश सरकार ने शासन का आदेश निकाला कि डॉ. पी.के.सारस्वत को चिकित्सा महाविद्यालय का नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया। उसके बाद कलेक्टर, शिवपुरी द्वारा 12 हेक्टेअर जमीन इस संस्था के लिए आबंटित की गई और उसके बाद आज हमें यह सूचना मिली कि जो मेडिकल कॉलेजेज के लिए एमओयू भेजा गया है, उसमें शिवपुरी का नाम नहीं है। यह बहुत गलत परम्परा होगी, अगर यह परम्परा इस देश में, इस संसद में और इस सरकार के द्वारा शुरू हुई है। क्या सरकार की सोच और विचारधारा बदलनी चाहिए? यह क्षेत्र कुपोषित क्षेत्र है और ग्वालियर-चम्बल संभाग में यह केवल एक ही मेडिकल कालेज रहेगा, जो शिवपुरी में स्थापित होगा।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य मंत्री हमें आश्वस्त करें और हमें बतायें कि वह संस्था यथावत रखी जायेगी और शिवपुरी में ही यह मेडिकल कालेज स्थापित किया जायेगा। यह बहुत गम्भीर मामला है।

SHRI C. GOPALAKRISHNAN (NILGIRIS): Madam, Speaker, I thank you for giving me this opportunity to raise an important matter. With the blessings of my leader Madam Amma, I rise to request the Government to connect Mettupalayam with Chennai *via* Sathyamangalam, Gopichettipalayam, Cithod and Erode to Chennai to fulfil the genuine demand of the people of Western Tamil Nadu. Mettupalayam is about 55 kilometres from Ooty which is the capital of Niligiris district and a well-known tourist centre and also the most popular destination of Indian film industry. Tourists and local people coming to or going from Ooty have to alight at Mettupalayam and continue their further journey. Mettupalayam

lies deep in the Kongu region and it does not have rail connectivity to Erode *via* Sathyamangalam, Gopichettipalayam and Cithod.

Erode is a business centre for marketing textile products of handloom, powerloom and readymade garments in addition to turmeric which has medicinal value. The Bannari Amman Temple is a famous temple located near Sathyamangalam in Erode district which is in my parliamentary constituency of Niligiris. People throng the temple from Erode, Coimbatore and from all over Tamil Nadu throughout the year. If Mettupalayam is connected to Erode by a broad gauge line, then people can easily reach Chennai as Erode is already connected to Chennai.

At present a project to construct a new railway line from Chamrajnagar to Sathyamangalam, Gopichettipalayam and Erode is in progress. But the progress of the work is slow. The line has to be extended over a stretch of 46 kilometres. If this is completed, then Mettupalayam adjoining Ooty will be connected to Chennai by a rail line *via* Sathyamangalam, Gopichettipalayam, Cithod and Erode to Chennai at a very nominal cost. The railway line is a dire need of the local people as also the tourists.

I would like to urge upon the Government to construct this line on priority basis.

SHRI M.K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): Madam, Speaker, I thank you for giving me this opportunity to bring an important matter to the notice of this august House. This is with regard to the denial of justice and legal rights to the deposit collectors. The hon. Supreme Court accorded workmen status to these people by a judgment of 2001.

Madam, Speaker, around 400 deposit collectors are working in Kerala Gramin Bank who had been appointed by erstwhile South Gramin Bank and North Malabar Gramin Bank since the last 25 years. They have spent a majority of their lives in collecting deposits and repayments towards loan in rural areas. Now, they are getting a commission of 2.5 per cent.

In this context, the Tribunal and the hon. Supreme Court has given workmen status to the deposit collectors. But unfortunately the Kerala Gramin Bank management is repeatedly approaching the courts. The Supreme Court in their judgement has clearly given workmen status to deposit collectors and have made them eligible for PF, gratuity, medical and so on.

Madam, Speaker, through you I would like to submit that this is a clear case of denial of justice and legal rights of the deposit collectors who have worked diligently for the development of the bank. I would like to urge upon the Government of India to look into this matter and instruct the Kerala Gramin Bank to withdraw all its appeals against the deposit collectors and implement benefits like PF, Gratuity etc.

श्री सतीश कुमार गौतम (अलीगढ़) : अध्यक्ष महोदया, देश में धान का जो क्रय मूल्य लागत है, वह लागत से बहुत कम है। उसके कारण गांव के सभी किसान परेशान हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या का 65 परसेन्ट कृषि पर निर्भर करता है।

13.00 hrs.

किसानों ने साहुकारों और सरकारी बैंकों के माध्यम से जो कर्ज लिया है, उसे वे लौटाने की स्थिति में नहीं है। इस गंभीर समस्या का समाधान तुरंत निकालने की आवश्यकता है, ताकि देश का गरीब किसान आर्थिक तंगी के कारण मजबूरी में आत्महत्या जैसे कदम न उठाए।

अतः सदन के माध्यम से सरकार से मेरा अनुरोध है कि धान के क्रय मूल्य को तुरंत प्रभाव से बढ़ाने का निर्देश जारी करने की कृपा करे।

माननीय अध्यक्ष : श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को श्री सतीश कुमार गौतम द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI J.C. DIVAKAR REDDY (ANANTAPUR): Madam Speaker, I would like to draw the attention of the Government to an important issue.

Ramayapatnam Seaport is located 30 kilometre away from Ongole city, Headquarters of Prakasam district of Andhra Pradesh. It is situated on the banks of Bay of Bengal within a distance of five kilometers from NH-5. A lighthouse is also existing there.

In 2012, it was selected for development as a major seaport by the Central Government as a part of its maritime agenda to construct major ports on the east coast region to give a boost to the cargo exports and imports to be developed in 10,000 acres of land with port, ship-building and breaking units and other allied units in the area. There is also a proposal for approval by the Central Cabinet for sanctioning of a National Manufacturing and Investment Zone in Ramayapatnam area to start industrial growth and development. Earlier, on the recommendation and submission of feasibility report by the Government of Andhra Pradesh, the Ministry has considered Ramayapatnam for development as a major seaport.

Considering all the above, I urge upon the Government to augment and expedite the construction and development work of the Ramayapatnam Seaport as a world-class seaport at the earliest.

श्री हरिओम सिंह राठौड़ (राजसमन्द) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान हज़ारों की संख्या में लकवा पीड़ित व्यक्तियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जो मेरे लोक सभा क्षेत्र के बुटाटीधाम पर आते हैं। रेण रेलवे स्टेशन जो जोधपुर और जयपुर रेलवे लाइन पर है, वहां के प्लेटफॉर्म और रेल लाइन में ऊंचाई की दृष्टि से एकसमानता है। इसकी वजह से रेलगाड़ी में चढ़ने में उन व्यक्तियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपके माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन है कि इस रेल लाइन के प्लेटफॉर्म को ऊपर उठाया जाए ताकि यात्रियों को चढ़ने-उतने में सुविधा हो।

माननीय अध्यक्ष : श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को श्री हरिओम सिंह राठौड़ द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्जापुर): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान उत्तर प्रदेश में रहने वाले कोल आदिवासी समुदाय की समस्याओं की ओर आकृष्ट करते हुए बताना चाहती हूँ कि कोल आदिवासी समुदाय के लोग उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रहते हैं जैसे इलाहबाद, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, बांदा, चित्रकूट आदि। इनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखण्ड जैसे राज्यों में इन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में आज भी ये अनुसूचित जाति की श्रेणी में ही हैं। वहां पर इनका जो शैक्षणिक स्तर है, वह भी बहुत दयनीय है, जो कि मात्र 0.2 प्रतिशत है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर उत्तर प्रदेश में रहने वाले कोल आदिवासी समाज की बेटी जब विवाह कर के अन्य राज्यों में जाती है, तो उसकी संतान को वहां पर अनुसूचित

जनजाति की श्रेणी के लाभ और सुविधाएं मिलते हैं। लेकिन बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे तमाम राज्यों की इस समुदाय की बेटी जब विवाह कर के उत्तर प्रदेश में आती है, तो उसकी संतान, अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के जो लाभ और सुविधाएं हैं, उनसे वंचित रह जाती है। इस संबंध में 21 नवंबर सन् 2013 को उत्तर प्रदेश की सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ से कोल आदिवासी के मानक बिंदुओं पर सर्वेक्षण करा कर इन्हें उत्तर प्रदेश में भी अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में लाने की आख्या जनजातीय मंत्रालय, भारत सरकार को भेजी हुई है और यह सरकार के पास विचाराधीन है। आपके माध्यम से जनजातीय कार्य मंत्री से मेरा यह अनुरोध है कि इन्हें तुरंत ही उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में लाया जाए।

SHRI MD. BADARUDDOZA KHAN (MURSHIDABAD): Madam Speaker, there are some serious but small problems in Eastern Railway Division for which the people of Murshidabad District of West Bengal are suffering very much.

The railway line under the Eastern Railway Division (Sealdah-Lalgola-Sealdah Railway line) is a passenger crowded line and only three Express trains are running on this line. But those three trains have no stoppage at Dumdum Junction. Dumdum Junction is very important for us because it is connected to Metro Rail Kolkata and it is the most nearest station to Kolkata Airport. But there is no stoppage at Dumdum Junction. Some passenger trains are also running there but there is no stoppage of those trains also.

So, I request the hon. Minister, through you, to look into the matter on a serious basis and kindly sanction stoppage of Express trains in Sealdah-Lalgola-Sealdah Line in Dumdum Junction.

माननीय अध्यक्ष : भावना गवली जी, इस पर प्रश्न भी आ चुका है।

श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली (यवतमाल-वाशिम) : महोदया, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में किसान कपास का उत्पादन करते हैं और उसकी खरीद के लिए राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के माध्यम से कुछ सेंटर्स भी खोले जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से राज्य सरकार के जो सेंटर्स हैं, उनमें भारी कमी आयी हुई है। इस कारण केन्द्र सरकार के सी.सी.आई. केन्द्र के माध्यम से ही किसानों को निर्भर रहना पड़ता है। स्थानीय व्यापारियों के माध्यम से भी खरीद होती है, लेकिन जो केन्द्र और स्थानीय व्यापारियों के माध्यम से खरीद होती है, उससे किसानों को जो भाव मिलता है, वह केवल 4,500 रूपए प्रति क्विंटल मिल रहा है।

किसान का जो खर्च फसल उत्पाद के लिए होता है, वह भी उन्हें नहीं मिल पाता है। इस कारण विदर्भ के किसान आत्महत्या कर रहे हैं। उन्हें रोकने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से कपास उत्पादक किसानों को प्रति क्विंटल सात हजार रूपए का भाव दिया जाए। मैं यह माँग आपके माध्यम से सरकार से करना चाहती हूँ।

श्री राम टहल चौधरी (राँची) : महोदया, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र राँची के संदर्भ में कहना चाहूँगा कि वहाँ के कई जिलों में हाथी से काफी लोग प्रभावित हैं। दर्जनों लोगों को साल में हाथी जान से मारने का काम करती हैं। इसके अलावा जो फसल किसानों की पैदा होती है, सैकड़ों एकड़ में, जो हमारा संसदीय क्षेत्र है, जैसे अनगढ़ा है, सिल्ली है, इचागढ़ क्षेत्र है, सोनाहातू है, नामकोम आदि क्षेत्र हैं, उन सारे क्षेत्रों में हाथियों के उत्पात से लोग काफी परेशान हैं, किसान परेशान हैं। उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिलता है। अंग्रेजों के समय का जो फसल का मुआवजा है, वही मुआवजा सरकार अभी देती है।

इसलिए अभी के हिसाब से उनको मुआवजा मिलना चाहिए। जिनकी मृत्यु होती है, उनका और किसानों की जो फसल बर्बाद होती है, उसके लिए सरकार उचित मुआवजा दे, यह मेरा आपसे आग्रह है। हाथियों की रोकथाम करने की स्थायी व्यवस्था सरकार करे, यह भी मेरा आपसे आग्रह है।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): महोदया, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि आपने एक अत्यंत लोक महत्व के सुनिश्चित प्रश्न पर मुझे बोलने की अनुमति दी है।

महोदया, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि प्रायः रोजगार की दिशा में गाँव से लोग मजदूरी करने के लिए, रिक्शा चलाने के लिए, कुली का काम करने के लिए, श्रम का काम करने के लिए शहरों में आते हैं, लेकिन जिस तरह से उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, बिहार में इस मौजूदा समय में जिस तरह की ठंड है, जिस तरह की गलन है, 7 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेंपरेचर हो गया है। उस ठंड के कारण और रैन बसेरा न होने के कारण लोगों को दिल्ली की सड़कों पर, लखनऊ में राजधानी की सड़कों पर, नगर पालिकाओं में, गरीब जो दिन भर मेहनत करते हैं, ठंड में रैन बसेरे के अभाव में उनकी मौत हो रही है। लगभग 156 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है।

मैं आपके माध्यम से माँग करता हूँ कि कम से कम रैन बसेरों की सुविधा हो। चौराहों पर रात को जो श्रमिक, कुली, रिक्शा वाले हैं, उनके लिए अलाव जलाने के प्रबंध हो, क्योंकि निश्चित तौर से कल्याणकारी राज्य में एक अवधारणा है, चाहे राज्य सरकार हो, स्थानीय निकाय की सरकारें हों, वहाँ ऐसा होना चाहिए। आज रेलगाड़ियाँ, हवाई जहाज, सारा जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है, पंगु हो गया है। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न को उठाने की अनुमति दी है। केन्द्र सरकार

निश्चित तौर से इस पर संज्ञान लेगी और राज्य सरकारों को, स्थानीय निकायों को निर्देशित करेगी और टंड से होने वाली मौतों को बचाने के लिए कार्रवाई करेगी।

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2.10 p.m.

13.09 hrs

*The Lok Sabha then adjourned till Ten Minutes
past Fourteen of the Clock.*

14.14 hrs

*The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Fourteen Minutes past
Fourteen of the Clock.*

(Hon. Deputy-Speaker *in the Chair*)

MATTERS UNDER RULE 377

HON. DEPUTY-SPEAKER: Now, the House will take up Matters under Rule 377.

Shri Rakesh Singh – not present.
Shri Bharat Singh – not present.
Shri Devusinh Chauhan.

(i) Need to convert Nadiad-Kapdvaji-Modasa railway line in Gujarat into broad gauge

श्री देवुसिंह चौहान (खेड़ा) : उपाध्यक्ष जी, नडियाद-कपद्वंज-मोडासा रेलवे ट्रेन शामलाजी रेलवे स्टेशन तक जाती है। इस लाइन को ब्रॉडगेज में परिवर्तित करने की मांग दशकों से की जा रही है। इस वजह से गुड्स ट्रेन का प्रावधान नहीं हो रहा है और सारा माल-सामान सड़क के माध्यम से ले जाना पड़ता है।

कपद्वंज-मोडासा न्यू ब्रॉड गेज लेन शामलाजी तक पहुंचती है और इस 22.53 किलोमीटर के लिए 55.97 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस रूट के लिए भारत सरकार के रेल मंत्रालय को बहुत बार पत्र व्यवहार के माध्यम से आगे की कार्यवाही के लिए कहा गया है लेकिन आज तक प्रगति नहीं हुई है। इस रूट से दिल्ली से उदयपुर और गुजरात के मोडासा-कपद्वंज-नडियाद-वडोदरा-सूरत एवं मुम्बई के नागरिकों को बेहतर रेल सेवा मिलने वाली है।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Member, only whatever approved text is given, you have to read that only and not anything else.

(ii) Need to set up an Agriculture University at Rajnagar in Madhubani District, Bihar and also accord the status of Central University to Rajendra Krishi Mahavidyalaya, Pusa, Bihar to a Central University

श्री बीरेन्द्र कुमार चौधरी (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष जी, 1996-98 में भारत सरकार के तत्कालीन कृषि मंत्री श्री चतुरानन मिश्र जी ने बिहार के राजगर, मधुबनी जिला में एक कृषि महाविद्यालय की स्थापना की घोषणा की थी और इसके लिए कुछ कार्य भी आरम्भ किया गया था किंतु पिछले करीब 18 वर्षों में इस ओर कोई प्रगति नहीं हुई और इसे वैसे ही छोड़ दिया गया। अगर एक कृषि महाविद्यालय वहां खोला जाता है तो इस बाढ़ग्रस्त और अति पिछड़े इलाके के लिए यह वरदान सिद्ध होगा। वहां के विद्यार्थियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। क्षेत्र के विकास में भी यह एक अहम योगदान दे सकेगा। अनंत खेती के लिए वहां के किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा और पैदावार भी बढ़ेगी, जिससे गरीब किसान और खेतिहर मजदूरों को फायदा होगा क्योंकि इस क्षेत्र एवं पूरे बिहार में खेती के अलावा और कोई रोजगार के साधन नहीं रह गए हैं तथा खेती भी करीब छह माह पानी में ही डूबी रहती है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि राजगर में कृषि महाविद्यालय की स्थापना के लिए सभी आवश्यक कदम उठाकर जल्द से जल्द निर्माण कार्य आरंभ करवाए जाएं। इसी के साथ राजेन्द्र कृषि महाविद्यालय, पूसा, बिहार को केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय बनवाने का कार्य भी पूरा कराया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष : श्री कपिल मोरेश्वर पाटील - उपस्थित नहीं।
श्री विक्रम उसेंडी।

**(iii) Need to augment Mobile Telephone Services in
Bastar, Chhattisgarh**

श्री विक्रम उसेंडी (कांकेर): उपाध्यक्ष जी, मेरा गृह राज्य छत्तीसगढ़ वामपंथ उग्रवाद से ग्रस्त राज्य है। राज्य के बस्तर संभाग में वामपंथी उग्रवादियों के हमले की आशंका बनी रहती है जिसके चलते यहां दूरसंचार व्यवस्था का सुदृढ़ होना अति आवश्यक है। इस राज्य के सुदूर गांवों तथा वन क्षेत्रों में आम जनता के साथ निरंतर संपर्क बना रहना अति जरूरी है। बस्तर संभाग में दूरसंचार विभाग की लचर व्यवस्था के चलते आए दिन वहां की जनता परेशान रहती है। विद्युत आपूर्ति बाधित होने के बाद दूरसंचार विभाग की (बीएसएनएल) बैटरी तुरंत बंद हो जाने के चलते बात नहीं हो पाती है। बस्तर संभाग में कभी-कभी वामपंथी उग्रवादियों द्वारा बिजली काट दिए जाने से जनता को भारी परेशानी उठानी पड़ती है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि वहां निजी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों को काम करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए जिससे उग्रवाद प्रभावित इस क्षेत्र में दूरसंचार व्यवस्था दुरुस्त हो सके।

**(iv) Need to ensure adequate power supply in Taj Trapezium
Zone in Agra, UP**

श्री बाबूलाल चौधरी (फतेहपुर सीकरी) : उपाध्यक्ष महोदय, फतेहपुर सीकरी का अधिकांश क्षेत्र ताज ट्रिपोजियम जोन (टीटीजैड) मेरे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार टीटीजैड क्षेत्र के किसानों व आम जनता को 24 घंटे बिजली मुहैया कराई जाए, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों को ताक पर रखते हुए और उसकी अवहेलना करते हुए ताज ट्रिपोजियम जोन में केवल 4-5 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है, इसके चलते किसानों को सिंचाई हेतु पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है जिससे फसलें सूख रही हैं और बिजली न मिलने की वजह से पीने के पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है। इससे किसान काफी निराश व हताश हैं।

अतः सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि देश के किसानों को खास तौर पर आगरा, फतेहपुर सीकरी के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए अपने अधिकारियों को ताज ट्रिपोजियम जोन के अंतर्गत 24 घंटे बिजली सप्लाई कराने हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाए ताकि देश प्रगति कर सके।

**(v) Need to construct embankment along the course of river Yamuna in
Haryana to prevent annual floods occurring in the region
particularly in Kurukshetra Parliamentary Constituency**

श्री राजकुमार सैनी (कुरुक्षेत्र) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र कुरुक्षेत्र के हल्का रादौर, जिला-यमुनानगर के सामने यमुना नदी के किनारे बाढ़ बचाव पट्टी बनाई जाना अति अनिवार्य है। बारिश के दिनों में सारा पानी हरियाणा साइड में घुस जाता है जिससे यातायात में तो बाधा उत्पन्न होती ही है, साथ ही सड़कें भी टूट-फूट जाती हैं और भूमि कटान के कारण किसानों की हज़ारों एकड़ फसल बर्बाद हो जाती है, इस कारण किसानों की स्थिति बंद से भी बदतर होती जा रही है। इसके कारण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को हर वर्ष इस नदी के कोप का भाजन बनना पड़ता है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस समस्या के समाधान के लिए बारिश के मौसम से पहले बाढ़ बचाव पट्टी बनाई जाए ताकि लोगों व आम जनता को और अधिक परेशानी का सामना न करना पड़े।

(vi) Need to provide adequate quantity of fertiliser to farmers in Baitul and Harda Districts of Madhya Pradesh

श्रीमती ज्योति धुर्वे (बैतूल) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बैतूल के जिला बैतूल एवं जिला हरदा के किसानों को खाद की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में सोसायटी के माध्यम से 30 प्रतिशत खाद की आपूर्ति की जाती है जो किसानों के लिए पर्याप्त नहीं है तथा उन्हें महंगे दामों पर बाजार से खरीदने के लिए विवश होना पड़ता है। दोनों ही जिलों के किसान खाद की समस्या से जूझ रहे हैं।

अतः सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि यूरिया खाद की आपूर्ति 30 प्रतिशत से बढ़ा कर 60 प्रतिशत किया जाए तथा दोनों जिलों को 40 हजार मीट्रिक टन यूरिया खाद की आपूर्ति अविलम्ब की जाए ताकि किसानों को पर्याप्त यूरिया खाद मिल सके।

(viii) Need to restart operation of trains on Daboi to Chanod rail route in Chhota Udaipur Parliamentary Constituency, Gujarat

श्री रामसिंह राठवा (छोटा उदयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र छोटा उदयपुर (गुजरात) में डबोई से चानोद एक नैरो गेज रेलवे लाइन है जिसे कुछ माह से बन्द कर दिया गया है। यह रेलवे लाइन एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे लाइन है और चानोद सर्वपितृ का एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। यहां लोग देश-विदेश से सर्वपितृ तर्पण के लिए आते हैं जिसके कारण इसका महत्व और बढ़ जाता है। यह लाइन गरीब आदिवासी क्षेत्रों को जोड़ता है।

आज सरकार धर्मस्थलों को जोड़ने के लिए रेलवे ट्रैक बना रही है तथा स्पेशल ट्रेनें चलाने की योजना पर भी कार्य कर रही है, लेकिन यहां इसके विपरीत रेलवे की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने के बजाए रेलवे लाइन को ही बंद कर दिया गया जो जनहित में नहीं है। चानोद के तीर्थ स्थल होने के नाते तीर्थयात्रियों एवं आम जनता की सुविधा को देखते हुए इस रेलवे लाइन को चालू रखना सरकार का दायित्व भी बनता है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त रेलवे लाइन को तीर्थयात्रियों एवं जनता के हित में पुनः चालू किया जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri M.I. Shanavas - Not present

**(viii) Need to allocate funds for setting up of rail coach factory
at Gohana in Sonapat district, Haryana**

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी का ध्यान सोनीपत में बनने वाली रेल कोच फैक्ट्री की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा सरकार के प्रस्ताव पर 2013-14 के रेल बजट में सोनीपत के गोहाना में एक रेल कोच फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा तत्कालीन रेल मंत्री जी ने की थी। रेल मंत्री जी ने बजट भाषण में कहा था कि राज्य सरकार के सहयोग से जिला सोनीपत (हरियाणा) में सवारी डिब्बा की निर्माण यूनिट स्थापित होगी। रेल मंत्री जी ने बजट भाषण में कहा - “राज्य सरकार के सहयोग से जिला सोनीपत, हरियाणा में सवारी डिब्बा विनिर्माण यूनिट स्थापित होगी।” रेल कोच फैक्ट्री एक बड़ा उद्योग होता है। इससे सोनीपत और आस-पास के क्षेत्रों में रोजगार और जीवनयापन के विभिन्न साधनों का सृजन हो सकता है। इससे रेलवे का भी घरेलू उत्पादन बढ़ेगा और आयात भी कम होगा। हरियाणा के लोगों को, खासकर युवाओं को इस रेल कोच फैक्ट्री से काफी उम्मीदें हैं, लेकिन सरकार इसको लेकर गंभीर नहीं लग रही। सरकार ने 2014-15 के रेल बजट में इस फैक्ट्री पर काम चालू करने के लिए कोई भी धनराशि का आबंटन नहीं किया है। इस प्रस्ताव को वित्तीय आबंटन का उतना ही इंतजार है, जितना देश के लोगों को रेल कोच फैक्ट्री लगने का है। इस प्रकार की विकास परियोजनाओं पर राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए और जनहित की भावना से काम करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि गोहाना रेल कोच फैक्ट्री को वित्तीय आबंटन दिया जाए और इस पर तत्काल प्रभाव से काम चालू हो।

(ix) Need to expedite completion of Jayamkondam integrated lignite mining and power generation project in Chidambaram Parliamentary Constituency, Tamil Nadu

SHRI M. CHANDRAKASI (CHIDAMBARAM): Mr. Deputy Speaker, Sir, Jayamkondam in my Chidambaram Constituency is a very backward area. There are no industries and so unemployment is very high. The people of the area primarily rely on agriculture and they live under constant poverty and poor life standards.

Implementation of Jayamkondam integrated Lignite-mining and Power Project (JLPP) planned for the area would have been a boon for the people because of electricity and employment generation and other developmental benefits. In 1998-99, people in 13 villages gave more than 8000 acres of land for JLPP.

In 2006, the NLC volunteered to undertake the project on its own and carried out detailed exploration during 2006-08 and after making necessary geological study and Environmental Impact Assessment study it prepared a feasibility report for the project. So, the people of the area were expecting good compensation and employment opportunities. But the project has not taken shape yet and the cultivable-land acquired for this project remains unused. Now, these people are totally dismayed and disappointed. Even the issue of compensation for land has not been settled. Many financial and legal hurdles need to be tackled to make the project a success. Support and intervention of the Central Government are, therefore, very essential for the JLP-Project.

I, therefore, request the Minister of Coal to take necessary steps for the early implementation of the project.

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Suvendu Adhikari – not present.

**(x) Need to develop the Rasgovindpur airstrip in
Mayurbhanj district of Odisha**

SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): There exists an airstrip in Rasgovindpur in Mayurbhanj district of Odisha, which was constructed during World War II in the year 1940. The airstrip has since been abandoned.

The Government plans to construct 200 low cost airports to connect tier II and tier III towns in the country. I hereby urge upon the Union Government to develop the Rasgovindpur airstrip as one of the proposed 200 airports.

Not only has this airstrip got 11,000 feet concrete runway as of today, but also this airport will be a gateway to the whole of Northern Odisha connecting Balasore, Mayurbhanj, Bhadrak and Keonjhar. In addition, this proposed airport will be well connected with adjoining states like West Bengal and Jharkhand.

I further bring it to the notice of the Union Government that Odisha has consistently lagged behind in infrastructure development for the last several decades including setting up of airport.

To elaborate this, Odisha has got just one airport for its 4.19 crore population whereas several major States in our country have got on an average one airport for 70-80 lakh population.

Hence, there exists a serious disparity in terms of air connectivity in Odisha in view of the facts enumerated above. I once again strongly urge the Union Government to accord approval for the operationalization of Rasgovindpur in Amarda Road in North Odisha.

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri M. Srinivasa Rao – not present.

(xi) Need to appoint permanent teachers and other non-teaching staff in Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas in the country

SHRI B. VINOD KUMAR (KARIMNAGAR): The Government of India had started the Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas (KGBV) in the year 2004 for setting up residential schools at upper primary level for girls belonging predominately to the SC, ST, OBC under the National Programme for Education of Girls at Elementary Level (NPEEL) but later merged with Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) programme in 2007.

Thousands of schools were established under the scheme, though initially the programme was taken as a project scheme. Permanent buildings have been constructed but the teachers and other employees in these residential schools are only on contract basis and no permanent recruitment has been made. These schools are not attracting good teachers.

Hence, I request the Government to take necessary steps to recruit the teachers on a permanent basis at the earliest.

**(xii) Need for transparency in examination conducted by
the Staff Selection Commission**

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्जापुर): महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन का ध्यान कर्मचारी चयन आयोग (एस.एस.सी.) की संयुक्त स्नातक स्तरीय भर्ती, 2013 मुख्य परीक्षा में गड़बड़ी की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूँ जिसके खिलाफ 10 हजार से अधिक प्रतियोगी छात्रों ने 5 नवम्बर, 2014 को उत्तर प्रदेश के जनपद इलाहाबाद में प्रदर्शन किया तथा परीक्षा रद्द करने की मांग करते हुए कर्मचारी चयन आयोग के मध्य क्षेत्र कार्यालय में ताला जड़ दिया। छात्रों में यह आक्रोश निरन्तर बढ़ रहा है, क्योंकि क्षेत्रीय निदेशक ने 48 घंटे में कुछ न कुछ कार्यवाही करने का आश्वासन देकर भी कुछ नहीं किया। छात्रों को परीक्षा के परिणामों पर अनेक आपत्तियाँ हैं। जैसे - कर्मचारी चयन आयोग, 2013 में अनुपस्थित छात्रों का नाम री-एग्जाम के टीयर-टू की सफलता सूची में कैसे है? एक ही शहर विशेष से 40 प्रतिशत से ज्यादा छात्र कैसे परीक्षा में सफल हो रहे हैं? पिछले वर्ष की अपेक्षा कटऑफ अचानक लगभग 100 अंक तक कैसे बढ़ गया? वर्तमान समय में हो रही सी.जी.एल.-14 तथा सी.जे.एस.एल.-14 में व्यापक स्तर पर धांधली पकड़ी जा रही है। 19 जनवरी को जारी सी.जी.एल.-13 के नोटिफिकेशन में वर्णित परीक्षा प्रारूप में कैसे परिवर्तन हो गया?

प्रतियोगी छात्रों की यह माँग है कि सी.जी.एल.-13 के री-एग्जाम को तत्काल निरस्त किया जाए। टीयर-1 और टीयर-2 के परीक्षाफल एवं अंक पीडीएफ फाइल में अभ्यर्थियों के टिकट नम्बर तथा रोल नम्बर समेत जारी किए जाएं, साथ ही सीजीएल-13 के डिबार एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों की सूची को भी सार्वजनिक किया जाए।

अतः सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस प्रकरण को तत्काल संज्ञान में लेते हुए छात्रों के हित में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(xiii) Need to construct an over-bridge on level crossing in Saharsa District, Bihar

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : बिहार राज्य के सहरसा में रेलवे ऊपरगामी पुल का पांच बार शिलान्यास किया गया लेकिन अभी तक इस कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि अविलम्ब आम जनता के हित एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए सहरसा में रेलवे ऊपरगामी पुल का निर्माण कार्य जनहित में अविलम्ब शुरू किया जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Jose K. Mani - Not present.

(xiv) Need to open level crossing No. 62 on Mumbai-Nasik Rail route in the vicinity of Wasimgaon, in Bhiwandi Parliamentary Constituency, Maharashtra and also construct an over bridge at level crossing.

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील (भिवंडी) : मेरे संसदीय क्षेत्र भिवंडी (महाराष्ट्र) में सेन्ट्रल रेलवे में मुम्बई-नासिक ट्रैक में वासिनगाव के पास गेट नम्बर - 62 गत कई सालों से बन्द पड़ा हुआ है। यहां पर पूर्व से पश्चिम मुम्बई की ओर आने-जाने में यहां की जनता को काफी परेशारी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि यहां बरसात के समय जो अण्डर पास बना हुआ है, वह बरसात का पानी भर जाने के कारण बंद हो जाता है जिससे यहां पर आवागमन की समस्या उत्पन्न हो जाती है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरे क्षेत्र की जनता की मांग को देखते हुए नासिक ट्रैक पर वासिनगाव के पास गेट नम्बर - 62 को यथाशीघ्र खुलवाकर वहां पर एक रेलवे ओवर ब्रिज बनवाया जाए।

(xv) Need to start work on multipurpose project for development of various facilities in Ballia Parliamentary constituency, Uttar Pradesh

*श्री भरत सिंह (बलिया) : मैं अपने संसदीय क्षेत्र बलिया में बंद पड़े बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट को पुनः सुचारु रूप से संचालित करने के संबंध में केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ ।

मेरे संसदीय क्षेत्र बलिया के ग्राम बसन्तपुर में 215 एकड़ भूमि पर बने बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट में केन्द्र सरकार द्वारा अत्यधिक राजस्व व्यय करने के बाद भी कई महत्वपूर्ण योजनाएं जैसे कृषि अनुसंधान केन्द्र, एशिया का सबसे बड़ा फव्वारा, वन विभाग का गेस्ट हाउस, पौधशाला, अत्याधुनिक सुविधाओं से सज्जित कैन्टीन, भोजपुरी सांस्कृतिक केन्द्र तारामण्डल, हिस्ट्री म्यूजियम, वृद्धा आश्रम, चिल्ड्रेन पार्क, ऑडिटोरियम, दूरसंचार विभाग का गेस्ट हाउस, कृत्रिम झील, कृत्रिम पुल इत्यादि ठप्प पड़ी हैं । परिणामस्वरूप देश को करोड़ों रुपये की हानि उठानी पड़ रही है । प्रोजेक्ट सुचारु रूप से संचालित नहीं होने के कारण यह प्रोजेक्ट जंगल में तब्दील हो रहा है ।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस मामले में हस्तक्षेप कर बलिया में बंद पड़े बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट को पुनः शीघ्रातिशीघ्र सुचारु रूप से संचालित किया जाए जिससे क्षेत्र में रोजगार के सृजन होने के साथ-साथ नवयुवकों का पलायन बंद हो सके तथा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा । सरकार के इस कदम से बलिया के साथ-साथ आस-पास के क्षेत्रों का भी चहुँमुखी विकास भी सुनिश्चित हो सकेगा।

* Speech was laid on the Table.

14.37 hrs

COMPANIES (AMDNEMENT) BILL, 2014....Contd.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Now, the House will take up Item No. 14 – Further discussion on Companies (Amendment) Bill.

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Thank you, hon. Deputy-Speaker, Sir, for giving me this opportunity to speak on the Companies (Amendment) Bill, 2014.

Sir, the Cabinet on 2nd December, 2014 created 14 changes in the Companies Act, paving the way for tabling the amendments in the ongoing Parliament Session. The amendments are mainly aimed at making it easier to do business in India.

In the latest World Bank Report, as has been mentioned by many hon. Members in this debate, India ranks 142 out of 189 nations in terms of ease of doing business. Even though our score has improved on various parameters over last year, India is still the lowest ranked country in South Asia with Sri Lanka ranked at 99, Nepal ranked at 108, Maldives ranked at 116, Bhutan ranked at 125 and Pakistan ranked at 128. All ranked higher than India.

Sir, for our size, stature and capability, the Government should set a short-term target of getting it, at least, to the top 50 within next five years; and another target of getting into the top 10 within 10 years.

It would not be out of context to mention that for starting a business in India, 13 procedures are currently required. These include everything from obtaining a Direct Identification Number, obtaining a Digital Signatures Certificate, reserve the company name with the ROC and so on. So, 13 different procedures are required. The best in class, the top performing countries in the world, it is only five procedures. So, we should see how can we bring these 13 procedures down to five if we want to really ease of doing business.

Land acquisition for setting up of industries has its own set of procedures, thereby, making it tedious and time-consuming for both domestic and international companies; and also at times discouraging the new entrepreneurs. All the impediments from acquiring land as required to setting up industries, the procedures should be made easy, and allied approvals needed should be made seamless under single-window system with time line set. This would encourage and enable the domestic startups and foreign investments to flow in the country.

Yesterday, the Chief Minister of Andhra Pradesh has announced that under the New Industrial Policy of the State, 28 approvals would be given in just 21 days for setting up of business in Andhra Pradesh. Earlier, this would take 90 days for such approvals. He also observed that any single-window clearance should not become an additional window, which would otherwise obstruct industrial growth in the State or country for that matter.

Secondly, quite a few definitions and provisions in the company law and SEBI do not match. They need to be the same and synchronised, and the Companies Act should prevail. The SEBI should go on as per the Companies Act to avoid any confusion in understanding and misinterpreting. One example is that the definition of a 'related party' under the Companies Act and the definition in clause 49 of the SEBI regulations are not the same.

I wanted to give a couple of recommendations on the Corporate Social Responsibility obligations on industry. With effect from 1st April, 2014, every company, whether private limited or public limited, which either has a net worth of Rs.500 crore or a turnover of Rs.1000 crore or net profit of Rs.5 crore needs to spend at least two per cent of its average net profit for the immediately preceding three financial years on corporate social responsibility activities.

What I would like to suggest is that skill development also should be brought under the CSR. That way, I think if we have to grow as per the projections, if GDP is to grow at 7-9 per cent per year, by 2020, we will need 200 million or 20 crore additional skilled workforce. The only way that can happen is

for industry to become more active in skilling the people as well. So, we can allow CSR funds to be used for skill development. I think that would go a long way in helping that to happen.

Further, on the lines of the *Sansad Gram Vikas Yojana* for each Member of Parliament, our Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Chandrababu Naidu *Garu* has envisioned that various companies should involve in the development of villages by adopting villages. Country-wide implementation of the same would streamline our CSR activities and expedite development work as well.

Sir, I would like to say that any regulation or control should not stifle innovation and entrepreneurship which ultimately lead to prosperity of not only the country but also the companies. But at the same time all factors must be carefully balanced in the legislation and rule making process. They must provide the requisite comfort to investors as well as other stakeholders that are affected by business activity. And, equally, the important point in the present competitive world is that every effort has to be made on the top ranks by demonstrating better environment in ease of doing business. It is only then that we will get foreign investors, which ultimately helps in inclusive growth and re-write the growth story of our country. With these words, I conclude my observations. Thank you.

SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY (CHEVELLA): Sir, thank you for the opportunity.

Growing up I always wondered why companies were called 'Limited' like ABC Airport Limited and XYZ Steels Limited. It is because companies want to grow and increase their market share and have a bigger market share ever. But still they are called 'Limited'. Then, I came to know the word 'Limited' does not apply to their growth or to their aspiration. It applies to the liabilities of the owner directors, which means, companies can do unlimited damage, unlimited fraud but the liabilities of the owner directors are limited. This is prevalent world over, and there it is required because if a damage is accidental, they should be protected.

But I come from the former State of Andhra Pradesh where several limited companies have done massive frauds and have gotten away. They have siphoned off money and they have invented several siphons. 'Related party transaction' is one such siphon. They reduced the limit of 75 per cent to 50 per cent. That is very good because a minority shareholder can object to a majority doing a related party transaction. So, that is actually very good. But there is one flaw here. If you go to any company and look at their promoter group shareholding, it shows 50 or 60 or 70 per cent. But even in the quota of minority shareholding, they hold controlling shares. So, I think we need to examine that as to what and who exactly control the minority shareholding. So, that is very crucial. So, that is a loophole that they cannot get around.

The second point is relating to sub-section 12 of Section 1. In the Principal Act, there is some inconsistency. The inconsistency is that it uses these words 'immediately' and 'within such time'. It says, "If an auditor of a company finds a fraud, he shall immediately report the matter to the Central Government within such time". Is it 'immediately' or is it 'within such time'? No lawyer can tolerate it and definitely Shri Arun Jaitley cannot tolerate it. He had an option of either removing one of the words. My suggestion is that he should have removed 'within

such time' instead of 'immediately'. When a fraud happens, if it is not reported immediately, if it is reported after it becomes a public issue, if it is reported after they have taken deposit from public or if it is reported after they have taken a bank loan, I think it becomes too late. I would request the Finance Minister to insert 'immediately' instead of 'after specified period'.

Lastly, in Telangana we are introducing the real Single Window. These amendments are aimed at easing the business environment. Therefore, we support such amendments and we support the Bill. Thank you.

SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI (TIRUPATI): Thank you, Chairman, for giving me this opportunity. Our party heartily welcomes most of the amendments that are brought in the Companies Act. However, I have few observations to make here. On several fora the hon. Finance Minister, who is quite intelligent, has mentioned that the inter-ministerial consultations will be done, particularly between the Finance Ministry, Corporate Affairs Ministry and the Law Ministry whenever any legal matter comes up

My earlier speaker has mentioned that there are some discrepancies between SEBI and the Companies Act. Similarly, in the later part, I mentioned that some discrepancies are coming up in cost accountancy and the chartered accountancy. Since the Finance Minister has indicated in his speeches earlier, I presume that inter-ministerial consultations have been done in this regard as well.

On several platforms, the Finance Minister mentioned that he would adopt transparency in most of the Acts. Generally, I appreciate that. But, when it comes to the Board resolutions, they were not transparent. I do not see any reason why the Board resolutions after entering into the registry should remain secret.

Similarly, hon. Minister has mentioned that international practices would be brought into India. He mentioned it three-four months ago. But, I do not see that these international practices have gone into these amendments in the proposed Bill.

Sir, Bills like this are extremely intricate and complicated. I earnestly request the Government through you that when such Bill comes up, people like us would like to understand it more. So, outside of office hours of Parliament a small brief may be given to educate us in future.

My next point is about the auditors, who after the Satyam episode, are looked at in a suspicious manner. Since auditors and cost accountants are part of it, their interests should also be protected if they have committed anything unwittingly.

The World Bank on repeated occasions has mentioned that how difficult it is to start a business in India. When in other countries it could take just a few weeks to start a business, in India it takes at least 10 to 12 months to start a company. Similarly, the companies have to pay 60 to 70 per cent of their profit towards whereas in other countries at best they pay 35 to 40 per cent. The companies have to cross, at least, 40 Acts before they pay taxes and all that, whereas in other countries this number is around eight. The World Bank has clearly mentioned it, and also it has appeared in most of our proceedings.

With regard to revaluation reserves, the amendment might bring down the dividends, and also the salary and remuneration aspects. Perhaps, a thought may be given to that.

When companies are particularly exploiting the natural resources, I think the managerial remuneration should be restricted. For example, when the Reliance is exploiting oil, which is a natural resource and pertains to everybody here, the managerial remuneration which runs into crores and crores of rupees, should be restricted and that money could be converted or transferred to the CSR funds.

The earlier speaker was also mentioning that it is extremely important that we should draw out a format, as far as CSR is concerned. Many companies, despite whatever profit they are making, are going away without doing much concrete work. Therefore, things like housing, roads, drinking water, sanitation and education should also be made compulsory, at least, in and around the villages where the company concerned is flourishing.

The dividend up to seven years, it is contemplated here, cannot be transferred into the Investors' Education and Protection Fund. I consider that it is too long a period. That could be reduced to three or five years. The reason is that

as and when they do not claim, it could be paid later even from this fund. So, along with the interest, the money could go to the Government and to the public.

Under the present amendments, the relevancy of cost accountancy has also been made 'zero'. If you want good fiscal behaviour, the hon. Minister has been repeatedly mentioning the importance of cost accountants, they should be retained. Thank you.

SHRI ABHIJIT MUKHERJEE (JANGIPUR): Sir, I thank you very much for giving me this chance to speak on this Bill.

The Companies Act was amended in 2013, and in less than a year, I do not understand why this amendment has been brought in a hurry. These amendments should have been discussed or rather thought deeply because industry bodies or trade bodies will keep on asking for some kind of amendment as some amendments will help them and some amendments may not help them.

I am coming directly to the proposed amendments. Section 76 (a) outlines the penalty on non-payment of dues by deposit companies. It has been mentioned that if a company fails to make the payment within the stipulated time when it is due, a fine of not less than minimum one crore of rupees and a maximum of Rs. 10 crore will be imposed. Here, my submission is that the minimum fine is all right. However, in respect of the higher limit of Rs. 10 crore, it should be proportionate to the damage or the dues supposed to be given to the depositors. It should be made proportional. The Board of Directors as well as the individual Directors should be made responsible, and the money should be given back to the depositors. I feel this provision should be incorporated in the amendments.

Section 185 relates to loans to subsidiary companies. It must also be ensured that a loan given to a subsidiary or a sister concern should not be misused. It should not be siphoned out to other companies forgetting the purpose for which it was taken. The purpose can not be served; then, the loan should be given back. Any sort of siphoning from one company to another sister company should be avoided.

I have one of the most important points where this amendment is silent about. There is no provision of gender sensitisation. Usually, the policies evolved are men oriented leading to subtle gender discrimination. In our daily life, inadvertently or unknowingly, decisions are taken which lacks gender sensitisation. A provision must also be brought to have the gender sensitisation and I rather request you to make it compulsory. Many doctors, engineers and

other professionals are coming out of universities/colleges. Women should be given a minimum of 30 per cent reservation in all public sector companies or in Government.

Since I was in industry for a long time, I have seen that regular works are being done by the contract labourers where regular employees are enjoying and not working. There must be a provision in the Companies Act that the regular work should be done by the regular employees and not by the contract labourers. Contract labourers are, in fact, being exploited both by the organisations/companies and the trade unions. To give them protection, you must ensure that contract labourers are not allowed to do any kind of job which the regular workers are supposed to do particularly in the steel industry and coal industry. These industries are labour intensive and are misusing the contract labourers. These organisations are saving a lot of money by getting done the regular job by assigning it to the contract labourers.

I have another point to make. Two speakers have already spoken on this point that is Corporate Social Responsibility. The Corporate Social Responsibility says that something has to be given back to the society. The quantum percentage is two per cent of the net profit. The companies are propagating to increase their business and propagation of business should not be included in the Corporate Social Responsibility Scheme. One of the Speakers was saying that it (CSR) should be done in the periphery of the company, I am in agreement with it.

Sir, two per cent of the net profit should be the minimum limit and it should be left optional to the companies for upper limit. They may like to spend more than two per cent also. This scheme should be dovetailed with the Government schemes like constructing toilets in girls' schools. Since, my time is over, I am concluding. Thanks Sir.

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, आपने मुझे कंपनीज अमेंडमेंट ऐक्ट, 2014 पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जिस हिसाब से कंपनीज ऐक्ट, 2013 लागू किया गया था, उसमें कुछ कमियाँ रह गयी थीं, इसलिए यह अमेंडमेंट लाना जरूरी था। पहले कंपनीज ऐक्ट, 1956 लागू था, उसमें कुछ चेंजेज करके, कुछ सेक्शंस कम करके 2013 का ऐक्ट लाया गया। इस नये ऐक्ट में जो प्रैक्टिकल दिक्कतें आ रही थीं, उसको दूर करने के लिए अभी यह अमेंडमेंट लाया गया है। इसके लिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। मैं आपके माध्यम से एक विशेष बात कहना चाहता हूँ कि जो पुराना कंपनीज ऐक्ट था, जो दो तरह की कंपनी होती हैं, एक प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी पब्लिक लिमिटेड। एक में पब्लिक का पैसा लगा होता है, पब्लिक से मांग कर पैसा लिया जाता है, उनको योजना के बारे में बताकर पैसा लिया जाता है, पब्लिक से शेयर होल्डिंग ली जाती है और जो फैमिली मेम्बर या रिस्तेदार आपस में मिलकर जो कंपनी बनती है, उसमें पब्लिक का कोई पैसा नहीं लगता, इस तरह से प्राइवेट कंपनी बनती है। वर्ष 1956 के ऐक्ट में प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए बहुत एग्जेम्पशंस थे क्योंकि उसमें पब्लिक का कोई पैसा नहीं होता था और कुछ न कुछ अपने परिवार को मिलने वाला, जैसे कुछ डिपोजिट लेनी है, तो किसी से भी लिया जा सकता था क्योंकि उसमें पब्लिक के साथ फ्रॉड होने का कोई चांस नहीं था।

15.00 hrs

इसलिए उनको सेक्शन 73 में जो डिपॉजिट लेने का रूल है, उससे छूट प्राप्त थी, लेकिन इस नए बिल में उसे बंद कर दिया गया। इसकी वजह से प्राइवेट कंपनीज की वर्किंग में बहुत दिक्कत आएगी। वे कहीं से कुछ फण्ड्स लेते थे जैसे अपने रिश्तेदारों से, मिलने वालों से, डायरेक्टर्स के परिवारवालों से लेते थे, लेकिन अब वे ऐसा नहीं कर सकेंगे। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस बारे में विचार करें क्योंकि प्राइवेट कंपनीज को दिक्कत आ रही है। छोटी कंपनी होती है, जो एसएमई हैं - स्माल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज - उनके द्वारा चलाई जाती है। अगर इनको ये सुविधाएं नहीं मिलीं, अगर उनके ऊपर यह कानून लागू हो गया तो इनको बहुत दिक्कत आएगी।

इसी तरह से ग्रुप कंपनीज की बात है। बैंकर्स कहते हैं कि ग्रुप कंपनीज की एक दूसरे के लिए गारंटी दी जाए, लेकिन इस बिल के सेक्शन 186 के तहत इस पर रोक लगाई गयी है कि आप न तो ग्रुप कंपनी को लोन दे सकेंगे और न गारंटी दे सकेंगे। ये ऐसी प्राइवेट कंपनीज हैं, जो कभी पब्लिक से पैसा

नहीं लेती हैं। जितने भी फ्रॉड हुए हैं, वे सब बड़ी कंपनीज में हुए हैं, पब्लिक कंपनीज में हुए हैं, प्राइवेट कंपनीज में आज तक कोई फ्रॉड नहीं हुआ है और जिसके पैसे उस कंपनी में लगे होते हैं, उनके पैसे वापस लौटाए जाते हैं। अतः आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा यही आग्रह है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को एग्जम्पशन्स वर्ष 1956 के एक्ट में प्राप्त थे, वे इस कंपनीज बिल में और आगे आने वाले संशोधनों में भी दिए जाएं। यही मांग करते हुए मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

SHRI V. PANNEERSELVAM (SALEM): Sir, at the outset, I thank the Chair for giving me this opportunity to speak on this important Bill. I also thank heartily our beloved Leader Makkal Muthalvar Puratchi Thalaivi Amma who believes in smooth functioning of public bodies with right minded corrective measures.

The aim of this Bill is to ease the operations of the public limited companies, be they in the private sector or the Government sector. Primarily, this Bill seeks to move to the ambit of the SEBI Act, the shareholdings and selling. In this digital era, making available all the data related to the trade transactions should be possible and this Bill aims at this.

In an era of liberalization, free trade can thrive only when the trade exchanges are transparent. So far, the monitoring of purchases and sales of the shares were left to the discretion of the Directors of the Board. Now, through this Bill, we have made such transactions more broad-based. Major decisions resulting in amalgamations and take-over cannot come as a surprise any more. Instead of Government control, it will be under the guidance and monitoring of the members of the public limited company. All the shareholders now will become the stakeholders in the operations of the company.

It is necessary because in the globalized economy, there is a scope for corrupt practices and diabolical take-over. We have vigilance mechanism to monitor the functioning of the executive of the Government. On the similar lines, hereafter the company will be monitored by the broad-based shareholding community to manage the company. The minimum number required for establishing a public limited company has been increased to a higher number of members from 50 to 200.

The inclusion of independent Directors and Auditors is like infusing new vigour to the existing manner of operating company. This is one of the important highlights of this Bill. The Bill permits certain financial relationship between the

independent Directors and the company. In my opinion, this may create a conflict of interest. I would urge upon the Minister to look into this aspect.

Violation of rules and financial mismanagement which cannot be tolerated can be overcome now. Fines and punishment for offences have been increased and intensified. In order to oversee this particular aspect of ensuring management according to the given rules, the National Law Tribunal is being established.

Sir, for speedy disposal of cases special courts can be formed. Market manipulation by companies indulging in trading in their own shares has taken its toll in the past. Such manipulations have resulted in great loss to several thousands of shareholders and also the Government. As a lesson learnt from the two great scams in the world of share markets, the Government now seeks to ensure transparency and integrity.

The dichotomy of productivity and 'marketivity' being treated separately and not inducted as 'Key Management Personnel' will not continue any more. Whole time Directors will also be prescribed as KMPs under new sub-clause.

Before concluding I would like to draw the attention of the Minister to certain provisions covering independent Directors and delisting of companies. These provisions appear to be in conflict with the rules, SEBI Act and its regulations. When SEBI is brought into the picture more prominently its dominant role should not be diluted.

I urge upon the Minister to see that this comprehensive Bill comes into force as an Act to do good to the world of companies.

Let me conclude. Thank you.

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : सभापति जी, आज कंपनीज अमेंडमेंट बिल, 2014 पर बोलने का आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। जब से डिस्कशन शुरू हुई है, सभी ने यह मांग की कि इसके अंदर और भी संशोधन की जरूरत है। हमारे देश के अंदर, जहां कंपनीज को सुविधा, बिजनेस करने की होती है, वहां दुनिया के अंदर, हम 142वें नम्बर पर स्टैंड करते हैं। यह हालात किसने बनाए? ये हालात पिछली सरकार के द्वारा बनाए गये। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने हालात को सुधारने के प्रयास किये हैं। साथ ही मैं यह भी मांग करता हूँ कि जो संशोधन यह सरकार लेकर आई है, इससे ज्यादा संशोधनों की जरूरत आज इस बिल के अंदर है।

देश की आजादी से लेकर आज तक, इन दो बड़ी पार्टियों ने राज किया है। बिल इनके द्वारा ड्राफ्ट किये गये, लाए गये, मगर आज तक हमारे देश के अंदर, बिजनेस को लाने के लिए, जिन आवश्यकताओं की जरूरत थी, मुझे लगता है कि हम उसे समझ नहीं पाए। आज ये बिल लेकर आये हैं, लेकिन अगले एक-दो सालों में इन्हें दुबारा एक अमेंडमेंट बिल लाना पड़ेगा। जब हम उस अमेंडमेंट बिल को लेकर आये, तो बड़ी गंभीरता के साथ ऐसा बिल लेकर आये, जिसे दुबारा संशोधन करने की जरूरत न पड़े। साथ ही साथ जो इंडस्ट्रीज हैं वे हमारे देश के अंदर आएँ। माननीय प्रधान मंत्री का एक सपना है कि हमारे देश के अंदर इंडस्ट्रीज आएँ। “मेक इन इंडिया” का जो सपना माननीय प्रधान मंत्री जी ने दिखाया है, मुझे लगता है कि मेक-इन-इंडिया को आगे ले जाने के लिए, हमें इस बिल के अंदर भी और संशोधन लाने पड़ेंगे, जिससे फॉरेन-इंवेस्टमेंट देश के अंदर आराम से आएँ, इंडस्ट्रीज ग्रो हों और लार्ज-स्केल के साथ-साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी ग्रोथ की ओर जाएँ, बैंक-करप्सी की ओर न जाएँ।

आज नया बिजनेस आयेगा, तो युवा को रोजगार मिलेगा और युवा को रोजगार मिलेगा, तो देश के अंदर रेवेन्यू ज्यादा जैनेरेट होगा। सीएसआर की बात टीडीपी के माननीय जयदेव जी ने भी बात कही। जैसे सीएसआर 2 परसेंट है, उस 2 परसेंट को, उनकी कांस्टीट्यूएन्सी जो लोक सभा की है, उसे वहां यूटिलाइज करें। उस 2 परसेंट सीएसआर से उन कंपनीज को स्किल्ड डिवेलपमेंट प्रोग्राम चलाने चाहिए। हम

किसी इंस्टीट्यूट के अंदर स्मॉल-स्केल स्किल्ड डिवेलपमेंट बनाएं, जिससे वहां के युवाओं को रोजगार मिले, वहां के युवा भी इंडस्ट्री के अंदर अपना हाथ बंटा सकें। साथ ही उन कंपनीज को, उस 2 परसेंट से ज्यादा, अपना माइंडसेट बनाकर उस एरिया के विकास के लिए लगाना चाहिए, जिसके तहत आस-पड़ोस का विकास हो और हम मैडीकल-सुविधा की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट की बात करें। अन्य चीजें हैं जिनके प्रति वे कंपनीज या कोरपोरेशन अपना माध्यम रख सकती है और सीएसआर के तहत वहां विकास कार्य करा सकती है। इतना कहते हुए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

*SHRI SHER SINGH GHUBAYA (FEROZEPUR): I thank you, Chairman Sir, for giving me the opportunity to speak on “The Companies (Amendment) Bill, 2014”.

Sir, this is a very important Bill. The country needs this bill. Modi ji’s Government has passed several Amendment Bills in this august House. Sir, all the bills that have been piloted in this House in this Session are very useful bills. Similar is the case with the Companies (Amendment) Bill, 2014.

Sir, various multi-national companies have set up their bases either in the states or in Delhi. However, their main motive is profit. They only want to earn money. Whether it is the insurance sector or any other sector, earning profit has been their sole agenda. Such companies do not benefit our country in any way.

Sir, agriculture is the mainstay of our economy. Companies which can cater to food-processing etc. should be encouraged. Bringing in reforms in the agriculture sector is the need of the hour.

Sir, I support this bill and congratulate the Hon’ble Finance Minister. Several Hon’ble Members have expressed their views regarding this bill. The companies should be asked to take welfare measures for the people of the area where they are established. This social obligation should be made compulsory for these companies. The development of that area must be an integral part of the policy of these companies. These companies should provide health-care, employment and education to the people and children of their area. This is the need of the hour. These companies must earmark some amount for welfare measures.

* English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

Sir, Hon'ble Finance Minister is here. I urge upon him to ensure the security of our country when these multi-national companies establish their bases here. We have already seen how terrorists have indulged in an inhuman act of killing innocent school-children in Pakistan, yesterday. We must gird up our loins and allot more funds to gear up our security paraphernalia so that such mishappenings do not take place in our country.

Sir, I congratulate the Hon'ble Finance Minister for bringing this bill in the House. I whole-heartedly support this bill. This bill will definitely give a boost to the development of our country and a fillip to growth in this sector.

Thank you.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I oppose this Bill because most of the provisions in this Bill are not giving any transparency in the company administration. Also, the new provisions which are introduced by way of amendments are diametrically opposite to the provisions we had made in 2013 when the Bill was piloted by the then Minister Shri Sachin Pilot.

The intention of this Bill is to amend the Companies Act 2013 which was notified on 29th August 2013. Within such a short period, drastic basic structural amendments are being brought into the Bill. The reason which is stated in the Statement of Objects and Reasons is: firstly, it is very difficult to implement the provisions of the Amendment Act 2013, and secondly, it is to further facilitate 'ease of doing business'. The hon. Minister has been repeatedly using this phrase 'ease of doing business'. These are the two provisions or reasons for which this amendment is brought before the House. The reason put forward for this is that a difficulty is being faced by the industry, the Ministries and Departments and professional institutions. I would like to know from the hon. Minister what is the difficulty which the Departments and the Ministries are facing in implementing the provisions of Amendment Act of 2013. We can understand the difficulties being faced by the industries. It is very difficult for them to report any fraud or any cheating which is being done by the employer or the director of the company, which is to be reported to the Government of India – this is difficult as far as the company or the industry is concerned.

By making an amendment to that provision that you need not report to the Government of India and instead, you report only to the audit committee, this will be favourable to them. My question is what difficulty the Government of India or the Ministry and the Department is facing in keeping the amendments made in 2013. The House may remember, when this amendment was made in 2013, Shri Sachin Pilot and many other hon. Members of this House had explained in this House and I am not going into the records of the proceedings; but it was stated that this was a landmark legislation in the history of Indian Parliament. That was the

assessment in respect of 2013-Act. Now, the cardinal principle of that amendment is being taken away by means of this legislation, which is the focal point which I would like to make.

The 2013-amendment was made with an intention to bring more transparency, self-reporting, disclosure and also to make the corporates more responsible. That was the aim and intention of the 2013-amendment which was brought forward by the then UPA Government. When we think about relaxation and exemption to the companies, whether it is private or public, you may kindly see the situation prevailing in our country. Even Shri Ahluwalia also has given a notice for discussion of the Saradha Scam in this House. Everyday in every State, these kinds of fraudulent financial activities are going on; cheating and defrauding the customers or depositors are going on. When such a situation exists in our country, should we make the laws more stringent or should we relax and exempt? My point is, more stringent action has to be taken to check such fraudulent transactions which are taking place in our country.

Instead of making those provisions stringent, we are relaxing and exempting so that the corporates and companies can defraud the depositors and customers. That is the strong objection which I would like to place against this Bill.

We are also moving in the opposite direction. Instead of having transparency, accountability and responsibility of the company to the customers and to the country, we are moving in the opposite direction, by lowering transparency, accountability and responsibility.

Coming to the provisions or the main amendments of the Bill, the first amendment of the hon. Minister is regarding section 2, which is the definition clause. The clause 2 of the Bill seeks to amend clauses 68 and 71 of the 2013-Act or the original Companies Act of 1956. By this, the definition of the private and public companies are sought to be amended. What was the original provision? For a private company, the paid up capital should be minimum Rs. 1,00,000 or higher

paid up capital as described by the Government. As far as the public company is concerned, the original provision was the minimum paid up capital is Rs. 5,00,000 or higher paid up capital which is specified or as described by the Government.

Now, we are omitting the minimum paid up capital. I would like to know from the hon. Minister, what is the aim or intention of simply omitting this 'minimum paid up capital'. My friend, Dr. Kirit Somaiya, yesterday said that it is with the Government and with the Parliament; it is not good; and every liberty should be given to the companies and corporates so that they can determine what the minimum paid up capital should be. In this case I would like to state that if this amendment is carried out, what would be the section? If the amendment is carried out, Clause 2 of Section 68 would be, 'a private company means, a company having a minimum paid up share capital of Rs. 1,00,000 or such a higher paid up capital – that is to be deleted – as may be prescribed'. So, my question to the hon. Minister is what is the harm in this Parliament determining the minimum paid up capital? Why is it being taken away and this right is being given to the executive? What aim will be achieved out of this amendment which is being made in section 2? Similarly, in clause 71 of Section 2 also, the definition part is given.

I would like to say about another amendment and it is regarding section 9. Common seal is referred to in section 9. To my limited knowledge, I would like to say something. When I was the student of Law College, I still remember the definition of a company and the interpretation of a company. A company means it is a legal entity having perpetual succession and common seal. Now, by amending Section 9 of the original Act, this common seal is removed or omitted. What is the intention behind removing this common seal? I feel that by omitting this common seal, it is exempting the companies from their joint and collective responsibility in issues which may come up in case of fraud and other things.

Another amendment is regarding the punishment by incorporating the amendment to Section 76. I fully endorse it. I congratulate the hon. Minister on

making such an amendment to Section 76 and incorporating it in new Section 76. It is absolutely fine and I fully support the provision which has been made there.

Sir, coming to the declaration of dividend, there is a provision in Section 123. It is also affecting the shareholders. The existing right of the shareholders is being slightly taken away by means of this amendment also because the previous loss and depreciation will be calculated and only out of this, he will be entitled to have an appropriate dividend. That also is adversely affecting the poor shareholders or the customers, as the case may be.

Another amendment is about non-reporting to the Government of India on all frauds committed by the employer or the Director of the company. That is also being taken away.

I would like to know whether it is transparent. Is it transparency or is it accountability or is it the responsibility of the company? In the original position, whatever fraud is committed by anybody, be it the employer or the Director, he is responsible. The auditor has to report it to the Government. Here, in this case, Shri Jaitley is an eminent legal luminary who has brought this Bill.

What does this amendment say? It says that “if it is above a specified amount”. What is that specified amount? That will be determined by the Government. If it exceeds the specified amount, only then the fraud needs to be reported to the Government of India. Why is this relaxation? Whether it is a fraud of Rs. 100 or Rs. 10 lakhs or Rs. 10 crore, it is the same, it is a fraud and it is a crime. It is a fraud on the customers and the creditors, as the case may be. So, in such a condition, I strongly oppose it.

There is a very important amendment about related party transactions. Section 185 and Section 188 are very crucial Sections. They say that these transactions have to be approved by a special resolution. But now, it is by means of a simple resolution.

Yesterday, Prof. Saugata Roy had also cited that in the case of the United Spirits, they have got only 70.5 per cent of the votes so that they cannot have their

resolution passed and such a difficulty was experienced by United Spirits. So, the number of votes to be obtained is minimised to 50 per cent. The sale of land or purchase of land or entering into a contract with a holding company and the companies which are holding are all very important. I know the position. In my constituency, there is the case of revival of Punalur Paper Mills. If the Director of the Board wants to get the property sold in the real estate field, definitely, they will be benefited by this provision also. This provision is very crucial as far as I am concerned. Therefore, all these provisions, except section 76(a), have to be relooked and reconsidered.

With these words, I conclude my speech.

ADV. JOICE GEORGE (IDUKKI): Mr. Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on this Bill. The very purpose and purport of this Amendment Bill is to increase the 'ease to do business' in our nation. In certain contexts, it may be true. But what is the reality faced by our nation? What is the hard reality which we are facing now? In this context, I would like to say that most of the frauds, in number and in quantum, are committed by the corporates, and by the body incorporates under the Companies Act, which are enjoying several privileges and immunities. Who are the cheated persons and the affected ones? In this case, it is the citizens and the poor investors who are affected the most. The Members who spoke before me also expressed their concerns in this regard. We will have to bring more transparency and more accountability. Instead of bringing more transparency and more accountability, we are relaxing certain provisions under the guise of increasing the 'ease to do business' in this nation.

There are numerous examples of cheating and fraud committed by these companies, and perpetuated by the incorporated companies by announcing ponzi schemes, like Satyam, Sarada and Sahara. Thousands of cases were filed against these companies by those who were cheated by their ponzi schemes and cases are being conducted, but to no avail. They are not getting the money back. This is the hard reality which we are facing.

15.27 hrs (Hon. Deputy-Speaker *in the Chair*)

Therefore, this House being the highest law making body of the nation, and as Members of this House, we also have the responsibility of being accountable to the people. We are talking about the Corporate Social Responsibility. We also have responsibility towards the people, those who voted for us to be here for making laws for them. So, we should ensure that this responsibility element is there in the Companies Bill.

Keeping this in mind, I would say that the amendments that have been brought forward to clause 2 proposes to omit the minimum requirement of having

paid up share capital of Rs. 5 lakh for the public companies and Rs. 1 lakh for the private companies. What is the purpose that is sought to be achieved by these particular amendments? The object is to increase the 'ease to do business' here. By omitting this limit of having a minimum paid up share capital for conducting businesses or for taking loans, what is the purpose that is sought to be achieved? Instead of serving any particular object, this will help the companies or this will help the persons who want to commit fraud on us. This will help them to do business even without having any minimum responsibility or without having any minimum investment.

Therefore, the Government should show some serious concern over that also. So is the case with the provisions regarding the 'related party transactions'. There also the interest of the shareholders has been given a go-by because there the requirement for 'special resolution' has been replaced by 'ordinary resolution' for approval of 'related party transactions' by minority shareholders. So, we will have to seriously look at that provision also.

So is the case of exempting the 'related party transactions' between 'holding companies' and the 'wholly owned subsidiaries' from the requirement of minority share holders' approval. It is also an objectionable provision, which prohibits the public inspection of the Board Resolution files by the Registrar of Companies under the guise of protecting the secrecy of the company's strategy. Under the guise of protecting the companies to keep their strategy secret, we are giving a go-by to transparency and accountability of these companies.

What is the purpose that is sought to be achieved by permitting a company to keep all their strategies secret and simply permitting them to cheat the people, and permitting them to perpetuate fraud on the people? We should give serious consideration to that provision also.

We are all talking about the frauds committed by the companies by announcing ponzi schemes, etc. But here, by amending section 143, the minimum responsibility of the auditor to report the fraud to the companies and the

Government has been taken away. That is also an objectionable amendment. If we are for transparency and if we are for ensuring more accountability by the companies, we should retain that provision making the auditor responsible to report all these frauds, whether they are small or big. Fraud is always a fraud. That fraud should be reported to the Government.

With these reservations, I conclude. Thank you.

श्री हुकुम सिंह (कैराना) : उपाध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। इस संशोधन विधेयक पर मैं बहुत सीमित बोलूँगा और अपने को केवल संशोधन तक ही सीमित रखूँगा।

महोदय, कल कांग्रेस के एक सम्मानित नेता, जो इस पर प्रथम वक्ता थे, उनको बोलते हुए मैंने सुना। ऐसा लगता था कि उनकी बात में तर्क कम है और किसी बात की नाराज़गी ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि 12 सालों के प्रयास के बाद, विभिन्न लोगों से परामर्श करने के बाद कानून बनाया था, उसमें इतनी जल्दी संशोधन कैसे हो गया? मैंने साल गिने। उनकी सरकार तो 10 साल ही रही और 12 साल से वे इस पर विचार कर रहे थे। हो सकता है कि सरकार में आने से पहले ही इस पर विचार करना शुरू कर दिया हो। इस बिल में जितने संशोधन आए हैं, मैं केवल उनका समर्थन ही नहीं करता हूँ बल्कि वित्त मंत्री जी को बधाई भी देता हूँ क्योंकि ये संशोधन समस्त कानून को और ज़्यादा सार्थक और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से आए हैं। अगर माननीय सदस्य बिल के ऑब्जेक्ट्स एंड रीज़न्स को पढ़ लेते, तो उसमें कहा भी गया है कि बिज़नेस को और सरल करने के लिए कुछ संशोधनों की आवश्यकता है, और वास्तव में जो संशोधन आए हैं, उनके बाद यह कानून और ज्यादा प्रभावी, सरल और सार्थक होगा। जैसे माननीय सदस्य को शिकायत थी कि डिविडेंड वाले मामले में जो पाबंदी आपने लगाई, वह नहीं लगानी चाहिए थी, और उन्होंने कहा कि यह तो बहुत ही ज्यादा सख्ती की बात की गई है। लेकिन अगर उसको आप देखें तो कहाँ पाबंदी लगाई गई है - अगर पूर्व देनदारी उन्होंने क्लियर न की हो, उनके ऊपर कोई भारित न हो। जब तक उनके ऊपर पूर्व देनदारी रहेगी, चाहे वह कर्ज़ के रूप में हो या किसी और रूप में हो, तब तक वह डिविडेंड नहीं दे पाएँगे। कर्ज़ा तो 50 करोड़ रुपये का है और आप डिविडेंड बाँट रहे हैं, जो देनदारी है, उसको क्लियर नहीं कर रहे हैं। इस तरह से बहुत ही व्यावहारिक पहलू यह था कि पहले उनको अपनी पूर्व की देनदारी क्लियर करनी चाहिए।

इसमें हम आगे देखते हैं। मान लें कोई ऑडिटर उसमें ऑडिट कर रहे हैं और ऑडिट करने के बाद फ़ाउ मिलता है तो क्या हम इंतज़ार करेंगे जब तक ऑडिटर की रिपोर्ट तैयार होगी और तैयार होने के बाद वह सरकार के सामने आएगी, तब तक शायद उसका अर्थ ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए प्रावधान किया गया कि अगर कोई फ़ाउ मिलता है तो उनका दायित्व होगा कि तुरंत सरकार को इस बात के लिए सूचित करें और सरकार उसमें तुरंत प्रभावी कार्रवाई कर सके। इसमें मेरे ख्याल से कोई कमी की बात नहीं रह जाती।

दूसरी बात हम देखें कि कंपनीज़ ने सब्सीडरीज़ बना दीं धोखा देने के लिए, अपने पैसे और अधिकार को डाइवर्ट कर दिया। हमारे सामने उदाहरण हैं और बहुत व्यावहारिक उदाहरण हैं। सत्यम का नाम कल भी लिया गया। मैं लेना नहीं चाहता था, लेकिन कल काफी वक्ताओं ने उसका नाम लिया। उन्होंने क्या किया था कि न जाने कितनी कंपनियाँ बना दी थीं और कंपनी बनाकर अपना अधिकार और पैसा वहाँ ट्रांसफर कर दिया था। इसमें प्रावधान है कि जितने उनके अधिकार हैं, जो उनका दायित्व है, उस दायित्व तक सीमित रहकर ही उसको खर्च कर पाएँगे, दूसरे पहलुओं में खर्च नहीं करेंगे, यह पाबंदी उन पर लगाई। तो यह व्यावहारिक हुआ या नहीं?

मान्यवर, अभी नौएडा का केस चल रहा है। सबको जानकारी है कि एक अच्छी सरकार के नेतृत्व में वह सब काम कितना हुआ, दो सरकारें वहाँ रहीं और दो सरकारों में एक अधिकारी ने अब तक जो जानकारी आई है, उसके अनुसार 40-50 करोड़ रुपये का गबन कर लिया। यह गबन कैसे किया? परिवार की विभिन्न कंपनीज़ फर्जी नामों पर खड़ी कर दीं, दर्जनों कंपनियाँ खड़ी कर दीं और कंपनी खड़ी करने के बाद नौएडा के हज़ारों प्लॉट उन कंपनियों के नाम करके गबन करते रहे। अगर इनके ऊपर पाबंदी नहीं लगेगी और इनको एक लाइसेंस मिल जाएगा कंपनी बनाने का कि अब तुम मकान अलाट करो, प्लॉट अलाट करो, पैसा वहाँ इनवैस्ट करो तो धोखा होगा या नहीं? अगर वह पैसा सरकारी मद में खर्च हुआ होता, पुलों और सड़कों पर खर्च हुआ होता, मदरसों और अस्पतालों पर खर्च हुआ होता तो प्रदेश की हालत ही दूसरी होती। ऐसे फ्राड करने वालों पर अगर पाबंदी लगती है तो क्या दिक्कत इनको आती है?

महोदय, एक प्रैक्टिस बहुत ज्यादा आजकल चल रही है और चाइना माडल और यू.एस. माडल की बात कही जा रही है। आरोप लग रहा है कि आप चाइना माडल से हटकर यू.एस. माडल की तरफ जा रहे हैं। हमें माडल की आवश्यकता नहीं है, हमें भारतीय माडल चाहिए। हमारे सामने जो कठिनाई आई है, उसका समाधान हमें चाहिए। हम व्यवहार से जो सीख रहे हैं, उसका हमें हल चाहिए। ऐसे-ऐसे कठिन शब्द इस्तेमाल करके जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है। मैं जानता था कि वे बहुत वरिष्ठ नेता हैं। अगर वे गौर से इस संशोधन का अध्ययन कर लेते, तो शायद ऐसी गलती न करते।

उपाध्यक्ष जी, अब जो धोखा देगा, जिस मद के लिए पैसा दिया गया है, उस मद में पैसा खर्च नहीं करेगा, जो स्टोक होल्डर्स को धोखा देगा, उसके लिए जेल का भी प्रावधान किया गया है, जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है और जुर्माना केवल हज़ारों या लाखों रुपयों का नहीं बल्कि करोड़ों रुपये के जुर्माने की बात कही गई है। इससे कम से कम उनके मन में डर तो रहेगा कि अगर हम ऐसे धोखा करेंगे तो हमें सात साल तक जेल जाना पड़ेगा या इतना भारी जुर्माना देना पड़ेगा। ऐसे प्रभावी उपाय करके मंत्री जी ने

खास तौर से इस दिशा में बहुत ही मजबूत क़दम उठाया है, मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूँ और जो संशोधन लाया गया है, उसका भरपूर समर्थन करता हूँ।

उपाध्यक्ष जी, इससे पहले की आप घंटी बजाएं, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ।

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI ARUN JAITLEY): I am extremely grateful to a very large number of hon. Members who have spoken on this Bill. The substance of what has been said is, the Bill was introduced in Parliament in 2008; it went through the Standing Committee process; it was legislated in 2013. Why is it that in 2014 we felt the necessity of having to amend some of the provisions of this Bill?

There are clearly two kinds of opinion which have been expressed by Shri Kirit Somaiya, Shri Pinaki Misra, and several others, who were in support of this Bill. They have contented that - in fact there are many more changes which are required to be made - because with a Bill of this kind, doing business in India may become difficult. There is another view which has been expressed. Why should we have a Bill which makes it easy for companies? What does the Government gain out of it? I have no hesitation in admitting that I agree with the former opinion. It is companies which create jobs. The West Bengal Government does not. Therefore, if the economy of this country is to revive, we cannot make it impossible to do business in this country. After this law has been enacted, I would just place some of the provisions which I am seeking to change, on which comment has not been made.

People represented to the Government even when the UPA was in power that it is perhaps better to create a proprietorship or a limited liability partnership and do businesses rather than having such a restrictive regime. But then raising public finance, getting loans, getting institutional finance becomes difficult. So people have to corporatise their structure and do it. I will just give an illustration.

There are four kinds of changes which we are making. One is with an intention of 'ease of doing business'; the other is, drafting errors; the third is oversight; and the fourth is some provisions which are *ex-facie* oppressive to an environment to do business. Let me start with the fourth category.

I would request any hon. Member, if he has a copy, to pick up section 212(6) of this Act. I am referring to an extraneous fact when in 2004 the UPA came to power, there was a law which the NDA had enacted called the Prevention of Terrorism Act (POTA).

The UPA's main criticism of POTA was that some of the provisions are very repressive and so they repealed POTA. When they repealed the anti-terrorism law, they incorporated most of the provisions under the Unlawful Activities Prevention Act. But one provision the UPA said that they would not agree to put in the Unlawful Activities Prevention Act was regarding a harsh bail provision. The POTA said that any person arrested for terrorism will not get bail till either the Public Prosecutor consents to the bail or the court gives a finding that the person is innocent on the face of it. Now finding of innocence is not possible till the trial is held. So, the UPA's own case was that this is not a provision we can agree with and, therefore, they removed that provision from the anti-terrorism law. Having removed it from there, they brought in the POTA bail provision under Section 212 (6) of the Companies Act, which says:

“Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure...the following offences which attract the punishment for fraud as provided in...to a person accused of those offences...no person shall be released on bail unless the prosecutor has been given notice where the prosecutor opposes it, the court is satisfied that reasonable grounds for believing that the person is not guilty of the offences.”

Verbatim, full stop for full stop, comma for comma, they incorporated the POTA provision into the bail provision of this Act. Now this language exists in the narcotics law. When we invite the rest of the world to come to India, form a company, do business and invest in India, are we trying to say that in case you commit any of these offences you will never get bail or you will indefinitely never get bail? Therefore, most

companies said that it is safer for them to switch over to a limited liability partnership than continue to do business.

Now, if you look at the other provisions of the Act, all offences under grievous laws relating to terrorism, narcotics, sedition, prevention of corruption etc., they say that ordinary courts will not try these cases and there will be special courts. So, all offences against a company will go to a Special Court. The ordinary Magistrate's jurisdiction is taken away. Are we trying to induce investors to come and invest in India or are we trying to scare them away from the country? We have, therefore, brought in an amendment that extremely harsh offences will be before a Special Court and the rest will be before the normal courts of the land. If a man wants to wind up a company, there has to be a provision in law. The case relating to winding up these days normally goes to a single judge of the High Court as one judge in every High Court is a company law judge. If somebody says that there is a commercial insolvency or any other reasoning or the company itself wants to be wound up, it goes to a single judge, there is a procedure to be followed and it gets wound up.

This Bill says that simple company matters and other matters go to a single judge, appeals go to a Division Bench and some extraordinary matters also go to a Division Bench. A company to be wound up has to go to a full Bench of three judges. What is the rationale? That is why I said either some of the provisions are oppressive or some of the provisions like having one judge or two judges or three judges could have even come by an oversight.

Now, let me give you another oversight provision. There are offences companies commit. If there is a company which does not follow the procedure and starts collecting deposits, it is a punishable offence. In the Act, we forgot to make it an offence. So it is the case of an oversight. If I run through each of these 14, the first two, requirement of capital and

seal, the international standard practice now in corporate laws across the world is that you have done away with these requirements. So, here it has been brought at parity with international laws.

The next provision, section 76 says, we forgot to provide for an offence where somebody collects deposits in violation of law. We did not make it an offence under the Companies Act; so it has been made an offence.

You asked a question. It is a very standard speech we can deliver in every legislation that there must be greater transparency. World-over the practice is, in the old Companies Act from the very beginning, all resolutions of the Annual General Meeting are subject to public scrutiny, but Board resolutions are not. I will tell you the reason why Board resolutions are not subject to public scrutiny. A company decides in its Board, let us say it is an automobile company, that this is going to be my next model. The very next day, are they going to allow their business rivals to come to know of this? The company decides in its Board that this is going to be my next trade mark, this is the product on which I am going to now acquire an intellectual property. I am a pharmaceutical company; this is my formulation; this is the next drug I am manufacturing and what is my funding mechanism? In a Board resolution, you take all kinds of strategic, commercially confidential decisions.

Nowhere in the word are Board resolutions subject to public scrutiny. It is only the AGM resolutions which are subject to public scrutiny. Just because transparency and accountability are words which we in public life and politics are fond of using, we say make it transparent, make it accountable. So why not put cameras in every Board meeting of a company so that its secret intellectual property, its financial strategies are known to its business rivals? It will be the most accountable procedure and most transparent procedure. But then nobody is going to come and set up a company in India if we create such an environment for

doing business. So, before we say, make it accountable, there is some conspiracy why you are taking it away, please see the consequences of what we are doing.

Then there is a provision that you set off past losses against future profits and only then declare a dividend. The meaning is, a company has accumulated losses. This year it has some profit. So it allows the losses to continue in the name of the banks and others. But, out of this profit, the majority decides to usurp the dividend in its pocket. In the old Companies Act the rule was very clear that you must first write off those losses and then start declaring dividends when your health is good. Probably in this Companies Act, the intention was the same. So, what we did was, we provided for a rule which says this. The declaration and payment of dividend rule 3, sub-rule 5 says this but the provisions is, the Act does not permit this. So it is obviously a drafting error and this has to be corrected.

Rectifying the requirement of transferring equity shares for an unclaimed dividend, now the rule is that if there is a dividend not claimed for a period of seven years, that dividend goes into the Investor Protection Fund. If for seven years, somebody does not claim dividend, the dividend will go into the Investor Protection Fund; so will the shares also go into the Investor Protection Fund. But the language in which the Act has been written and drafted is, the dividend will go after seven years but the shares may get transferred to the Investor Protection Fund in the first year itself. So, in one year you do not take dividend, your shares are lost. Obviously, there is an ambiguity there and that ambiguity had to be corrected.

There is this enabling provision about fraud. When you are auditing the affairs of a company –this is a view put up by the Institute of Chartered Accountants – there may be dozens of irregularities that you will find out. Is everyone of them to be reported to the Central Government or are the major ones to be reported?

There is a principle of *de minimis* that triviality is ignored. So, what is very small can be ignored and what are major ones are to be reported. All that it says is that a threshold will be fixed by the Government beyond which all such requirements will have to be reported; otherwise the Department of Company Affairs will become the largest Department in the Government of India. It will have only complaints arising out of some voucher for Rs. 100 which is not available. So, all these complaints will reach the Department of Company Affairs. That is not the intention. Therefore, a threshold will be fixed by the Department of Company Affairs and beyond that it will go to the Government of India.

With regard to related party transactions, a very large part of the corporate world, all chambers and many people have objected to this because procedurally we had made it difficult. What had we done in the Bill? Let us take a company in which some individuals control most of the shares. They have substantially owned subsidiaries. In related party transactions, only the procedures have been simplified. The procedure is that at the AGM, the persons, in relations to whom the resolution is being passed, will not vote and the rest of the minority shareholders will vote.

So, to have a related party transaction, you need the confidence of the minority shareholders. It said: "You need confidence of 75 per cent of them." That 75 per cent has been made easier instead of a special resolution. Special resolutions are required only when fundamental changes are being made in the business of a company; otherwise, normal resolutions are required so that special resolution becomes normal. That is all that is being done. You may have a majority of the shareholding in a company but you need the approval of the majority of the minority. The original provision was that you need the approval of three quarters of that minority, which may be extremely difficult. Therefore, people said: "It will become impossible to have related party transaction. This law requires to be simplified." There is an exemption of related party transactions and

wholly owned subsidiaries, the principal controlled 100 per cent subsidiaries where there is no minority shareholding. So, there is nobody whose 50 per cent or 70 per cent consent you require. Then, in bail provisions we have said: "Except in heinous offences under the Companies Act, which is related to fraud under Section 447, for all others the normal bail provisions will apply. Only for this extreme offence, an extreme bail provision which was put in into this Act, will apply. There is a Special Court and a two-Judge Bench instead of a three-Judge Bench to hear the winding up of these cases.

Sir, none of the amendments has any ulterior motive. Therefore, nobody needs to claim that there is a high moral ground in opposing such an objection. With some of these provisions, doing business in India would become extremely difficult. There are some provisions which we are easing. There are some which were oversight. There are some which were left out. And there are some which came in but came in as a part of this thinking that we must make doing business extremely difficult. So, if somebody is arrested and he belongs to a company, a terrorist can get bail but he should never get bail. Now, this kind of thinking, I am afraid, we do not subscribe to. I, therefore, commend to this hon. House that these amendments be accepted.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That the Bill to amend the Companies Act, 2013, be taken into consideration."

The motion was adopted.

HON. DEPUTY SPEAKER: The House shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

The question is:

“That clauses 2 to 21 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clauses 2 to 21 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

SHRI ARUN JAITLEY: I beg to move:

“That the Bill be passed.”

HON. DEPUTY SPEAKER: Motion moved:

“That the Bill be passed.”

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Hon. Deputy Speaker, Sir, the Companies (Amendment) Bill, 2013 was passed by this House after it was discussed threadbare in the Standing Committee. For two times, that Amendment Bill was discussed in the Standing Committee. Now, the Companies (Amendment) Bill, 2014 is being passed without going through the scrutiny of the Standing Committee on Finance. So, passing this Bill is not proper. My suggestion and submission before this August House is this. The amendments in the original Act were passed during 2013 by means of the recommendations of the Standing Committee for two times and after due diligence.

The hon. Minister is arguing about many things. Irregularity and fraud are entirely different. So, my point is that the amendments in the original Act during 2013 were made after due deliberations by the Parliamentary Standing Committee. My humble submission is that it is better that this Bill be referred to the Standing Committee which can have a very detailed scrutiny. Still we are not clear on certain aspects. So, the Standing Committee can examine those aspects. That is my humble submission before you, Sir. ... (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Sir, why there is hurry? Out of these 21 amendments ... (*Interruptions*) In a hurry, you want to bury this Act. ... (*Interruptions*) Therefore, I am requesting the hon. Minister to refer this Bill to the Standing Committee. ... (*Interruptions*) Already Section 176A, which is a new thing, we all welcome. But there are amendments where certain reservations are there. Why should this Bill not be referred to the Standing Committee or Select Committee? ... (*Interruptions*) The Finance Minister has to be considerate. Why is he so rigid? ... (*Interruptions*)

SHRI ARUN JAITLEY: In all the 14 amendments I have explained, if there was a plausible argument why those original provisions should remain even for a day, I would have agreed. But you want the investment environment in the country to be disrupted by these kinds of laws. In fact, it is not a great reflection on all of us,

you and me both included, if by oversight or otherwise allow these provisions to go through in such a monumental law.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That the Bill be passed.”

The motion was adopted.

15.58 hrs**MOTOR VEHICLES (AMENDMENT) BILL, 2014**

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, the House shall take up Item No. 15.

Hon. Members, before we take up consideration of the Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2014, we have to allot time for the discussion. If the House agrees, we may allot two hours for this Bill.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Sir, usually every Bill is referred to the Standing Committee or the Select Committee. ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: That is over.

... (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : What is the hurry? I do not understand this. Sir, you take the history. All legislations were sent to the Standing Committee. Now, every Bill is being passed without sending it to the Standing Committee. I am not able to understand as to why it is not referred to the Standing Committee. Is it because our strength is short? ... (*Interruptions*) Sir, you have got a lot of experience. In the rarest of the rare case, a Bill, without being referred to the Standing Committee, is discussed and passed. Now, every Bill is passed without being referred it to the Standing Committee. Is it right? ... (*Interruptions*) Sir, if you are fully convinced, I do not have any objection. ... (*Interruptions*)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजना चाहिए।... (व्यवधान)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA (GUNA): Sir, all the Bills are referred to the Standing Committee usually. ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: That is there. I am not denying that. The hon. Speaker accepted and approved this Bill for discussion in the House and the House also agreed now. Therefore, two hours' time can be allotted for this Bill.

Now, the hon. Minister.

... (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Sir, I will give one example. You will be surprised to know one thing. When I was a Minister, there was one Bill, that is,

the Migrant Workers Bill and I wanted to change only the title in order to make it gender neutral. I wanted to make the title as 'The Migrant Workers Act' instead of 'The Migrant Workmen Act'. In the Rajya Sabha, the Opposition at that time demanded that it should go to the Standing Committee.

16.00 hrs

Then, the same Rudy Saheb referred this Act to the Standing Committee; and it is still pending there. It may come today or tomorrow. It was for only one word. He confused me on that issue... (*Interruptions*) Now, he is laughing... (*Interruptions*)

There was just one word. Instead of 'workman', I wanted to make it a 'worker'... (*Interruptions*) This is your U-turn.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): Sir, my only humble submission is this... (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : You do not agree... (*Interruptions*) How many examples should I give? I can give innumerable examples... (*Interruptions*)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Khargeji, you said, I confused you to get that Bill sent to the Standing Committee. The only submission here is that we do not get confused. That is my only submission... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Minister, just a minute. Let Prof. Saugata Roy make his point.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, you just mentioned that you should allot time for this Motor Vehicles (Amendment) Bill. I am not saying anything on the merit of the Bill. But the rules of the House say that there would be a Business Advisory Committee headed by the Speaker, which will allot time for different items. That is the function of the Business Advisory Committee. It is the business of the Government to decide when which Bill would come. Now, are we subsuming the role of the Business Advisory Committee and bringing the

functioning of the Business Advisory Committee into the House? We have no objection because the Business Advisory Committee meeting is held in the Chamber of the Speaker, good snacks are given there; so Members may discuss... (*Interruptions*) Do you decide about the time of an item outside? Are you doing that? Let us decide whether we give up the Business Advisory Committee altogether. Let us decide it.

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : उपाध्यक्ष महोदय, कल बात आई थी, आज भी बात आई कि संसदीय लोकतंत्र की एक मर्यादा और परम्परा है। हम सबसे सर्वोच्च संस्था हैं। क्या हम नियम को नहीं मानेंगे, कार्य मंत्रणा समिति को नहीं मानेंगे, संसदीय परम्परा को नहीं मानेंगे? बीच-बीच में बिल लाना और पास कराना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है।... (व्यवधान)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Prof. Saugata Roy, you raised the issue regarding the allotment of time. Even though Business Advisory Committee had allotted one hour for an item, we some time extend the time by one hour or even beyond, depending upon the importance of the item. So, the House has every right to allot and extend the time, if required. The Business Advisory Committee decides the time, it is a fact. But at the same time, the House has also the right, if required, to extend the time of any item being discussed.

Now, let us proceed with the Bill. Yes, Mr. Gadkari.

Hon. Members, if the House agrees, we are allotting two hours to this Bill.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Sir, we agree.

HON. DEPUTY-SPEAKER: So, the time allotted for this item is two hours.

... (*Interruptions*)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : हम नियम से बंधे हुए हैं।... (व्यवधान)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Now, the Minister is replying. Let him speak, now.

... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS AND MINISTER OF SHIPPING (SHRI NITIN GADKARI): I beg to move:

“That the Bill further to amend the Motor Vehicles Act, 1988, be taken into consideration.”

HON. DEPUTY SPEAKER: Mr. Minister, would you say anything at this stage?

SHRI NITIN GADKARI: Yes, Sir... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Let the Minister speak.

... (*Interruptions*)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA : We want two answers on this question from the Government. Are we ruling out the process of the Business Advisory Committee? Are we overruling the process of the Standing Committees?... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: We are not overrunning anything.

... (*Interruptions*)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA : How can we discuss it? It must go to the Standing Committee... (*Interruptions*)

श्री नितिन गडकरी : उपाध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Minister is replying. Let us hear him.

... (*Interruptions*)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA : Sir, we want your ruling. You are the custodian of the House... (*Interruptions*)

श्री नितिन गडकरी : उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली में लाखों बेरोजगार लोगों का धंदा बंद है।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, please take your seats.

You are raising a demand and the House has to decide it. Now, the House has decided to take up this Bill. The Minister is replying. In your speech, you may say whatever you want to say.

... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please listen to me.

Shri P. Karunakaran, please listen to me. I am on my legs. Please take your seat. Also, in the Companies (Amendment) Bill, which we discussed and passed, the Members had made the demand to refer it to the Standing Committee at the last stage. So, you have every right to say and the House can decide it at that time. Therefore, the Minister can proceed now. You have every right to speak.

श्री नितिन गडकरी : मैं सम्माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूँ कि ई-रिक्शा चलाने वाले भी गरीब हैं और उसमें चलने वाले भी गरीब हैं। हाई कोर्ट के निर्णय के बाद यह रिक्शा बंद है, लाखों लोगों को रोजगार नहीं है, वे घर बैठे हैं, उनकी रोजी-रोटी का सवाल है। इसलिए अर्जेंसी करके गरीबों के हितों के लिए काम करना है। आम आदमी पार्टी के लोगों ने मांग की है, आपकी पार्टी ने मांग की है। ... (व्यवधान) आज मैं सदन को यह बात महत्वपूर्ण रूप से बताना चाहता हूँ कि गरीब लोगों के लिए यह बिल है जो गरीब आदमी रिक्शा चला रहा है, उसके जीवन से संबंधित है। हाई कोर्ट के निर्णय के बाद रिक्शा बंद है। उसका रोजगार बंद है, उसके पास रोजी-रोटी का साधन नहीं है और जो गरीब आदमी है, वह कहीं नहीं जा सकते। ऐसी स्थिति है जब तक कानून में सुधार नहीं होगा तब तक ई-रिक्शा चालू नहीं होगा। गरीबों को रोजगार नहीं मिलेगा, गरीब लोग उसमें चल नहीं पाएंगे। इसलिए गरीब आदमी के हितों के लिए सहयोग कीजिए। यह मेरा आपसे अनुरोध है। आप ई-रिक्शा चलाने वाले गरीब आदमी का विरोध क्यों कर रहे हैं। ... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में करीब एक करोड़ ऐसे लोग हैं, जो मेहनत करके लोगों को ढोने का काम करते हैं, यह अमानवीय प्रथा है। अगर ह्यूमन राइट्स की तरह बात करेंगे तो इस तरह आदमी को आदमी द्वारा ढोना, आदमी द्वारा बोझ को अपने कंधे पर रखकर ले जाना, यह अमानवीय है। इस प्रथा को बंद होना चाहिए और उसे भी ई-एनर्जी का उपयोग करके चलाना चाहिए। इन गरीब लोगों को राहत मिलनी चाहिए। इस भावना से इस बिल को लाया गया है।

HON. DEPUTY SPEAKER: No, the Minister is on his legs. Let him complete. I will call you afterwards.

श्री नितिन गडकरी : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि अगर वे सुनेंगे तो निश्चित रूप से समर्थन करेंगे। पहली बार जब यह बात आई थी तो हमने इसको मोटर व्हिकल एक्ट से एक्जम्प्ट कर दिया था, किंतु मोटर व्हिकल एक्ट से एक्जम्प्ट करने के बाद इसकी तुलना साइकिल से होने लगी। उसके बाद एक एक्सिडेंट हुआ, एक्सिडेंट होने के बाद मामला हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने दिल्ली में ई-रिक्शा चलाने के

लिए मना कर दिया। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि मोटर व्हिकल एक्ट के अनुसार नियम बनने चाहिए, कानून बनने चाहिए। उसके बाद इसको परमिशन मिलनी चाहिए, इस प्रकार का निर्णय दिया गया। इस निर्णय के कारण दिल्ली में जो ई-रिक्शा चल रहे थे, वे बंद हो गए, पुलिस ने इनके ऊपर कार्रवाई की। इसके बाद में हमने इसके अध्ययन के लिए टेरी नाम की संस्था को कहा। उसके अध्ययन में आया कि दिल्ली में 53 प्रकार के रिक्शे चलते हैं। उसके बाद यह बात भी आई कि इन रिक्शों में जो मोटर लगते हैं उसमें भी अलग-अलग वॉट के मोटर पाए गए। इसलिए जब इंश्योरेंस की बात आई तो कोर्ट के निर्णय के कारण इसे मोटर व्हिकल एक्ट में लेने की आवश्यकता पड़ी। जब यह बात आई तो साधारणतः एक बात यह हुई कि 25 सीसी से जो कम ईजन है उसको मोटर व्हिकल एक्ट से एक्जम्पशन किया गया था। टेरी के अध्ययन के अनुसार जो ई-रिक्शे थे उनमें 250 वॉट से अधिक के ईजन लगे थे, इनकी स्पीड 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा थी।

उपाध्यक्ष महोदय, यह केवल आदमियों को लेकर चलने वाली रिक्शा है, लेकिन जो हाथ से खींच कर ले जाने वाले लोग हैं, वे बेचारे बहुत मेहनत करते हैं। एक वैद्यकीय सर्वे में आया है कि कई जगह इन लोगों को कैंसर हुआ है, कहीं टी.बी. हुआ है। ये गरीब लोग इस प्रकार के असाध्य रोगों के शिकार बने हुए हैं। इससे इनके जीवन की आयु भी कम हुई है, इसलिए इस अमानवीय प्रथा को हमारी सरकार समाप्त करना चाहती है। हमारे प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, ई-गवर्नेंस हो, इनोवेशन हो और उसके साथ-साथ हम गरीबों को राहत दें। इसमें ई-गवर्नेंस भी है ... (व्यवधान)

मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि इस बिल में केवल दो ही सुधार हैं, जिनके बारे में कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। हमारे एक्ट में यह प्रावधान है कि आठवीं पास होने के बाद ही ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। ... (व्यवधान) इस बिल में यह सुधार हुआ है कि आठवीं पास की कंडीशन को निकाला गया है और जो भी व्यक्ति बेरोजगार है और वह रिक्शा चलाना चाहता है, वह लर्निंग लाइसेंस लेकर चला सकता है। एक महीने में उसे यह लाइसेंस मिलेगा, जिससे वह रिक्शा चला सकेगा।

दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोर्ट के निर्णय के कारण इसे चलाने के लिए पहले कमर्शियल लाइसेंस लगता था। कमर्शियल लाइसेंस के लिए पहले हमें लर्निंग लाइसेंस लेना पड़ता है। उसके बाद एक महीने के बाद टैस्ट देने से वह लाइसेंस मिलता है और कमर्शियल चलाने के लिए एक साल की अवधि लगती है। अब ये गरीब लोग क्या करेंगे? इसलिए हमने कानून में सुधार किया है कि ई-रिक्शा के बारे में दस दिन की ट्रेनिंग एसोसियेशन देगी या उस बारे में कोई और संस्था देगी। दस दिन के बाद उन्हें लाइसेंस

मिलेगा और वे रिक्शा चला सकेंगे। हम गरीबों की इस समस्या के लिए बिल में ये दो बातें लेकर आये हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि सदन उसे मंजूर करे।

HON. DEPUTY SPEAKER: Motion moved:

“That the Bill further to amend the Motor Vehicles Act, 1988, be taken into consideration.”

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : उपाध्यक्ष महोदय, मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2014 की चर्चा पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हम पिछले कई दिनों से कह रहे हैं, इस विभाग के मंत्री नितिन गडकरी जी मेरे गृह प्रदेश से आते हैं, वे बड़े प्रभावशाली नेता हैं। लेकिन हम पिछले कई दिनों से यह कह रहे हैं कि यह यू-टर्न की सरकार है। यह सरकार जो बातें कहती है, उससे मुकर जाती है। इसलिए अब यह विधेयक चर्चा के लिए आ रहा है। इसमें अभी मंत्री जी ने कहा कि हम ड्राइविंग लाइसेंस में कुछ चेंज करना चाह रहे हैं और एक साल का जो क्राइटीरिया रखा गया है, उसे भी बदलना चाह रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हम यह बिल रोजगार और कल्याण के लिए लेकर आये हैं।

16.13 hrs

(Shri Hukmdeo Narayan Yadav in the Chair)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से यह सवाल है कि यह बात आपको दो-तीन या चार महीने पहले भी पता थी। 7 अगस्त से पार्लियामेंट का सत्र था, जो 14 अगस्त तक चला। अगर अर्जेंसी थी तो 7 जुलाई से 14 जुलाई के बीच में आप यह बिल क्यों नहीं लाये? दो-तीन महीने में दिल्ली का इलैक्शन होने वाला है। आप इसके माध्यम से चुनावी भाषण करना चाहते हैं, इसलिए शायद आप यह बिल लेकर आये, ऐसा मुझे लगता है।

मैं मंत्री जी का 17 जुलाई का भाषण पढ़ना चाहता हूँ, जो यू ट्यूब पर है और उसे आप सब भी देख सकते हैं। मंत्री जी ने दिल्ली में एक बड़ी रैली की थी। उस रैली में गडकरी जी ने कहा था कि हमारी सरकार सचिवों की सलाह पर नहीं चलती, हमारी सरकार मंत्री चलाते हैं। मंत्री जी ने यह भी कहा था कि जो 0.65 वॉट की बैटरी लगेगी, हम इसे मोटर यान अधिनियम से बाहर रखेंगे। आरटीओ और पुलिस इन्हें परेशान नहीं करेगी और कोई चालान भी इनके बारे में जारी नहीं किया जायेगा। इन ई-रिक्शाज को रजिस्ट्रेशन के लिए राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के पास नहीं जाना पड़ेगा। कार्पोरेशन्स और छोटे शहरों में म्युनिसिपल काउंसिल इनका रजिस्ट्रेशन करेगी। आपने यह भी कहा था कि जो रिक्शा चलायेगा, वही इसका मालिक होगा। हमें बड़ी खुशी होती थी कि मंत्री जी यह संशोधन लाये हैं।

इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर मंत्री जी बाकी संशोधन भी बिल के साथ लाते, तो हमें बहुत खुशी होती। मंत्री जी ने पेपर में भी कहा था कि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में लिखा है कि जो ई-रिक्शा चलाएंगे उनको तीन प्रतिशत से कर्जा देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या प्रधानमंत्री जी ने गरीबों की बात सुनी? क्या वित्त मंत्री जी ने गरीबों की बात सुनी? अगर सुनी है तो क्या इनको तीन प्रतिशत से कर्जा दे रहे हैं? आपने यह भी कहा था कि जो ई-रिक्शा लेंगे उनको गारंटी नहीं लगेगी, बैंक उसे तुरंत दे देगा। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता

हूँ कि बैंकों को फाइनेंस डिपार्टमेंट से तीन प्रतिशत वाला सर्कुलर जारी किया गया? इस बारे में जानकारी दीजिए।

आप ई-रिक्शा की बात कह रहे हैं, एक-दो लाख लोगों की मदद की बात कह रहे हैं। आपने तीन-चार महीने पहले कहा था, क्या उसके बारे में कोई प्रावधान किया है? अगर प्रावधान किया है तो उसे यहां डिक्लेयर कीजिए। देश में आधी आबादी महिलाओं की है। निर्भया कांड के दो दिन पहले दो साल पूरे हुए हैं। जब ई-रिक्शा आ रही है तो यह क्षेत्र महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण बन सकता है। अगर महिला ई-रिक्शा चालक होगी तो इसमें जो महिलाएं सवारी करेंगी, उनकी सुरक्षा के लिए यह ठीक होगा। क्या सरकार महिलाओं के लिए ई-रिक्शा चलाने की नीति बनाना चाहती है? अगर बनाना चाहती है तो सरकार इसके बारे में क्या डिक्लेरेशन करने जा रही है? इसके बारे में बिल में कहीं कुछ लिखा नहीं है। इस बिल में रजिस्ट्रेशन के बारे में भी कुछ नहीं लिखा है। सरकार को महिलाओं के लिए सरकार ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए भी डिक्लेरेशन करनी चाहिए।

आपने अभी दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजन के बारे में कहा। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि आपको 14 अगस्त तक इसके बारे में डिसीजन लेना है। अगर आपको 14 अगस्त तक आपको डिसीजन लेना था या आपको पहले से पता था और 2 अगस्त को राज्य सभा टीवी पर स्पेक्सपर्सन आकर कहते हैं कि 14 अगस्त से पहले डिसीजन लेंगे, इल्लिगल मामले दूर होंगे। अब दिसंबर महीना आ गया है यानी पिछले पांच महीने से ई-रिक्शा वालों की हालत खस्ता हो रही है। पिछले पांच महीनों से अगर किसी ने देशी की है तो उसके लिए यह सरकार जिम्मेदार है। इस सरकार को गरीबों के प्रति जितना संवेदनशील होना चाहिए उतनी नहीं है।

अभी आदरणीय मंत्री जी मेरे राज्य के बड़े प्रभावशाली नेता हैं। इन्होंने अभी कहा कि मानव चालित रिक्शा को हटाना चाहते हैं। क्या ई-रिक्शा आने से मानव चालित रिक्शा हटेगी? मेरा मानना है कि ई-रिक्शा आने से मानव चालित रिक्शा, साईकिल रिक्शा नहीं हटेगी। इसके लिए आपने प्रोत्साहन की क्या नीति बनाई है? क्या पुराने रिक्शा के बदले कोई सब्सिडी देना चाहते हैं? इनकी आय स्तर बढ़ाने के लिए कोई पहल कर रहे हैं? ई-रिक्शा तो आएगी लेकिन क्या साईकिल रिक्शा कम होगी? देश में दो करोड़ के आसपास यह फिगर है। मेरा कहना है कि सिर्फ ई-रिक्शा आने से साईकिल रिक्शा नहीं हटेगी क्योंकि जो आदमी हर रोज के काम से अपनी रोटी कमाता है, उसकी समस्या तो ई-रिक्शा आने से हल नहीं होगी।

आदरणीय मंत्री जी ने अभी टेरी के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि टेरी को सर्वे करने के लिए कहा गया। टेरी की ही रिपोर्ट हाई कोर्ट ने साईड की है। हाईकोर्ट ने कहा -

“...the e-rickshaws tested did not meet criteria for exemption under the CMV Rules, and the components and processes used in the manufacturing of e-rickshaws are not standardized....”.

Observing the TERI Report, the Bench added that :

“...Unregulated growth of e-rickshaws in such huge numbers raises concerns related to the safety and security of the passengers. It is strongly felt that e-rickshaws should be regulated to ensure safety and security of the passengers...”.

इस बिल में पैसेजर्स की सेफ्टी के बारे में दूर-दूर तक कोई बात मेशन नहीं है, सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस में बदलाव के बारे में बात की गयी है। क्या आप ई-रिक्शाज़ को जी.पी.एस. टेक्नोलॉजी से जोड़ना चाह रहे हैं? क्या जो ई-रिक्शाज़ चलेंगे, उनमें यात्रियों का शोषण नहीं होगा, उनके किराये में मनमानी नहीं होगी, इस बारे में कोई भी बात इसमें मेशन नहीं है। जो रिक्शा चालक इसे चलाएगा, उसके जीवन बीमा के बारे में इसमें कोई बात मेशन नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो एक्सपायरी है, उसके बारे में और जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा आने वाले समय में तैयार होगा, इस बारे में सरकार के पास कोई स्पष्ट नहीं है। आज मंत्री जी ने उबर कैब की बात कही, मैं उनका अभिनन्दन करना चाहूंगा, उन्होंने यह बात ताकत से कही। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। मैं मंत्री जी का और अभिनन्दन करूंगा, उन्हें उबर कैब के बारे में भी आने वाले समय में कैब रेगुलेशंस लाने की दिशा में काम करना चाहिए क्योंकि यह छोटा-सा अमेंडमेंट लाकर यह मामला हल होने वाला नहीं है। आपके माध्यम से मेरा मंत्री जी से कहना है कि यह जो बिल लाया गया है, वह सिर्फ दिल्ली के चुनाव को देखते हुए लाया है। इसका इस्तेमाल आप दिल्ली के चुनावी भाषण के रूप में करना चाह रहे हैं। इसलिए यह बिल स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किया जाए, यह मेरी मांग है।

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का समर्थन करता हूँ। उनमें गरीबों के प्रति अपार दयालुता है, वे बहुत उदार हैं। अभी-अभी उन्होंने कहा कि पाँच महीने हो गये, मैं इनसे सवाल करना चाहता हूँ कि अभी तक दिल्ली का मास्टर प्लान नहीं है, जबकि 15 वर्षों तक इनकी सरकार रही है। ... (व्यवधान) छ: महीने में हमने क्या किया है, यह कल यहाँ पर आपको दिखा दिया है। जून, 2014 तक जितनी भी कॉलोनियाँ बनी थी, उन्हें हमने रेगुलराइज कर दिया। छ: महीने में इसे हमने कर दिया। जहाँ तक इन्होंने सेफ्टी की बात कही है, ये सारी बातें मोटर एक्ट में कवर्ड हैं। मल्टीप्लीकेशंस ऑफ दी एक्ट से काम नहीं चलता है और उसमें केवल अननेसेसैरिली बातों में उलझाने वाली बात है। मोटर व्हिकल एक्ट में पहले से जो तमाम सेफ्टी मेजर्स हैं, वहीं यहाँ भी एप्लिकेबल होंगे।

You need not worry about that as that matter has been taken care of.

दूसरी बात यह है कि आज के समय में आदमी, आदमी को खींचेगा, यह कितना इन-ह्युमैन लगता है। हमें नहीं लगता कि हम सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। एक इंसान, इंसान को खींच रहा है, ऐसे में शुरुआत यहाँ से किया गया है।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ श्री नितिन गडकरी जी को, जिन्होंने यहाँ पर इसकी शुरुआत की है कि अमानवीय कार्य को इस देश से हटा दिया जाना चाहिए, बंद कर दिया जाना चाहिए। एक इंसान जब रिक्शा खींचता है, अभी ई-रिक्सा और ई-कार्ट की शुरुआत हो रही है, जब धीरे-धीरे ये सब वीड-आउट हो जाएंगे तो रिक्शा पुलर हैं, ह्युमैनबींग द्वारा वे अपने-आप ही खत्म हो जाएंगे। इसमें सबसे अच्छा यह प्रोविज़न है, जिसके बारे में आपने शायद कभी न सोचा होगा, इसमें तीन प्रतिशत ब्याज की दर पर उनको कर्ज़ दिलाया जा रहा है। जो गरीब से गरीब लोग हैं, जो मजदूरी करते थे या जो रिक्शा चलाते थे, वे तीन प्रतिशत के हिसाब से लोन लेकर रिक्शा पुलर उसके ऑनर हो सकेंगे, जिससे उनकी आमदनी बढ़ जाएगी। इससे सबसे ज्यादा लाभान्वित वही सेक्शन होगा, जो ओबीसी हैं, माइनोंरिटीज है, दलित हैं, उनके यहाँ मिनिस्ट्रीज में फंड भी है, इसके माध्यम से they will be in a position to utilise their funds, which are already lying in different Ministries, to the optimum level. मैं फिर धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि यह गरीबों की आवाज़ है, गरीबों की बात है। I am very surprised with the argument offered by the hon. Member against this. This is not a viable argument that can be sustained.

चार अक्टूबर को माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में जो मीटिंग हुई थी, उसमें जो रूल्स फ्रेम हुए थे, I think those rules were circulated on 8th October. उसके तहत बहुत सारी चीजें एवं सेफगाडर्स कर लिए गए थे। टेरी ने जो स्टडी की है, TERI has studied properly कि 2000 वाट तक जितने रिक्शा हैं, वे किसी तरह से हेजाडर्स नहीं हैं। They should be allowed to play. अब दिल्ली के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। इससे आम आदमी को फायदा होगा, आम आदमी उसे एफोर्ड कर सकेगा। यह स्कीम एक बार दिल्ली में लांच हो जाए, अब इसे रेगुलेट कर दिया गया है, पहले रेगुलेटेड नहीं थी तो एक इंसीडेंट से यहां तमाम कन्क्लूजन ड्रॉ कर लिए जाते हैं। However, those lacunae have also been taken care of. इसलिए मैं इस बिल का सपोर्ट करता हूं, इस बिल को पास किया जाना चाहिए। इससे जल्दी में कोई बिल पास नहीं किया जा सकता है क्योंकि अक्टूबर में मीटिंग हुई, उसके बाद सेशन चालू हुआ। यह नहीं देखा जाना चाहिए कि in view of elections commencing in Delhi, this Bill is being introduced and being passed. इसको इस लाइट में नहीं देखना चाहिए। I also support the name of the scheme. The Ministry has announced that there is a proposal of launching the scheme called Deen Dayal e-rickshaw. I support this also कि दीन दयाल रिक्शा स्कीम के नाम से इसको लांच किया जाना चाहिए। इस तरह से, मैं इस बिल का सपोर्ट करता हूं। मुझे नहीं लगता है कि इससे अच्छा any other welfare measures can be taken in the interests of these rickshaw pullers and poor people.

SHRIMATI M. VASANTHI (TENKASI): Sir, I thank you for this opportunity to participate in this discussion on the Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2014. Before I could speak, I would like to thank our leader, Puratchi Thalaivi, Amma who has enabled me to be present in this House.

At the outset, I would like to know whether this Bill would benefit 'aam aadmi' or would affect 'aam aadmi', I mean the common man. E-rickshaws like overnight flies were seen on the roads of the Capital. They were carrying people without any license either for the drivers or for the vehicles. The choked roads of Delhi had to face added problems. This had resulted in fatal accidents involving passengers of these e-rickshaws and also the public on the road. The High Court in Delhi had to step in and put a ban on these e-carts and e-rickshaws.

The unauthorized operations of these vehicles are to be legally permitted. That is why, this Bill has been brought before this august House. I would like to point out here that a great founder and leader Anna was for abolishing manual pulling of rickshaws. He wanted to avoid a barefoot man pulling another man on the wheel. I find the present Bill seeks to mechanize the rickshaws to overcome the drudgery of the manual pulling. From humanitarian point of view, this is a welcome step.

The proposed amendment to sub-section (1) of the Section 7 of the Motor Vehicles Act, 1988 is to relax the rules for granting license to the drivers of these vehicles. The earlier conditionality is that one should have a driving license to drive a light motor vehicle is being relaxed. The previous experience of riding manually pulled rickshaws will now be enough to drive these electric powered three-wheeled vehicles.

The concern of the Supreme Court in the safety and security of the general public must be upheld. I do not know whether a thorough scientific study has been conducted about the safety and security of these vehicles. People still feel that these kinds of vehicles can be permitted only on roads where no other motor

vehicles ply. I would like to know whether this common fear of the common man has been removed or not. It is a main question. However, the Government has brought this Bill to provide a viable economical mode of transport. Since it is battery operated, it may be cost effective. But, it is yet to be proved whether it would be viable as a risk free mode of transport.

No doubt, the e-rickshaws are environment friendly. But if they are moving along with other petrol and diesel vehicles, the gain from non-pollution may be lost. This risk factor would not be a guarantee for life. Hence, I would urge upon the Government to take care of this.

The manufacture, maintenance and the equipment of the e-carts or e-rickshaws must have an eye on safety and security of passengers. That is why, we find in place Clause 2 of the Bill that empowers the Central Government to make rules in respect of such specifications.

In the long run, if this legislation is to really benefit the poorer sections of the society, the Government must ensure that such vehicles are owner-driven. With the administrative powers left with the Government, care must be taken to regulate it in this new unorganised sector that would be coming up with the passing of this Bill.

When it comes to unorganised sector, I am reminded of the Beedi workers in my Tenkasi Constituency. They were languishing for long without a minimum assured salary and medical facilities for their family as also educational facilities for their children. With great efforts, the Centre was made to yield to recognise this unorganised sector. Beedi workers are getting some justice now. I would urge upon the Union Government to ensure the welfare of the newly emerging unorganised labour class with the passing of this Bill.

When rules are relaxed in the case of issuing licence to individual drivers, their poor status is taken into consideration. The Bill states that people upgraded from the manually pulled rickshaws will get employment. That must be translated into reality. Only the deserving people must be allowed to operate these e-

rickshaws with responsibility both towards passengers and their own vehicles. I would urge upon the Government to evolve a mechanism to see that syndicates of owners are not formed. Then it may lead to a situation like bringing up a monster.

I want to bring to the notice of the Government that most of the drivers operating rickshaws in general are an exploited lot as they are mostly migrant labour. Hence the Government may involve Resident Welfare Associations to identify suitable people to run these e-rickshaws as owner-driven vehicles. Area specific permissions may be given so that the drivers remain under the watchful eyes of the RWAs. This will help us to avoid unlawful and illegal activities in the neighbourhood areas. We can also strengthen the neighbourhood watch system which will give security to people living in different parts of Delhi.

I urge upon the Government to ensure that really the needy people are benefited through the operation of e-rickshaws in the city of Delhi. The experience gained in the national Capital may also help other States in due course.

Welcoming this Bill carefully with support, I conclude. Thank you.

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYANAGAR): Hon. Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak in this august House on the Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2014.

The definitions that have been proposed to be included in this Bill are in my opinion appropriate and necessary as they take into account very valid reasons that were otherwise missing from the purview of the Act under discussion. They make matters further clear and are assistive for the Act.

Moving to section 7 of the principal Act, the relaxation of driving licence to e-cart or e-rickshaw I believe is a very good move. But there must be regulation in respect of issuing driving a licence. Otherwise it might lead to a bad impact on traffic.

I would like to bring to the notice of the House that our hon. Chief Minister Mamata Banerjee has introduced a unique scheme that has brought 6,000 manually pulled rickshaws under green rickshaws - solar-powered e-carts or e-rickshaws - to provide employment as well as to provide pollution-free environment to our new generations.

On behalf of my party I would like to extend support to the Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2014. But I would like to request the hon. Minister through you that the Government should consider including the following points. First, the number of passengers on board should be restricted in order to avoid accidents. Secondly, restriction on quantity of goods also should be implemented. Thirdly, the Government might consider bringing the passenger on board and those caused harm by e-cart or e-rickshaw under insurance policy coverage in order to provide financial assistance to them.

Thank you.

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Sir, *Namaskar*. In this age of e-governance, it is only appropriate that we also have e-rickshaw, e-cart, e-dhobi and e-gareebs also.

Sir, what I understand from this Bill is that it wants to regularize e-rickshaws and e-carts in the national Capital. We understand the urgency of the Government. With the elections around the corner, it is obviously understandable. There is no problem. If they did it, why would you not do it? Nobody cares for the country. It is a question of vying for each other's throat. Since they did it, it is justified that you do it.

What I have heard is that these e-rickshaws are described as 'special purpose battery-powered vehicles' and we are limiting number of passengers to only 4 persons and the weight of baggage to 40 kilograms. How can the police constable, who till yesterday could not challan them, be able to check the number of passengers and weight of baggage? The hon. Minister has said- it is on record- that the traffic police cannot challan these vehicles. On the one hand, you are putting restrictions; on the other hand you are informing the law enforcement agencies that they cannot take action against them. We know that all across India when vehicles are meant to carry six people, they carry sixty people. You come from an illustrious State where we only see pictures of people bulging out of all kinds of vehicles.

What worries me is that the name of a great statesman, a lover of India, a true Hindu Shri Deendayal Upadhyay has been used in this project by the hon. Minister. We have great respect for the hon. Minister. He is the person who has paved the way for a group of corrupt people to be thrown out and a new group to have come in. He has done a commendable job for this country. We are all praise for him. He has led his party to success. But at the same time, I must say that there are doubts whether the name of a great person like Shri Deendayalji should have been used in this kind of a thing. From a little bit that I have read about him,

I can say that he was a very strict man, always obeyed social laws and was always very disciplined. So giving a name connected with that kind of a personality only shows that there is no much concern for his ideals in today's new set-up which is unwilling to accept that the roads of Delhi are very choked. If you have gone recently to Ashoka Road, you may have noticed that the road which is the main thoroughfare has been blocked from both sides. People who have homes there, cannot reach their homes. They have to go and live with other people. Some of them came to me. I live next door on Feroz Shah Road. They came knocking at my door wanting to know if they could spend the night there. I was a little shaky about that.

The whole world is now thinking of modern means of transport. With fossil fuel becoming more expensive- everybody knows that 50 per cent of India's import Bill is petroleum products- it is definitely commendable that we think of alternative means of transport. I have *per se* no opposition to e-rickshaws or e-carts. It is welcome to have such things. But I would have preferred other kinds of vehicles also being considered alongwith e-rickshaws and e-carts. Just because the Court ordered to ban e-rickshaws because of 137 accidents involving e-rickshaws till June of this year and infants' death occurring in one of these accidents, this law has been brought in to subvert the court judgement. But that is also acceptable because in today's India everything is acceptable. I am not cribbing on that. All I am saying is, would the Government and the hon. Minister think about considering other kinds of vehicles like hybrid cars?

One or two companies brought in hybrid cars to India. One of them was Toyota. But the taxes were so high that finally they did not sell. All over the world today, hybrid cars have a separate lane; if you are driving a non-hybrid car, you cannot go on that lane and you are challaned. So, hybrid and electric cars have a separate lane and separate facility. It would be wise on the part of the Government if they consciously starting from these c-carts and e-rickshaws, not only telling us that lakhs of families depend for their *rozi roti* on making a mess of the already

badly congested Indian roads, they actually start thinking about getting better kind of vehicles which are low emission, less pollution and less usage of fuel and more environment friendly.

I would request the hon. Minister that he should re-think about this, especially when Delhi is one of the most polluted cities in the world, Delhi needs his kind benevolent look. I hope that he would be willing to re-think and as this motley people – I am escaping because they are not there – said, ‘send it to a Standing Committee. I would request that he may consider this as a positive note and re-think on it. I thank you and conclude, without any support.

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Thank you for giving me this opportunity to speak on this Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2014.

It is a very smart and a sensible amendment that we are looking at right now. 'Smart' I say because the concept is smart. It is also a very sensible move because e-rickshaws are operated under batteries, and they have motors. So, it has to come under the Motor Vehicles Act. These e-rickshaws are very important if you consider the smart India concept and if we want to protect our environment and if we want to use much better ways low cost transport, then this is the solution that we have. In that case, when the Delhi Government had banned the e-rickshaws in 2014, I would like to say that it is a welcome move from the Government of India that they want to bring in this amendment, by which they want to regularize e-rickshaws and e-carts.

My only concern is this; this might be keeping in mind the one lakh e-rickshaw owners that we have right now. But we have to see that with the one lakh e-rickshaws, there will be at least four people traveling in that. We should also consider the safety of these four lakh people and the safety of the people who are on the roads, when they are put on the road. How much are we compromising on safety, because we are saying that we will give them licenses? They would not have to go through many hassles as the normal commercial vehicle owners have to go through. We will make it easier for them; they do not have to hold the learners license for one year. But how much are we compromising on the safety standards? Holding a drivers license is not just learning to drive the vehicle. They also know the rules of the road. That has to be taken care of. We also see that in the Special CMV 16th amendment for e-rickshaws, there have been certain specifications. These specifications are given for 2000 Watt e-rickshaws. They say that there will be a minimum of four passengers and with a limit of 40 kgs. and if you are transporting goods, it has to be under 310 kg. and the maximum speed up to 25

km. etc. Now, in the Act, in the definition it says that the e-rickshaws can have a motor of up to 4000 Watt. So, there is this gap between 2000 Watt and 4000 Watt – what should be the safety standards of these e-rickshaws. That has to be mentioned; it is not mentioned in the Bill.

I would also like to say that in today's Government, Shri Narendra Modi Ji has publicized the 'Make in India' concept. I think, it is a very good opportunity that we can bring it to the e-rickshaws also.

Presently, we see that for making e-rickshaws, we are importing all goods from China and assembling the e-rickshaws here. But if we make it mandatory that whatever e-rickshaws are being used in India should be made in India only, then we can encourage employment and see that there is quality control of the vehicles that are being built. It is because we do not know what kind of goods come from China. You cannot depend on the quality of Chinese products. So, it is better if we use made-in-India products for building e-rickshaws.

There are a couple of suggestions also. This can also be used for women empowerment. I do not know why our friends are saying that this is meant only for Delhi. This is an Act meant for the whole country. There are a lot of other cities which want to introduce e-carts in their own cities. Even in my constituency which is a rural constituency, I want to introduce e-rickshaws and empower women to drive them. Taking the country as a whole, I think, the hon. Minister should consider this Bill. This Bill should not be just looking at the Delhi elections. I hope that it should be for the whole country.

This is a very good Bill. I welcome this Bill and support this Bill on behalf of my Party and our leader Shri Chandrababu Naidu. If we introduce e-rickshaws in the capital of Andhra Pradesh, we would request the help of the hon. Minister in introducing them specifically in Andhra Pradesh and in other States as well.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): माननीय सभापति महोदय, मैं मोटरयान (संशोधन) विधेयक 2014 का समर्थन करता हूँ। ई-रिक्शा और ई-गाड़ी के आने से दिल्ली या देश के अन्य शहरों में हाथ से रिक्शा खींचने वाले जो गरीब आदमी हैं, उन्हें राहत मिलेगी। केवल गरीब आदमी को ही राहत नहीं मिलेगी बल्कि देश में पॉल्यूशन कम हो जाएगा। देश के कई शहरों में तीन पहियों वाला रिक्शा चलता है। इस रिक्शा चलाने वाले गांव से, दूर से आते हैं। अपनी रोज़ी-रोटी के लिए गरीब आदमी इस देश में रिक्शा चलाता है, हाथ से रिक्शा खींचने का काम करता है। उसका पूरा परिवार इस रिक्शा पर निर्धारित रहता है।

माननीय मंत्री महोदय, जो महाराष्ट्र से आते हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ कि इसके पहले किसी ने यह सोच नहीं रखी कि जो गरीब आदमी है, जो हाथ से रिक्शा खींचता है, जो पूरी तरह से उस रिक्शे पर निर्धारित रहता है, उसको राहत मिले। उस गरीब आदमी को इससे पहले किसी ने देखा नहीं है। उसकी गरीबी को किसी ने नहीं देखा। उसके ऊपर एक तरह से जुल्म होता है। उस जुल्म को किसी ने नहीं देखा, मोदी सरकार के मंत्री जो मेरे महाराष्ट्र से आते हैं, उन्होंने देखा। मैं इनका अभिनंदन करता हूँ।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि देश की राजधानी दिल्ली में और पुरानी दिल्ली में हाथ से रिक्शा खींचने वालों की संख्या अधिक है। देश के अन्य शहरों में ऐसी संख्या बहुत सारी है। गरीब लोगों को ई-रिक्शा खरीदने हेतु, केंद्र सरकार से कोई आर्थिक सहायता देने का प्रावधान अगर होता तो गरीब आदमी रिक्शा खरीद सकता और रिक्शा खरीद कर अपना जीवन चला सकता है। नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि पैसे वाला आदमी, रिक्शा खरीद कर गरीब आदमी को रिक्शा चलाने के लिए देगा और गरीब गरीब ही रह जाएगा और इस विधेयक का कोई उपयोग गरीब आदमी को नहीं होगा।

महोदय, इस विधेयक के अनुसार माननीय मंत्री महोदय से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि रिक्शा में कितने लोग बैठने चाहिए, इसके लिए इसमें प्रावधान तो है, लेकिन वस्तुस्थिति में ऐसा नहीं होता है। बच्चों को स्कूलों में ले जाने वाले रिक्शा में कैपेसिटी से ज्यादा बच्चे बैठते हैं और कई बार रिक्शा पलट जाती है या रिक्शा का एक्सीडेंट हो जाता है। कई बार ऐसी दुर्घटनाएं भी होती हैं कि उनमें स्कूल जाने वाले बच्चों की मृत्यु तक हो जाती है। मैं इस बिल के अवसर पर माननीय मंत्री जी से इस बारे में अनुरोध करना चाहता हूँ कि राज्यों में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले दलालों की संख्या आर.टी.ओ. कार्यालयों में दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर इसके बारे में केन्द्र सरकार की तरफ से राज्यों को कोई निर्देश जाए और राज्य इस बारे में कोई नियम बनाएं तो गरीब आदमी को जल्दी से जल्दी लाइसेंस मिल सकता है।

मैं अपनी और अपनी पार्टी शिव सेना की ओर से इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

SHRI B. VINOD KUMAR (KARIMNAGAR): Mr. Chairman, Sir, thank you. While introducing the Bill a day before and today before the debate started on this Bill, the hon. Minister had expressed his opinion on this Bill. Friends from this side also made their observations on this Bill, saying that the Government has brought this Bill keeping in view the elections in Delhi. However, I would like to tell that on my own behalf and on behalf of my Party, the Telangana Rashtra Samiti, we are supporting this Bill keeping in view the interests of rickshaw pullers as well as the cart pullers, particularly of Delhi, as their livelihood is dependent on this.

It is a small Bill. Only two clauses are going to be amended. One amendment is with regard to licensing. The requirement for having a learner's licence for a period of one year has been relaxed. So, there is no problem in supporting it. But there is a problem regarding the second amendment, amendment to section 2(a). Probably, the courts may once again intervene also. I will read it out. It says:

“For the purposes of this section, ‘e-cart or e-rickshaw’ means a special purpose battery powered vehicle of power not exceeding 4000 watts, having three wheels for carrying goods or passengers, as the case may be, for hire or reward, manufactured, constructed or adapted, equipped and maintained in accordance with such specifications, as may be prescribed in this behalf.”

In this Bill, there is no specification or prescription as to what type of vehicles would be e-rickshaws or e-carts. Nobody knows anything about the speed of the vehicle and about the power of the motor. The Memorandum regarding the delegated legislation, which is mentioned in page 4, states, “Clause 2 of the Bill empowers the Central Government to make rules in respect of specifications relating to the manufacture, construction, adaption, equipment and maintenance of the e-carts and e-rickshaws.”

What would be the strength of the chassis of the vehicle, whether it is e-rickshaw or e-cart? What is the speed at which will they be plying on the roads of Delhi or for that matter any other city, as my friend has now made a request that it should be introduced in other cities also? Nobody knows it.

The Principal Act was brought in 1988. At that time I was young and was a new entrant in the legal profession.

17.00 hrs

That was the Act which was then brought forward with many amendments. The specifications were mentioned with regard to the other vehicles in the principal Act. But here, the Government, for the reasons best known to them, have not specified the specifications relating to manufacture, construction or adaptation of the vehicles.

With these reservations, we support the Bill. Thank you.

17.0½ hrs

(Hon Deputy-Speaker *in the Chair*)

SHRI MD. BADARUDDOZA KHAN (MURSHIDABAD): Hon. Deputy-Speaker, Sir, as Shri Gadkari has said, he has brought forward this Bill on sympathetic grounds for the poor rickshaw pullers. There is a reason and that is election is coming in Delhi. I want to move some amendments or you may call them suggestions to this Bill.

In clause 2A(2), it is said "...having three wheels for carrying goods or passengers, as the case may be, for hire or reward, manufactured, constructed or adapted..."

Mr. Minister, you have introduced this Bill stating that e-cart and e-rickshaw pullers should be helped. I would like to say that if you are actually, seriously sympathetic to the poor people, there are lakhs and lakhs of motorized mechanical tri-rickshaws driven by diesel as the fuel. These are run by diesel engines. They are only the cheap mode of rural transport for passengers and goods. If you see in West Bengal and some other parts of India, such tri-cycles are there running in the rural parts of India. Also, they are carrying a load of one tonne and more carrying 12 to 15 passengers. They are not covered under the Motor Vehicles Act including the current one. They are not covered in this Bill also. Actually, they are also poor. In this connection, I would request the hon. Minister to cover the tri-cycles also as they are also poor. Sometimes, the police people are harassing them but they are running their tri-cycles every day, in every corner of our country. So, if you are sympathetic to the poor people, please cover these e-rickshaws also.

I have to say one more thing. In the Statement of Objects and Reasons, you have stated that it will provide employment to innumerable people who have upgraded from the manually-pulled rickshaws to the electric-powered three-wheeled vehicles. If it is true, kindly consider one thing. Suppose we have five lakh manually-pulled rickshaws. You are going to give licence to two lakh e-rickshaws. Are two lakh e-rickshaws sufficient to replace the five lakh manually-pulled rickshaws? Where will the remaining three lakh people go? They are also

poor. They will also be unemployed. Where will they go and what will you do with them?

Here, I have a suggestion to make. I want to say that if you are really interested in the poor people, then, please do provide some rehabilitation to these poor rickshaw pullers. I wish to add these two things to this Bill.

Finally, I want to say that there is nothing to hurry with this Bill. I have a suggestion. Please send the Bill to the Standing Committee. After getting the recommendations from the Standing Committee, then, finally discuss it in the House and pass the Bill.

With these words, I conclude. Thank you.

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी शिरोमणि अकाली दल की तरफ से मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं समझता हूँ कि सरकार की इस बिल के पीछे जो भावना है, जो उद्देश्य है, वह बहुत अच्छी है। क्योंकि गरीब को रोजगार और सुविधा देना सरकार की ज़ूटी होती है और यह सरकार इस पर सही रूप में काम कर रही है। इस बिल का हम लोगों को कितना लाभ होगा, यह हमें हमारे विरोधी पक्ष के मित्रों के द्वारा जो लॉजिक दिया जा रहा है, उससे पता चल रहा है। ये कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष इलेक्शन जीतने के लिए यह बिल लेकर आए हैं। यदि आम लोगों को लाभ होगा तो वोट डालेंगे। मुझे यह लगता है कि माननीय मंत्री जी ने इस बिल के माध्यम से अपनी जो बात रखी है, वह बिलकुल सही है। कई मित्रों ने यह कहा है कि इलेक्शन की वजह से यह किया जा रहा है, लेकिन हमारे देश में तो हर साल कहीं न कहीं इलेक्शन होते हैं। मेरे ख्याल से ऐसा कोई महीना नहीं होगा, जिसमें इलेक्शन नहीं होता है। अगर हम यह सोचेंगे तो फिर कोई बिल ही नहीं आएगा। इसलिए हर बात को इलेक्शन से जोड़ना ठीक नहीं है। क्या गरीब को रोजगार देना गलत है? क्या किसी को सुविधा देना गलत है? मैं ऐसा मानता हूँ कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजने की दलील में कोई दम नहीं है। इसलिए माननीय मंत्री जी के द्वारा लाए गए इस बिल को पास करना चाहिए।

महोदय, मेरे इस संबंध में कुछ सुझाव हैं कि जब भी सड़क की या मोटर व्हीकल की बात आती है तो एक्सीडेंट्स की बात भी सामने आती है। ऐसे बहुत से एक्सीडेंट्स होते हैं जो कम्पनियों की कमियों के कारण होते हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहूँगा कि चूंकि इस बिल में तो कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता है क्योंकि इसे जल्दी पास करना है, लेकिन सरकार की कहीं न कहीं कम्प्रीहेंसिव रूप से ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, व्हीकल पॉलिसी आनी चाहिए क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स की बहुत समस्याएं हैं, इसमें बहुत मुश्किलें हैं। खेती से जुड़े लोग ट्रांसपोर्ट की वजह से परेशान होते हैं। एक ही स्टेट में एन्ट्री फीस होनी चाहिए, हर प्रदेश में जाने पर चार्ज नहीं किया जाए। ड्राइविंग लाइसेंस केवल क्वालीफाइड लोगों को ही दिया जाना चाहिए। हमारी पंजाब की सरकार ने ड्राइविंग स्कूल खोले हैं, क्योंकि एक व्यक्ति पर सैंकड़ों लोगों की जिंदगी निर्भर करती है। इसके अलावा एक्सीडेंट करने पर जो सजा है, वह बहुत कम है, इसे बहुत सख्त किया जाना चाहिए। मैन्युफेक्चरिंग को सड़कों के साथ जोड़ना चाहिए। हमने हाईवे बना दिए हैं, फ्लाईओवर बना दिए हैं, लेकिन फिर भी जाम लग रहा है। इसलिए सड़क और मैन्युफेक्चरिंग को जोड़ कर कोई ऐसी पॉलिसी आनी चाहिए जिससे ट्रांसपोर्ट आसान और लोगों के लिए सुविधाजनक बन सके। इसके साथ ही मैं इस बिल का सपोर्ट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : उपाध्यक्ष महोदय, मोटरयान अधिनियम बिल आदरणीय गडकरी साहब ने पेश किया है और यह सही है कि आदमी ही आदमी को ढोता रहा है। इंसानी स्वभाव के खिलाफ इंसान जानवर की तरह से रिक्शा चलाता रहा है। एक कहावत है कि जाड़ा हो गर्मी हो या हो बरसात डाकिया जरूर आएगा। उसी ढंग से जाड़ा हो, गर्मी हो या हो बरसात रिक्शा चलाने वाला, रिक्शा चलाता रहता है। आज से तीस साल पहले डॉ. राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि इस देश में शोषण की कई चक्कियां हैं, जिनमें रिक्शा चालक का मानसिक रूप से शोषण होता है, आर्थिक रूप से शोषण होता है और शारीरिक रूप से शोषण होता है। उन्हें अपमानित किया जाता है। उनको अपशब्दों को झेलना पड़ता है। पेट पालने के लिए उन्हें यह सब अपमान सहना पड़ता है। आज बेरोजगारी का सवाल है और ई-रिक्शा के ऊपर यह बिल आया है। सरकार उनके बहते हुए आंसुओं का ख्याल रखते हुए सरकार यह बिल लायी है। यह सही है कि इस देश में कोई खाते-खाते मरता है, कोई रोते-रोते मरता है, लेकिन रिक्शा वाले हमेशा बोझ ढोते-ढोते ही मरते हैं। उनकी हेल्थ पर भी ध्यान दिया जाए। उनके लिए रैन बसेरों का इंतजाम किया जाए। उनके बच्चों की शिक्षा-दीक्षा का इंतजाम किया जाए। खासकर, जो रिक्शा चालक उत्तर भारत के यहां हैं, बिहार और यू.पी. से हैं और अन्य जगहों से यहां पर हैं, उनकी गरीबी, गुरबत सबका ख्याल रखें। वे टीबी के पेशेन्ट हो जाते हैं। इस कारण उनकी कम उम्र में ही मौत हो जाती है। इसलिए उनका जीवन बीमा होना चाहिए। उनके लिए इतना इंतजाम होना चाहिए कि उनकी जिंदगी बेहतर हो सके। जो यह विधेयक लाया गया है, इसमें हम लोग इस विधेयक का नहीं, बल्कि इसके तरीके का विरोध कर रहे थे।

इसलिए मैं एक बार यही कहूंगा कि एक आम आदमी, जो कि आदमी का बोझ उठा रहा था, उस बोझ को यह ई-रिक्शा कम करेगा। यही बात कह कर मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

श्री भगवंत मान (संगरूर): उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे मोटर यान (संशोधन) एक्ट, 2014 पर चर्चा करने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, माननीय मंत्री जी ने दिनांक 17 जून, 2014 को रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी जनसभा की थी, जिसमें ई-रिक्शा वालों को बुला कर उसमें वायदों की झड़ी लगा दी गयी थी कि उनके लिए रजिस्ट्रेशन मुक्त हो जाएगा, 650 वाट के इंजन से कम वाले को कोई परेशानी नहीं होगी और चांद-सितारे तोड़ लाने की बड़ी-बड़ी बातें की गयीं। उसके बाद जब उसके महीनों बाद पूछा गया कि क्या हुआ तो फिर वे इस बात से मुकर गए और यह कहा गया कि इसके लिए तो कानून लाना पड़ेगा, लीगली यह पॉसिबल नहीं है। वैसे तो बहुत-से यू-टर्न थे, पर उनमें से गवर्नमेंट का एक यू-टर्न यह भी है कि छः महीने से अब यह कहा जा रहा है कि यह गरीबों की रोज़ी-रोटी का सवाल है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहता हूँ कि ई-रिक्शा चलाने वाले लोग करीब तीन लाख परिवार हैं, इसका मतलब करीब बारह से पन्द्रह लाख लोग छः महीने से क्या खा रहे थे, इसके बारे में क्यों नहीं चिंता की गयी? अब इस बिल को आनन-फानन में पेश किया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में इलेक्शंस आ रहे हैं। इस ई-रिक्शा का वैसे तो मतलब इलेक्ट्रिक रिक्शा है, लेकिन यहां पर ई-रिक्शा का मतलब इलेक्शन रिक्शा है। यह जो इलेक्शन रिक्शा के संबंध के बिल लाया जा रहा है तो यह बात तो ठीक है कि आप उन गरीबों के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन, आप उनके बारे में उसी वक्त क्यों सोच रहे हैं जब इलेक्शंस आते हैं?

महोदय, मेरे साथी चंदमाजरा जी कह रहे थे कि इलेक्शंस तो पूरे साल चलते रहते हैं। लेकिन, क्या आप सारे बिल्स इलेक्शंस के दो महीने पहले पास कराएंगे? जो-जो बिल आ रहे हैं, जैसे कल वैकैय्या नायडू जी अन-ऑथोराइज्ड कॉलोनियों का जो बिल लेकर आए थे, वह भी दिल्ली के इलेक्शंस से रिलेटेड है। कानून की भाषा और बोलचाल से यह लगता है कि इसमें नए ई-रिक्शा खरीदने को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिनके पास पुराने रिक्शे हैं, वे कहां जाएंगे? जो पुराने रिक्शे हैं, उन्हें भी इसी कैटेगरी में रखना चाहिए। बीजेपी की तरफ से यूपीए सरकार के बारे में जो पॉलिसी पैरालिसिस कहा जाता था, सेम पॉलिसी पैरालाइसिस मेरे ख्याल से इस सरकार को है। इसके आठ महीने हो गए। इन्होंने कोई पॉलिसी नहीं लायी। अब सिर्फ बिल में अमेंडमेंट करके आप यह समझिए कि उनको एक लॉली-पॉप दिया जा रहा है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि ई-रिक्शा में किराया कम लगता है, यह पॉल्यूशन नहीं करता और यह तंग गलियों में भी जा सकता है, उसको बढ़ावा देना चाहिए। मेरे ख्याल से उनके रजिस्ट्रेशन की फीस करीब चार-पांच लाख रुपये के आस-पास होगी। गरीब आदमी इसे नहीं उठा

सकता है। इनका कोई एसोसिएशन भी नहीं है। इसलिए हर आदमी को इसकी लाइसेंसिंग के लिए दफ्तरों में धक्के खाने पड़ेंगे।

महोदय, मैं सरकार से आग्रह करता हूँ और यह सजेशन भी देता हूँ कि आप उन्हें इसकी लर्निंग लाइसेंस देने के लिए या इसकी ट्रेनिंग देने के लिए दिल्ली में जगह-जगह कैम्प लगवाएं ताकि उन्हें इधर-उधर दफ्तरों में न जाना पड़े। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूँ कि ई-रिक्शा के बारे में एक सेफ्टी स्टैण्डर्ड का कानून पास किया जाए और पिछले दिनों उन्हें एक किरम का जो डेमेज हुआ है, उसके बारे में भी कुछ न कुछ प्रावधान किया जाए। जैसे कोई एक आदमी ही ई-रिक्शा खरीद कर उसके ड्राइवर्स न रख ले, तो जिनके पास साइकिल रिक्शा हैं या हाथ से खींचने वाले रिक्शा हैं, उन्हें सस्ते लोन पर ई-रिक्शा प्रोवाइड कराएं ताकि वे रिक्शा मालिक कहला सकें। यह मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है।

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैकैय्या नायडू) : सर, भगवंत जी का भाषण सुन कर, उनकी आवाज़ सुन कर कि हाउस में कुछ हो रहा है, ऐसा सुनकर मैं भाग कर हाउस में आया।...(व्यवधान) मैं यह लाइटर वेन में कह रहा हूँ।...(व्यवधान)

श्री भगवंत मान : सर, जोश के साथ होश भी चाहिए। जोश इधर है, होश उधर है।

श्री ओम बिरला (कोटा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने उस गरीब व्यक्ति को जो हाथ से रिक्शा चलाता है, आज हमारे देश में युग परिवर्तन होने के बाद भी व्यक्ति-व्यक्ति को ढोता है। कोई रिक्शे के, पालकी के माध्यम से ढोता है। पहली बार ई-रिक्शा के माध्यम से सरकार ने एक नयी शुरुआत की है और ई-रिक्शा के कानून में परिवर्तन करना इसलिए आवश्यक था, क्योंकि आज भी बहुत से लोग यहां पर बेरोजगार बैठे हैं। मेरे माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे कि इस कानून को परिवर्तन करने की जल्दी में क्या आवश्यकता थी। इसे कोई दिल्ली के चुनाव से जोड़ रहा है, लेकिन किसी को उस गरीब व्यक्ति की चिन्ता नहीं, जो दो लाख लोग बेरोजगार बैठे हैं, उसको कानूनी जामा पहना कर उनको काम करने दिया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंदर पहली बार सरकार ई-रिक्शा के माध्यम से मोटल व्हीकल एक्ट में परिवर्तन भी कर रही है, लेकिन आजादी के 65 साल बाद अपने देश में हम यह कहते हैं कि इस देश के अंदर ट्रांसपोर्टेशन भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। तमाम राज्यों के आरटीओ करप्शन के अड्डे बने हुए हैं। आम आदमी को लाइसेंस से लेकर परमिट तक दलालों के माध्यम से मिलता है। पहली बार एक परिवर्तन की दिशा बनी है। एक गरीब व्यक्ति से परिवर्तन बना, यह परिवर्तन रुकने वाला नहीं है। इस देश के अंदर एक व्यापक परिवर्तन हमारे माननीय मंत्री महोदय करने जा रहे हैं। यह परिवर्तन इस देश के अंदर उस करप्शन को बंद करेगा, जिसको आजादी के 65 साल बाद हम बंद नहीं कर पाए। वह करप्शन बंद होगा, जिसकी आम जन आवश्यकता महसूस करती है। इस देश के अंदर ई-गवर्नेंस के माध्यम से आज दुर्घटना में पांच लाख लोगों की जगह डेढ़ लाख लोग मरते हैं। सड़क दुर्घटना के लिए हम सब लोग चिन्तित हैं, इसकी सुरक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए। इसलिए व्हीकल के अंदर व्यक्ति सुरक्षित हो और व्हीकल सुरक्षित बने, इसके लिए नये प्रयास किए जा रहे हैं। पहली बार सरकार ऑन लाइन परमिट और ऑन लाइन लाइसेंस की व्यवस्था कर रही है। इन गरीब व्यक्तियों को दूर-दूर तक लाइसेंस लेने के लिए जाना पड़ता था, इसके लिए कई चक्कर उनको काटने पड़ते थे। लाइसेंस में करप्शन होता था। इसलिए एक नयी शुरुआत की है, करप्शन को समाप्त करने के लिए लाइसेंस प्रणाली को कम्प्यूटाइज़ किया जाए। लाइसेंस लेने के लिए वह पास हुआ या फेल हुआ, उसमें हो रहा करप्शन खत्म होगा। इसीलिए ई-रिक्शा भी इस दिशा के अंदर एक कदम है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमें सारे देश के अंदर, जहां व्यक्ति ढोकर चल रहा है, चाहे वह रिक्शे में चल रहा है या अन्य किसी संसाधन से चल रहा है,

उन संसाधनों को लाना जरूरी है। उन पर्वतीय इलाकों के अंदर भी, जहां व्यक्ति को व्यक्ति ढो कर जाता है, उसके लिए भी नयी टैक्नोलॉजी लाकर व्यक्ति को ढोने की प्रथा को समाप्त करना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने उस गरीब की चिन्ता की। उस गरीब को कानून की परिधि में भी लाएं। उन्होंने इस कानून से शीतलता भी दी। कानून की परिधि में लाने से उसे कानूनी हक भी मिलेगा, लेकिन उसके लिए एक शीतलता भी मोटर व्हीकल एक्ट में अगर लाते तो शायद उस गरीब व्यक्ति को लाइसेंस से, परमिट से लेकर जो कई समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, उनका समाधान होगा। इन दो संशोधनों के माध्यम से, गरीब ई-रिक्शा के माध्यम से ई-रिक्शा प्रणाली को ठीक से चला पाएगा, वहीं भविष्य के अंदर हम नये मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर, जहां व्यक्ति भी सुरक्षित रहे और पारदर्शिता हो, इस सारे कानून को लाकर इस देश में व्यापक परिवर्तन करें। मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने देश में एक नये परिवर्तन की शुरुआत की है। यह परिवर्तन की पहली शुरुआत है और भविष्य में इस परिवर्तन के माध्यम से इस विभाग में करप्शन कम होगा। इससे पारदर्शिता होगी, हम एक्सीडेंट्स को रोकेंगे और मानक रूप से सुरक्षित वेहिकल बनेंगे। इस दिशा में मंत्री जी ने व्यापक कदम उठाया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI GAURAV GOGOI (KALIABOR): Thank you, Sir, for giving me this opportunity. The Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2014 clearly seeks to provide relief to drivers of e-rickshaws and e-carts by primarily relaxing the conditions to get a driver's license. No doubt, it is a noble intention.

The first speaker from BJP spoke about the inhumanity of people pulling rickshaws with their hands in this age. I, as a Congressman, completely agree with him. But I disagree when he said that the Congress does not care about the poor. I would like to remind the hon. Member that it was under the Congress Government in Delhi that e-rickshaws were first introduced. E-rickshaws are smaller than auto rickshaws but can carry more passengers. They are as cheap as taking a cycle rickshaw ride. It is more convenient for the driver as well as for passengers. It can help passengers cover distances which are just beyond the comfort of walking.

In the introduction of this Bill there have been many questions raised about the norms of Parliamentary procedure. Hon. Minister Gadkari *ji* said: "We in the Opposition do not think that this Bill is important and that is why we are standing in opposition to the introduction of this Bill." I would like to ask a counter question to the hon. Minister. If this was so important to you, why was it missing from the list of the Business Advisory Committee? It should have been present in the list if it was so important.

Nonetheless, hon. Minister, there are many Bills which are important namely the Women's Reservation Bill, the Prevention of Communal Violence Bill, etc. We are all here to do serious legislative work but we want to follow Parliamentary norms and procedures. The way you have timed the introduction of this Bill clearly signifies that you have election objectives in mind. You think that in the Delhi Elections the voters will sit on these e-rickshaws, go to the polling booths and vote for the BJP. But that is not going to happen. I tell you, why? As Bhagwant Mann *ji* said, you had made huge sacrifices. You have overlooked huge

areas of improvement. The day of 16th December will forever be a black day in India because of what happened to Nirbhaya. The whole country was shocked in silence. At that time, Shri Narendra Modi said कि बंद होगा दिल्ली में बलात्कार, अबकी बार मोदी सरकार। 5 दिसम्बर में क्या हुआ? 5 दिसम्बर में उबर कैब में यात्रा करती हुयी उस महिला पैसेंजर के साथ क्या हुआ और उससे हमने क्या सीखा? हमने यह सीखा कि एक ड्राइवर जिसका रेप का पुलिस रिकार्ड था, ...(व्यवधान) उस ड्राइवर को ऐडहॉक परमीशन दी गयी थी। पुलिस का वैरीफिकेशन भी उसके पास था। मैं पूछना चाहूंगा कि how will you ensure that what happened to the passenger of Uber cab will not happen to any female passenger of an e-rickshaw? How will you ensure that none of these drivers will have a case of rape? How will you ensure that all drivers, who get a license, will be cross checked with the National Crime Records Bureau? How will you verify and not allow such drivers to ply on the streets? Please take time to introduce this Bill. Do not be in a rush to win the votes on the seat of an election rickshaw. Think about women safety.

Verification of a driver is a very important procedure. We have seen it in the Uber cab case. I must remind the hon. Minister that when Aadhaar was introduced and the Government went on a large enrolment drive, Members, who are now in the Ruling Party and then were in the Opposition, said that in Aadhaar, we are overlooking many verification procedures. In this process, we are also giving Aadhaar cards to Bangladeshi immigrants to get the Bangladeshi vote bank.

Now, I want to put one question to the hon. Minister. The Prime Minister said that after May 16th, all illegal Bangladeshis would flee. Can you ensure that out of all the licence holders of e-rickshaws, not a single illegal Bangladeshi will get a licence?

Sir, the hon. Members of Parliament from BJP only see Bangladeshis at the time of election. When they are in power and when they can do something about it, they are not ensuring any procedures, which you can see in this Bill. We have seen a 'U' turn on the land boundary agreement and now we have seen a 'U' turn on this. So, BJP must think about it. BJP is not thinking about the drivers.

Giving licence will provide relief to one extent that these drivers face innumerable harassment, spot checks and their vehicles get impounded, they get pulled over by Police and they get harassed by Police and they are taken to jail. They come from a poor rural background, often from outside Delhi. They are afraid and they are threatened and intimidated. उनको आप कैसे बचाएंगे? लाइसेन्स लेने में कितना करप्शन होता है? एक ड्राइवर को लाइसेन्स लेने में ही 2 लाख रुपए या 4 लाख रुपए ब्राइब देना पड़ता है। क्या आप एनश्रोर करेंगे कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में कोई करप्शन नहीं होगा? ...(व्यवधान) किसी ड्राइवर को ब्राइब नहीं देना पड़ेगा, हफ्ता नहीं देना पड़ेगा? ...(व्यवधान) आप वह कैसे करेंगे?

Does the Minister actually have a solution for transport in mind? Delhi is one of the most congested cities. The Delhi Government under the Congress rule thought about decongesting the streets of Delhi. They thought about having Metro, which is now ranked as one of the best Metros in the world.

This Government has done this in order to please the manufacturers. They manufacture lakhs and lakhs of e-rickshaws which will actually lead to congestion of the Delhi streets. This Government must ensure that the manufacturers are put under strict guidelines to manufacture e-rickshaw within certain norms, and the tendering process and monitoring process must be transparent and open. We should ensure that family members do not benefit from political decisions.

Therefore, Sir, on the areas of women safety, on the areas of driver relief, on the areas of transport solutions, on the areas of monitoring and regulation, I feel that this Bill is weak and this Government could have done a lot more. Therefore, this Bill must be transferred to the Standing Committee.

Thank you.

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्जापुर): उपाध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा जो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल लाया गया है, मैं उसका स्वागत करती हूँ क्योंकि यह बिल देश के उस आवाम के हित को दृष्टिगत करते हुए लाया गया है जो पिछड़े, दलित और गरीब समुदाय से आती है और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र जैसे तमाम राज्यों में रिक्शे को चला कर, लोगों और सामान को ढोने का काम करती है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश के अंदर शायद ही इससे बड़ी अमानवीय व्यवस्था कोई और हो, जिसमें कुछ गरीब लोग साइकिल रिक्शा को स्वयं खींचते हैं। कड़ाके की ठंड हो, तपती हुई धूप हो या मूसलाधार बारिश हो, वे ऐसा करने के लिए विवश हैं क्योंकि उन्हीं से उनके परिवार का पेट पलता है। अगर आज हमारी सरकार ने यह फैसला किया है कि वह इस अपमान भरे जीवन से ऐसे लोगों को मुक्त करना चाहती है और उनको यह एहसास दिलाना चाहती है कि आप एक इंसान हैं और आपको भी इंसान की तरह सम्मान से जीने का अधिकार है, तो हमें निश्चित रूप से इस बिल का स्वागत करना चाहिए।

HON. DEPUTY SPEAKER: Madam, you can continue your speech tomorrow.

17.29 hrs

HALF-AN-HOUR DISCUSSION
Plastic Hazards

HON. DEPUTY SPEAKER: The House shall now take up Item No. 18 – Half-an-hour discussion.

Dr. Kirit Somaiya.

डॉ. किरिट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, प्लास्टिक हजार्ड, प्रश्न - 42, जिस पर हम यहां 26.11.2014 को चर्चा कर रहे थे, जिसमें कुछ बिन्दुओं पर चर्चा अधूरी रह गई थी। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि प्लास्टिक हजार्ड की समस्या के जो विभिन्न अंग हैं - 1. प्रोडक्शन यानी मैनुफैक्चरिंग, जो स्टडी करना है उसमें production, manufacturing the guideline for the same. दूसरी बात है सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तीसरा यूज है और चौथा महत्व का बिन्दु डिस्पोजल है। सबसे पहला मुद्दा है कि हर राज्य ने इस संबंध में अपने अलग-अलग नियम बनाए हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या केन्द्र सरकार इस संबंध में कोई इनीशिएटिव लेकर सब राज्यों को साथ बिठाकर मैनुफैक्चरिंग से लेकर सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, यूज और डिस्पोजल के बारे में समान कानून बनाने की गाइडलाइन बनाने के संबंध में विचार करेगी? दूसरा, कानून, अवेयरनेस, एजुकेशन और कमिटमेंट - इस संबंध में भी हमें काफी काम करने की आवश्यकता है। हम कानून बनाते हैं लेकिन अवेयरनेस में काफी कम पड़ रहे हैं। अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए जैसे माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने अभी स्वच्छ भारत का ऐलान किया तो पूरे देश में स्वच्छ भारत की चर्चा होने लगी। क्या हम प्लास्टिक मुक्त भारत की भी एक कल्पना रख सकते हैं? उसे लेकर we can do it.

I would like to give a couple of examples. हमारे मंत्री महोदय बहुत नजदीक से जानते हैं कि मुम्बई में माथेरान is one hill station. वहां काफी प्लास्टिक था। I went there for 12 months. आज माथेरान के नगर निगम से लेकर सबने मिलकर निर्णय किया और प्लास्टिक मुक्त माथेरान बन गया। हम मेट्रो रेलवे देखते हैं। एक ओर नार्मल रेलवे और दूसरी ओर मेट्रो रेलवे। आज आप मेट्रो रेलवे में देखते हैं कि कितनी स्वच्छता है और नार्मल रेलवे में क्या स्थिति है। स्मोकिंग, आज से 10, 15, 20 साल पहले रास्ते में कोई भी व्यक्ति स्मोकिंग करता था तो सिगरेट वहीं फेंकता था। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि can you go for a study कि हिन्दुस्तान के सौ सबसे बड़े शहरों का अध्ययन किया जाए। यहां अर्बन मिनिस्टर वैकैय्या नायडू जी भी बैठे हुए हैं। Garbage disposal से लेकर

अंत तक यह देखें कि प्रोजेक्ट लगा है या नहीं, उसकी क्या स्थिति है, प्लास्टिक के बारे में इन सौ शहरों में क्या नियम बनाए गए हैं। इसी प्रकार सौ नदियां ले लीजिए। हमारे मुम्बई में मीठी नदी थी जो आज अदृश्य हो गई है। इसी प्रकार प्लास्टिक का परिणाम नदियों पर क्या हुआ।

मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान एक और विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहूंगा। आज मुम्बई जैसे शहर में गारबेज डिस्पोजल या वेस्ट मैनेजमेंट की स्थिति काफी दयनीय है। मैंने आपसे पहले भी प्रार्थना की थी। आपकी पौल्युशन कंट्रोल बोर्ड की टीम दो-तीन महीने पहले मुम्बई होकर गई है। क्या आप इस बारे में जानकारी देंगे कि मुम्बई जैसा महानगर जो देश की आर्थिक राजधानी है, वहां हम प्लास्टिक मुक्त मुम्बई का सपना साकार नहीं कर सके। वहां गटर चोक हो जाते हैं। पूरे मुम्बई के तीन डम्पिंग ग्राउंड मेरे ही क्षेत्र मुलुंड, कांजूर और गोवंडी मानखुर्द में हैं। वहां कोई Garbage Disposal Scientific System नहीं है।

मैं अंत में एक बात कहकर समाप्त करूंगा। प्लास्टिक हैजार्ड के कारण आरोग्य पर परिणाम होता है। आरोग्य पर होने वाले परिणाम के बारे में साइंटिफिक स्टडी करके लोगों के सामने रखना चाहिए। अवेयरनेस का प्रारंभ हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स से करें। सरकार, माननीय मंत्री महोदय, जैसे मैंने कहा कि अर्बन मिनिस्ट्री से कोआर्डिनेशन करके गारबेज डिस्पोजल की जागृति के लिए शिक्षा विभाग द्वारा अवेयरनेस प्रारंभ करें।

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने प्लास्टिक जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। आप जानते हैं कि सरकार द्वारा कई बार इसके बारे में चर्चा होती है, खासकर इन्चार्जमेंट मिनिस्ट्री द्वारा कहा जाता है कि प्लास्टिक के ऊपर बैन लगाना चाहिए, प्लास्टिक का सोच-समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन हम यह मैसेज तब तक नहीं दे सकते हैं। जैसा हमारे वरिष्ठ सदस्य किरीट भाई ने कहा कि प्लास्टिक बैन के ऊपर भी हमें सोचना चाहिए। प्लास्टिक के डिस्पोजल के ऊपर भी सोचना चाहिए। आपके माध्यम से सरकार से विनती है कि बाकी देश में क्या करना चाहिए, वह तो आप करें हों, लेकिन पहली शुरुआत हमें अपनी तरफ से करनी है। संसद परिसर, सभी राज्यों के विधान मंडलों, केन्द्र सरकार के सभी संस्थानों, राज्य सरकार के सभी संस्थानों, पीएसयूस, इनमें हमें प्लास्टिक के ऊपर बैन के बारे में हमें अपनी तरफ से पहल करनी चाहिए। गांधी जी के बारे में हम सब कह रहे हैं। आज अगर मंत्री जी इस बारे में घोषणा करेंगे कि विधान मंडल, संसद, सभी सरकारी संस्थान, इनमें अगर प्लास्टिक बैन करेंगे तो आप देश को एक मैसेज दे सकते हैं। प्लास्टिक के बारे में अवरनेस संसद की तरफ से पहले होनी चाहिए। यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ।

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैकैय्या नायडू) : महोदय, राजीव सातव जी ने कहा कि कम से कम एक शुरुआत हो, बढ़िया सुझाव है, मैं चाहता हूँ कि हमलोग भी इस पर चर्चा करें, सदन परिसर में कम से कम इस काम को करें। You being the Deputy Speaker, I request the Chair also to take into consideration to see at least if we can prohibit the plastics within the premises of Parliament, then that can be an example to States also. That is a suggestion. I welcome the suggestion.

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : उपाध्यक्ष जी, निश्चित तौर से आज जिस तरह से प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है इससे पूरे देश में एक बहुत ही खतरे की स्थिति पैदा हो गई है। यहां तक की प्लास्टिक के कारण जमीन अनउपजाऊ हो रही है जानवर इसे खाकर मर रहे हैं। जगह-जगह प्लास्टिक के कचरों के कारण स्वच्छता पर भी निश्चित रूप से बहुत फर्क पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से इसके लिए सख्त कानून बनाना चाहिए। इसके लिए दो तरह से काम करना चाहिए, एक तो स्वच्छता के लिए इस पर प्रतिबंध लगाएं, दूसरा प्लास्टिक को इकट्ठा करके जलाने का काम भी करें और उससे कुछ अन्य उपयोगी चीजें भी बनायी जा सकती हैं, इसके लिए प्रयोग करने का काम करें तो अच्छा रहेगा। इसके साथ-साथ जमीन अनउपजाऊ हो रही है, वहां के लिए भी कोई व्यवस्था देखने का काम करें।

SHRI SURESH C. ANGADI (BELAGAVI): Thank you very much for the opportunity given to me.

Today, the whole India has become a garbage hell. We have read many articles in the weekly and monthly magazines. Today, urbanization has become a hell. So, as per the suggestion of my colleague, Dr. Kirit Somaiya, it should be taught from the primary school. Cleanliness should come from the schools itself. Once it started from schools and educational institutions, then the awareness will come among young people. The urbanization hell has been created by the educated people only. Most of the villages are very neat and clean. But why have the cities become so dirty? It is because the educated class has only destroyed the cities.

My earnest request to the Government and to the Members of Parliament is that this education should start from urban areas and from educated people only. It

should not start from the villages. You go to any village in the country. The villages are very neat and clean. They are farming. They are doing agriculture. Their small huts are very neat and clean. But whenever you go to urban areas, say, you take Bengaluru, you take Mumbai, you take Chennai, you take Delhi and even the very, very VIP colony, it is not clean. If the Members of Parliament go and take a round in North Avenue or in South Avenue, they will feel how much dirty it is and they can find how much plastic is there. First, we should be clear. We should be aware of it. It is very, very important today. The whole world is focussing on India. The whole world is appreciating our hon. Prime Ministe* who has taken the initiative to clean India. This is a very good initiative. So, I suggest that this should go through education. Thank you.

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। मैं किरीट सोमैया जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर पूरे देश के लोगों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न किया।

उपाध्यक्ष महोदय, हम मुम्बई शहर से आते हैं। हमने वहाँ प्लास्टिक बैग के बारे में अवेयरनेस लाने के लिए बहुत प्रयत्न किया। लोगों को 20 माइक्रोन्स या उससे कम माइक्रोन्स के कैरी बैग्स को उपयोग नहीं करना चाहिए, इस बारे में बहुत प्रयत्न हुआ। मेरे पूर्व मित्र ने भी कहा कि इस बारे में कानून बनाना चाहिए। मैं भी कानून बनाने से सहमत हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कानून बनाकर हम सब बातों को रोक नहीं पायेंगे। हमें लोगों को इसमें जोड़ना पड़ेगा। जैसे स्वच्छता अभियान में नरेन्द्र मोदी जी ने सारे देश के लोगों को जोड़ा, वैसे ही हम इस अभियान में सब लोगों को साथ लेकर उनकी सोच में परिवर्तन लाते हैं तो उसका आने वाले दिनों में लाभ हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैनुफैक्चर के ऊपर कानून न लाने से इसे बहुत से लोग उपयोग में लाते हैं, जैसे क्लथ इंडस्ट्री, गारमेंट इंडस्ट्री के लोग पैकेजिंग के काम में इसका बहुत बड़े पैमाने में उपयोग करते हैं। यदि ऐसे लोगों पर हम रिस्ट्रिक्शन्स लाते हैं तो इसमें हमें परिवर्तन देखने को मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि इसमें सब लोगों को साथ लेकर एक अवेयरनेस कम्पैन चलाने की बहुत आवश्यकता है। ...(व्यवधान)

SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD): Hon. Deputy Speaker, Sir, I have only one suggestion in this regard. In my constituency 50 per cent of the area is urban. Sir, treatment of plastic waste has become the biggest problem. I would request the Ministry of Environment to work towards capacity building and establish treatment plants. They do it in cooperation with the Ministry of Urban Development. By that we can also produce electricity. I wish that both the Ministries should think over it.

Another thing is that there is no mechanism to control the banned plastic which is manufactured in major cities. I want to know whether the Government has worked out some strict measures so that the State Governments may follow them.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Thank you, hon. Deputy Speaker, Sir. I have only two questions because the Minister for Urban Development and the Minister for Environment and Climate Change are here.

Plastic as such is not a hazard. It is the use of plastic that has made life hazardous. I would say that especially the urban bodies are facing this problem. I would request if some mechanism could be developed by both the Ministries, as has been suggested by Joshi ji, for the disposal and recycling of plastic. It needs to be looked upon as we are now looking into disposal of urban waste. In that respect, if some specific funding and technology is provided to urban bodies, that can be of great help for disposal of plastic. Will the Government look into that?

श्री सी.आर.चौधरी (नागौर) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, किरीट सोमैया जी ने एक बहुत अच्छा विषय यहाँ रखा। ... (व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Only you have to ask the question. It is not a discussion. You only ask what you want to ask.

श्री सी.आर.चौधरी : मेरा मंत्री जी से एक ही निवेदन है। Since I was the Director of local bodies in Rajasthan for three years, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि प्लास्टिक गरीब व्यक्तियों के लिए उपयोगी चीज है, क्योंकि यह सस्ता है। But disposal and recycling of it is a must. इसके लिए कुछ कानून बनाना चाहिए कि इसका डिस्पोजल किस प्रकार से किया जा सके।

श्रीमती संतोष अहलावत (झुंझुनू): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि सिर्फ प्लास्टिक बैग्स ही हानिकारक नहीं है। छोटे बच्चों के खिलौने भी प्लास्टिक से बनते हैं, उनकी दूध की बोतल और निप्पल भी प्लास्टिक से बनते हैं। आजकल संभ्रांत परिवारों में खाने के जो बर्तन काम में लिये जाते हैं, वे भी प्लास्टिक के बनते हैं। इसलिए आपको दोनों चीजें थोड़ी-थोड़ी करनी पड़ेगी, यानी कानून के साथ-साथ अवेयरनेस भी लानी पड़ेगी। मैं यही निवेदन करना चाहती हूँ।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): माननीय उपाध्यक्ष जी, इस दिशा में 2002 में न्यायाधीश रंगनाथ मिश्र समिति, 2007 में आर.सी. चोपड़ा समिति और 2010 में मंत्रालय द्वारा विशेष समिति का गठन किया गया था। 2008-09 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अलग से समिति गठित की गई थी। इन सबका परामर्श और निचोड़ यह था कि यदि तत्काल इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो इससे तमाम हानियां होंगी। चाहे हिमालय का क्षेत्र हो, चाहे बड़े शहरों का क्षेत्र हो, चाहे गौमुख हो, चाहे कार्बेट नेशनल पार्क हो और राजाजी नेशनल पार्क हो, हर स्थान पर जिस तरह तेजी से और कम समय में भयंकर तरह से फैल रहा है, इससे तमाम नुकसान हो रहे हैं, दूरगामी नुकसान हो रहे हैं। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस पर तत्काल प्रतिबंध होना चाहिए और वैकल्पिक चीजों के बारे में सोचा जाना चाहिए।

श्री अनिल शिरोले (पुणे) : माननीय उपाध्यक्ष जी, कुछ शहरों में प्लास्टिक से हाइड्रो कार्बन बनाया जाता है। मुझे लगता है कि अगर सरकार इसकी जानकारी लेकर, रिसर्च करके प्लास्टिक से हाइड्रो कार्बन बनाए तो इस समस्या का निदान हो सकता है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): मुझे बहुत खुशी है कि जनता के महत्वपूर्ण मुद्दे पर किरीट सोमैया जी ने आधे घंटे की चर्चा में यह विषय उठाया। राजीव सत्व, भैरों प्रसाद मिश्र, सुरेश अंगडी, गोपाल शेट्टी, भर्तृहरी मेहताब, सी.आर. चौधरी, संतोष जी, अनिल शिरोले ने बहुत अच्छे सुझाव दिए। मैं सबका स्वागत करता हूँ। यह चर्चा इसलिए उपस्थित हुई क्योंकि जब प्रश्न आया था तब सदन में इस पर बहुत अच्छी चर्चा हुई थी। यह सबकी चिंता का विषय है। मेहताब जी ने कहा - Plastic, *per se*, is not bad. प्लास्टिक बैग्स का मुद्दा है, इसके बारे में नियम है या नहीं? 40 माइक्रोन के नीचे बैग नहीं पैदा कर सकते हैं, यह नियम है, कानून है। लेकिन स्थिति क्या है? जब यह

सवाल आया तो मैंने तुरंत दूसरे दिन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कहा कि केवल दिल्ली में कुछ जगह जाकर सरप्राइज चैक कीजिए। स्कवाडर्स गए, उन्होंने चैक किया। वे जिन 30 मैन्युफैक्चरिंग जगह पर गए, वहां तीन चीजें पाईं। पहला बात कि यह अनरजिस्टर्ड है। दूसरी बात कि मैन्युफैक्चरिंग धड़ल्ले से हो रही है और तीसरी बात कि 40 माइक्रोन से नीचे हो रही है। जब तब मैन्युफैक्चरिंग ही बंद नहीं होगी तो आगे की कहानी अलग ही होगी। इसके लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है।

इससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि आज कितना संकट है। देश में 15,000 टन प्लास्टिक वेस्ट का निर्माण होता है। इसमें 9,000 टन कलेक्ट होता है लेकिन 6000 टन कलेक्ट नहीं होता है। यह पड़ा रहता है। यह सौ साल या इससे ज्यादा भी ऐसे ही पड़ा रहेगा क्योंकि यह डिग्रेडेबल नहीं है, चाहे कितनी भी बारिश आए, बाढ़ आए, भूचाल आए लेकिन यह कहीं नहीं जाएगा। यह एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, गटर को चोक करेगा, ड्रेनेज को चोक करेगा, गाय-भैंस के पेट में जाएगा और ऐसे ही पड़ा रहेगा। सुरेश जी, ग्रामीण चित्र इतना अच्छा नहीं है। हम सभी किसी न किसी सड़क से रोज गुजरते हैं, अब गांव भी प्लास्टिक के ढेर बन गए हैं। यह वास्तविकता है। हम सबको मिलकर इसका सामना करना है। सरकार की जिम्मेदारी पहले बनती है कि क्या किया जाए।

इस पर लंबी बहस कभी भी कर सकते हैं। लेकिन फैक्ट यह है कि इससे कितना हैल्थ हजार्ड है, यह भी समझने की बात है। *The health hazards due to chemical additives.* जब ये वातावरण में पड़े रहने से रिलीज होते हैं, तब प्रॉब्लम आती है और फिर रिसाइकल होता है उससे भी प्रॉब्लम आती है। *Some of these additives are endocrine disruptors, and can migrate into the body tissue and enter the food chain.* तो मुझे लगता है कि उससे भी बहुत ज्यादा खतरा है। इसलिए यदि इसका पूरी तरह से उपाय करना है तो हमने कुछ सोचा है, मैंने जो सोचा है उसका केवल नक्शा बताऊंगा फिर कुछ स्पेसिफिक क्वेरीज़ हैं, उसका भी जवाब दूंगा। *As I said earlier, on December 9th and 10th, surprise checks were carried out at seven areas in Delhi. Thirty units were found to be unregistered and they were producing plastic carry bags not meeting with the standard of film thickness of 40 microns. These units do not have any measures of environmental or fire safety.*

Therefore, we have decided to take immediate action. The Central Pollution Control Board has directed all the State Pollution Control Boards and Pollution Control Committees in Union Territories under Section 5 of the Environment Protection Act. ये पाँच नम्बर के सैक्शन से जो आदेश देते हैं, उसका उनको पालन करना है। That

the illegal and unregistered units, including units manufacturing sub-standard carry bags shall be closed down taking the help of the local administration, police and disconnection of electricity as applicable. कानून तो यह कहता है, लेकिन मुद्दा यह है कि इसका अमल नहीं हुआ था। इसलिए राज्यों की भी जिम्मेवारी बनती है। हम जिन राज्यों से आये हैं, वहाँ भी हम बताएं कि यह संकट है। कानून केन्द्र का है, लेकिन अमल की जिम्मेवारी राज्यों पर है। इसलिए राज्य सरकार इसमें अगुवाई करके इसे करें। हम दस दिन लीमा में थे, लेकिन मैं ट्रैक कर रहा था कि सरप्राइज़ चेक्स में क्या मिल रहा है। मेरी अपेक्षा से भी ज्यादा हुआ यानी हर यूनिट में इललीगल मैनुफैक्चरिंग धड़ल्ले से हो रहा है। इसको चेक करना है। इसके कानून के अनुसार आज एक लाख रुपए का दण्ड लगता है। एक लाख रुपए तो कभी पकड़े गये तो दे सकते हैं, नहीं तो वैसे भी कुछ न कुछ मैनेज करने की लोगों को आदत है। लेकिन हम यह नहीं होने देंगे। इसलिए जब इंवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और वाइल्ड लाइफ एक्ट, जो बदल रहे हैं, जो इंवायरनमेंट रेगुलेशन का काम करते हैं, उसमें जो सालों से कमियाँ पायी गयी हैं, उस पर एक हाई लेवल कमेटी श्री टी.एस.आर. सुब्रमण्यम जी के नेतृत्व में गठित की गयी थी, उन्होंने हमारी सिफारिश दी है, उस पर विचार चल रहा है। जल्दी ही हम इसके कानून के प्रावधान को सदन के सामने रखेंगे, जब इस पर बहस होगी। उसमें हम एक लाख रुपए के स्थान पर दस लाख रुपए का दण्ड करें, 50 लाख रुपए तक का भी दण्ड करें, इसकी क्वांटिटी क्या है, उसे देखकर, इस पर विचार कर रहे हैं। इस पर भी विचार किया जा रहा है कि स्टेट लेवल एडवाइज़री बॉडी आज केवल कागज पर है, लेकिन वास्तविकता में यह केवल आठ राज्यों में बनी है। जिन आठ राज्यों में बनी है, वह भी सालों-साल मिलती नहीं है। उसकी छमाही बैठक हो, उसका फॉलो-अप हो, इसे भी उसमें मैनेज करेंगे। इसमें एक बड़ा रिस्क फैक्टर है, imposing total prohibition/ban on manufacturing or usage all kinds. यदि हम शादी या किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो हम थर्मोकॉल देते हैं या प्लास्टिक की प्लेट्स होती हैं। ये भी बहुत डेंजरस हैं, ये तो अभी कानून के दायरे में हैं ही नहीं। लेकिन यह भी हाजर्डस वेस्ट है। चूंकि इसमें पॉलिस्टर होता है और उसे जलाने पर हेल्थ हाजर्ड तैयार होता है। इसलिए cups, saucers, spoons, forks and other utensils, ये आज तक कानून के दायरे में नहीं थे, उन्हें कानून के दायरे में लाने का सरकार विचार कर रही है। रेलवे अथॉरिटीज के साथ भी हम बातचीत कर रहे हैं कि रेलवे के आसपास जो प्लास्टिक का कचरा जमा होता है, उसके बारे में भी काम कर रहे हैं, to ban and prohibit carry bags of any film below 40 microns, handle or non-handle. लोग उसमें भी कुछ न कुछ अक्ल चलाते हैं। वे कहते हैं कि हैंडल वाले बैग पर बैन है। अब जो बिना हैंडल के पन्नी है, जो सारे ग्रीसरी

शॉप्स में मिलती है, उसी में सारा सामान बांधकर देता है। वह एक बड़ा मुद्दा है। जो कानूनी लूप-होल्स हैं, उन्हें बंद करेंगे। कानून को और सख्त करने का इरादा है, उसमें आप सबका समर्थन मिलेगा, ऐसी आशा है।

जैसा किरीट जी ने कहा, यह केवल प्रोडक्शन रोककर भी नहीं होगा। जो जमा है, वह 100 साल रहने वाला है जैसे क्लाइमेट चेंज के लिए रिसपांसिबल कार्बन डाई आक्साइड वातावरण में 100 साल तक रहता है, वैसे यह भी 100 साल की समस्या है। इसलिए जब तक यह जनता का आन्दोलन नहीं बनेगा, तब तक इसका उपाय नहीं होगा। इसमें कोई पार्टी नहीं है, सब एक ही पार्टी हैं। जब हम यह करेंगे, अपनी-अपनी जगह पर स्वच्छता अभियान की शुरुआत करेंगे। यदि गांव के सभी लोग चलकर गांव में जो प्लास्टिक बिखरा है, उसे उठाना बिल्कुल आसान है। प्लास्टिक मुक्त भारत की कल्पना आपने रखी, बहुत सही है, इसलिए यह भी एक आन्दोलन हम सभी को मिलकर करना होगा। डिसपोजल, यूज, रिसाइकिल - इन तीनों का मुद्दा है। रिसाइकिल के लिए ही 40 माइक्रॉन की बात आई है। अगर 40 माइक्रॉन का है तो रिसाइकिलिंग की पॉसिबिलिटी है और तभी रैगपिकर उठाता है, नहीं तो वह उसे उठाता ही नहीं है। जो पतली पन्नी होती है, उसे कोई उठाता नहीं है। शिरोले जी ने एवं बाकी लोगों ने जो उपाय बताएं हैं कि इसका रोड में उपयोग किया जा सकता है, हाइड्रो कार्बन तैयार करने में उपयोग किया जा सकता है, एनर्जी के लिए उपयोग कर सकते हैं। मैं अभी लीमा में था, वहां ऐसी 40 प्लास्टिक थैलियों से एक अच्छी थैली बनाई गयी थी, जिसे लेकर आप बाजार में जा सकते हैं। पहले भी हमे थैली लेकर दुकान में जा रहे थे, हमारी आदत बिगड़ गयी, इसलिए अब उसे भी शुरू करना होगा। स्कूल कॅरीकुलम में लाना होगा। यह सब करना होगा क्योंकि अगर देश को साफ-सुथरा बनाना है, मोदी जी का स्वच्छ भारत का सपना पूरी जनता का सपना है, प्रधान मंत्री जी ने उसका नेतृत्व किया है, अगर स्वच्छ भारत करना है तो प्लास्टिक मुक्त भारत करना पड़ेगा। इसके लिए इसके सभी पहलुओं पर एक नए सिरे से विचार करके एक अच्छा कानून, ठीक नियम और उसके दायरे में जनता का एक आन्दोलन एवं अवेयरनेस कॅम्पेन, ये सब हम लांच करेंगे, उसमें आप सभी का सहयोग चाहिए।...(व्यवधान) मुंबई की विजिट की रिपोर्ट आई है, आने वाले एक-दो सप्ताह में जब मैं मुंबई जाऊंगा, तब किरीट जी के साथ उन तीनों जगहों पर जाने वाला हूं।...(व्यवधान) अरविन्द सावंत जी को भी साथ ले जाऊंगा। तीनों जगहों पर उनको भी साथ लूंगा। ... (व्यवधान) लास्ट में, दो-तीन छोटे मुद्दे उठाए गए हैं, जो महत्वपूर्ण हैं। ... (व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब : प्लास्टिक वेस्ट डिस्पोजल प्लांट के लिए क्या एक पायलट प्रोजेक्ट कटक में शुरू करेंगे?...(व्यवधान)

श्री प्रकाश जावड़ेकर: जरूर करेंगे और कटक के प्रोजेक्ट को हम क्या मदद कर सकते हैं, वह देखेंगे और उसके जो परिणाम आएंगे।...(व्यवधान) यह मैं अपेक्षा करता हूँ कटक के प्रोजेक्ट से। यही रोल आता है म्यूनिसिपल बॉडीज का। मंत्री जी यहां बैठे हैं और वे बहुत एक्टिव हैं। जब तक सभी कारपोरेशन्स, नगर निगम, और मैं मानता हूँ, कि ग्राम पंचायतों की ओर से यह नहीं होगा कि प्लास्टिक वेस्ट को हम गांव में, शहर में नहीं रहने देंगे, तब तक यह समस्या खत्म नहीं होगी क्योंकि यह उनकी जिम्मेदारी है। जो स्टॉकिस्ट होते हैं, जो प्लास्टिक पन्नियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन पर कार्रवाई करना केवल म्यूनिसिपल कारपोरेशन्स का अधिकार है। राजीव सातव जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि हम अपने से शुरूआत करें और वही सबसे अच्छी शुरूआत होती है। *Charity begins at home.*

HON. DEPUTY SPEAKER: The House is extended till the Minister completes his reply.

श्री प्रकाश जावड़ेकर: इसलिए यह भी सुझाव करने लायक है, हम सभी मिलकर करें, पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर उसका कुछ निर्देश तैयार करें, अगले सत्र से हम सभी इसमें सहयोगी होंगे। मुझे लगता है कि यह एक महत्वपूर्ण विषय था, जिसकी प्रश्न में भी चर्चा हुई, आज भी चर्चा हुई, उसके आलोक में हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे।

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Sir, I want to bring to your kind notice as Shri Venkaiah Naidu Ji is also present here. I am talking about item no. 16 – Mahatma Gandhi National Rural Guarantee scheme. यह विषय रोज एजेंडे में आ रहा है, कम से कम चार-पांच दिन से एजेंडे में आ रहा है। अब इसको मुक्ति मिलनी चाहिए। इस पर चर्चा करके इसका उत्तर आना चाहिए।

18.00 hrs

ये रोज चार-पांच-छह दिन से एजेंडा में आ रहा है, इससे मुक्ति मिलनी चाहिए। इस पर चर्चा होकर, इसका उत्तर आना चाहिए। यह महत्वपूर्ण विषय है। आप जब कम से कम 34 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं और इसके बारे में सारे एमपीज जानना भी चाहते हैं कि नयी सरकार क्या करने वाली है, किस ढंग से खर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ सदस्य उत्तर भी चाहते हैं और इस पर बोलना भी चाहते हैं। इसीलिए उसे महत्व देना चाहिए। एक के बाद एक बिल आप ला रहे हैं। नायडु साहब, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी कुछ रहने दो, यहां पर एक-एक करके बिल ला रहे हैं। आज तो माननीय नितिन गडकरी जी, जैसे रोड का बुलडोजर होता है, आगे आकर वह एक बिल भी खत्म कर लिया। अगर यह रिपीटिडली होता रहा, तो इसका कोई महत्व नहीं रहेगा। कम से कम 30 करोड़ लोग इस स्कीम पर जिंदा हैं, पांच करोड़ हाउस-होल्डर्स इसमें हैं। इनका टार्गेट इस वक्त 3 करोड़ 9 लाख का है। इससे पहले हाउस-होल्डर्स का टार्गेट पांच करोड़ का था और मैनडेज जो भी फिक्स किये हैं, उसके तहत भी नहीं हुआ। इसलिए बिल आप आखिर में डालो, किसी तरह से बिल आप पास करा ही लेते हो। हम वाक-आउट करें। डैमोस्ट्रेशन करें, उसका डैमोक्रेसी में कोई महत्व नहीं रहा। You have got your say; we have got our say. कृपा करके इसे महत्व दीजिए और इसे खत्म कीजिए। You must take up tomorrow early.

श्री एम. वैकैय्या नायडू : उपाध्यक्ष जी, माननीय खड़गो जी ने मनरेगा के संबंध में इश्यू उठाया है, यह महत्वपूर्ण विषय है। सभी पार्टियों के लोग इसमें भाग लेना चाहते हैं और हम भी यह महसूस कर रहे हैं। कारण क्या है कि इसमें इम्प्रूवमेंट्स क्या लाना चाहिए, क्या कमियां हैं, अभी तक का अनुभव क्या है, इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। जरूर सर, कल मोटर्स-व्हीकल वाला बिल, जिस पर करीब-करीब चर्चा हो चुकी है, पूरा होने के बाद तुरंत मनरेगा पर चर्चा जरूर लेंगे। माननीय मंत्री जी भी हैं, वे भी कल रहेंगे और कल जवाब भी देंगे।

HON. DEPUTY SPEAKER: The House stands adjourned to meet tomorrow, the 18th December, 2014 at 11.00 a.m.

18.03 hrs

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock
on Thursday, December 18, 2014/Agrahayana 27, 1936 (Saka).*
